लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ६, १९५४

(१६ नवम्बर से १३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ६ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

555L.S.D.

अंक १—मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७, ४९ से ५२, ५६, ५८ से ६२, ६४, ६५, ६८ से ७०, ७२, ७३, ७५, ७८, ७९, ८१ से ८६, ५५ और ६३ १–४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से ४१, ४३ से ४६, ५३, ५४, ५७, ६६, ६७, ७१, ७४, ७६, ८० और ८७ . . . ४१–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १, २, ४ से १०, १२ से ७७, ७९ से ८८, ९० से ९६ . . . . . ७५–१३८

अंक २—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८, ८९, ९१, ९५, ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०८, ११२ से ११४, ११६, ११८, १२०, १२३, १२५, १२७, १२८, १३१, १३३, १३४ . . . . . १३९—८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०, ९२, ९४, १०७, १०९, ११०, ११५, १२१, १२२, १२४, १२६, १३०, १३२ . . . . . १८१—८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७ से ११०, ११२ से १४० . . . १८९—२२०

अंक ३—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५, १३८, १३९, १४१, १४२, १४५, १४७ से १४९, १५२ से १५७, १५९, १६०, १६४ से १६६, १६९ से १७१, १७४, १७५, १३६ और १४४ . . . . . २२१—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १४०, १४३, १४६, १५०, १५१, १६१ से १६३, १६७, १६८, १७३ और १७६ . . . . . २५४—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १७४ . . . . २६१—७२

अंक ४—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७, १८० से १८२, १८४, १८७ से १८९, १९१ से १९४, १९६, १९७, २०० से २०६, २१०, २१०ए, २१२ से २१४, २१६, २१८, २२२ से २२५, १७८ और १८५ . स्तम्भ २९३—३४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७९, १८३, १८६, १९०, १९५, १९८, १९९, २०८, २०९, २११, २१५, २१९ से २२१ . . . ३४१—४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ से २२६ . . . ३४८—९४

अंक ५—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३, ११७, २३१ से २३३, २३६, २३९, २४१, २४२, २४४, २४५, २४९ से २५१, २५३, २५५, २५८ से २६२, २६५, २६८ और २६९ . . . . . ३९५—४३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . ४३२—३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९, २२६, २२८ से २३०, २३४, २३५, २३७, २३८, २४०, २४३, २४७, २४८, २५२, २५४, २५६, २५७, २६४, २६६, २६७, २७० और २७१ . . . . . ४३८—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७ से २५१ . . . . ४५०—६६

अंक ६—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७९ **से** २८२, २८५, २८६, २९० से २९२, ३००, ३०१, ३०४, ३०५, २७४, २७७, २८३ **और** २९७ . . . . ४६७—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७३, २७५, २७६, २७८, २८७ से २८९, २९३ **से** २९६, २९८, २९९, ३०२ **और** ३०३ . ४९१—५०१

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२ **से** २६६, २६८ **से** २७६ . . ५०१—१४

अंक ७—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०६, ३०८, ३०९, ३१२, ३१५ से ३१८, ३२२ से ३२५, ३२७, ३३०, ३३४ से ३४४, ३४६ से ३५० और ३९४ . . ५१५—६२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . ५६२—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७, २१७, ३०७, ३१० ३११, ३१३, ३२०, ३२१, ३२६, ३२८, ३२९, ३३१ से ३३३ और ३४५ . . . . ५६६—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या २८० से ३२४ . . . . ५७६—६१२

अंक ८—गुरुवार, २५ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५२, ३५३, ३९३, ३५५—३५७, ३६०, ३६२ से ३७६ ३८१, ३८२, ३८४, ३८५, ३८७, ३९०, ३९२, ३९४ से ३९७ और ३९८ . ६१३—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५१, ३५४, ३५८, ३५९, ३७७, ३७९, ३८०, ३८३, ३८६, ३८९ और ३९३ . . . . . ६५७—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२५, ३२७ से ३५७ . . . ६६४—८८

अंक ९—शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०० से ४०२, ४०४, ४०६ से ४०८, ४१०, ४१४, ४१६ से ४१८, ४२१, ४२४ से ४३२, ४३४, ४३५, ४०९, ४३३ और ४११ . . . . . ६८९—७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९, ४०३, ४०५, ४१३, ४१५, ४२०, ४२२, ४२३, ४३६ और ४३७ . . . . ७२८—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८ से ३८७ और ३८९ . . ७३४—६२

अंक १०--सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४१, ४४३, ४४५, ४५१, ४५२, ४५४, ४५५, ४५७, ४५८, ४६२, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७५, ४७७ से ४७९, ४८१ से ४८३, ४८५, ४९९, ४८८, ४९०, ४९३, ४९४, ४९६, ४९७, ५०२ से ५०४, ४४४ और ४४७ . . ७६३—८११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४४२, ४४६, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५६, ४५९ से ४६१, ४६३, ४६६, ४६९, ४७०, ४७२, ४७३, ४७६, ४८०, ४८४, ४८७, ४८९, ४९१, ४९२, ४९५, ४९८, ५००, ५०१ और ५०५ ८११--२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९० से ४०९, ४११ से ४२६ . . . ८२८—५६

अंक ११—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ८५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०८ से ५११, ५१३, ५१८, ५२० से ५२३, ५२७, ५२९ से ५३४, ५३७, ५४१ से ५४६, ५५०, ५५२, ५५३ . . ८५७—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०७, ५१२, ५१४ से ५१७, ५१९, ५२४, ५२५, ५२८, ५३५, ५३६, ५३८ से ५४०, ५४७, ५४८, ५५४ से ५६५ . . ८९८—९१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४४८, ४५० से ४५४ . . ९१६—३६

अंक १२—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६९ से ५७४, ५७६, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३ से ५८५, ५८७ से ५८९, ५९६, ५९७, ५९९, ६००, ६०२, ६०३, ६०५ से ६०७, ६११ से ६१६ और ६२० . . ९३७—८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ से ५६८, ५७५, ५७८, ५८१, ५८२, ५८६, ५९० से ५९५, ५९८, ६०१, ६०४, ६०८ से ६१०, ६१७ से ६१९ और ६२१ . . . . . ९८४—१००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४५५ से ४८३ . . . . १००१—२०

अक १३ –गुरुवार, २ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—. स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ से ६२७, ६३२, ६३५, ६३६, ६३८, ६४०, ६४१, ६४४, ६४६ से ६४९, ६५२ से ६५५, ६५९ से ६६३, ६७९, ६६४ और ६६५ . . . . . १०२१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२, ६२८ से ६३१, ६३३, ६३४, ६३६, ६३९, ६४२ ६४३, ६४५, ६५०, ६५१, ६५६ से ६५८, ६६६ से ६७८, ६८० से ६८६ १०६५—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८४ से ५२६ . . . १०८६–११२०

अंक १४—शुक्रवार, ३ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८७ से ६८९, ६९२, ६९५, ६९७, ६९९, ७०२, ७०३, ७०५, ७०८ से ७१२, ७१४ से ७१७, ७२१ से ७२६, ७२९, ७३२, ७३६, ७३८ और ७४० . . . . . ११२१—६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . ११६६—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९१, ६९३, ६९४, ६९८, ७००, ७०१, ७०४, ७०६, ७०७, ७१३, ७१८ से ७२०, ७२७, ७२८, ७३०, ७३३, ७३४, ७३७, ७४२ से ७४७ ७३९, ... ११६९—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५५३ . . . . ११८६—१२०४

अंक १५—सोमवार, ६ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७५२, ७५६, ७५७, ७५९ से ७६३, ७६५ से ७७२, ७७५ से ७८०, ७८२ से ७८५, ७८७ से ७८९, ७९२ से ७९५ . . १२०५—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ से ७५०, ७५३ से ७५५, ७५८, ७६४, ७७३, ७७४, ७८६, ७९०, ७९१, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०७ . . . १२५५—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ५७७ . . . . १२६९—८४

अंक १६—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१०, ८११, ८१३, ८१४, ८१६ से ८२५, ८२७, ८२९ से ८३३, ८३६, ८३७, ८३९, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६ से ८४८ और ८५० से ८५४ . . . . . १२८५—१३३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . १३३५—३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१२, ८१५, ८२६, ८२८, ८३४, ८३५, ८३८, ८४१, ८५५ से ८६८ . . . . . १३३७—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ६२७ . . . . १३२०—८४

अंक १३—गुरुवार, २ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—. स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ से ६२७, ६३२, ६३५, ६३६, ६३८, ६४०, ६४१, ६४४, ६४६ से ६४९, ६५२ से ६५५, ६५९ से ६६३, ६७९, ६६४ और ६६५ . . . . . १०२१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२, ६२८ से ६३१, ६३३, ६३४, ६३६, ६३९, ६४२ ६४३, ६४५, ६५०, ६५१, ६५६ से ६५८, ६६६ से ६७८, ६८० से ६८६ १०६५—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८४ से ५२६ . . . . १०८६–११२०

अंक १४—शुक्रवार, ३ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८७ से ६८९, ६९२, ६९५, ६९७, ६९९, ७०२, ७०३, ७०५, ७०८ से ७१२, ७१४ से ७१७, ७२१ से ७२६, ७२९, ७३२, ७३६, ७३८ और ७४० . . . . . ११२१—६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . ११६६—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९१, ६९३, ६९४, ६९८, ७००, ७०१, ७०४, ७०६, ७०७, ७१३, ७१८ से ७२०, ७२७, ७२८, ७३०, ७३३, ७३४, ७३७, ७४२ से ७४७ ७३९, ... ११६९—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५५३ . . . . ११८६—१२०४

अंक १५—सोमवार, ६ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७५२, ७५६, ७५७, ७५९ से ७६३, ७६५ से ७७२, ७७५ से ७८०, ७८२ से ७८५, ७८७ से ७८९, ७९२ से ७९५ . . १२०५—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ से ७५०, ७५३ से ७५५, ७५८, ७६४, ७७३, ७७४, ७८६, ७९०, ७९१, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०७ . . . १२५५—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ५७७ . . . . १२६९—८४

अंक १६—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१०, ८११, ८१३, ८१४, ८१६ से ८२५, ८२७, ८२९ से ८३३, ८३६, ८३७, ८३९, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६ से ८४८ और ८५० से ८५४ . . . . . १२८५—१३३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . १३३५—३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१२, ८१५, ८२६, ८२८, ८३४, ८३५, ८३८, ८४१, ८५५ से ८६८ . . . . . १३३७—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ६२७ . . . १३२०—८४

अंक १७—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७१, ८७४, ८७६, ८७८, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४ से ८८६, ८९०, ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९९, ९००, ९०२ से ९०८, ९१०, ९१४ से ९२० . . . . . १३८५—१४३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०, ८७२, ८७३, ८७५, ८७७, ८८०, ८८३, ८८७, ८८९, ८९२, ८९५, ८९७, ८९८, ९०१, ९०९, ९११ से ९१३, ९२१ से ९२७, ९२९ से ९३१, ९३३ से ९३७, ११९ . . . . १४३३—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६४६ . . . . १४५२—६६

अंक १८—गुरुवार, ९ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३८, ९४० से ९५०, ९५२, ९५३, ९५५, ९५६, ९६० से ९६२, ९७१, ९७२, ९७५ से ९७७, ९८९, ९७८, ९७९, ९८२, ९८३ और ९८५ से ९८७ . . . . . १४६७—१५११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३९, ९४६, ९५१, ९५४, ९५७ से ९५९, ९६३ से ९६८, ९७३, ९७४, ९८०, ९८१, ९८४, ९८८ और ९९० से ९९५ . १५१२—२५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४७ से ६५१ और ६५३ से ६६८ . . १५२५—४२

अंक १९—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९७ से १००२, १००५ से १००७, १००९, १०१२ से १०१४, १०१७, १०२१, १०२४, १०३१, १०३२, १०३४, १०३६ से १०४२, १०४४, १०४५ और १०४९ से १०५० . . . १५४३—८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९६, १००३, १००८, १०१०, १०११, १०१५, १०१६ १०१८ से १०२०, १०२२, १०२३, १०२५ से १०२७, १०२९, १०३३, १०३५, १०४३, १०४६ से १०४८ और १०५१ से १०५८ . १५८८—१६०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ७०३ . . . . १६०५—३०

अंक २०—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५१, १०६१, १०६३, १०६५, १०६७, १०७१ से १०७४, १०७८, १०८१, १०८५, १०८६, १०८८, १०११, १०९३, १०९५, १०९६, १०९८, ११००, ११०२ से ११०४, ११०६, ११०८, ११०९, १११२ . . . . . १६३१—७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०६९, १०७०, १०७५ से १०७७, १०८९, १०८०, १०८२ से १०८४, १०८७, १०९२, १०९४, ११०१, ११०५, ११०७, १११०, ११११ . . . १६७४—८७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०४ से ७१८ . . . . १६८८—९८

GIPD—NSH—555 LSD—3-10-55—240

लोक-सभा

सोमवार, ६ दिसम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

न्यासर्ग (हारमोन) और ग्रन्थिल (ग्लैंड्युलर) वस्तुओं का उत्पादन

*७५१. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारे गये पशुओं की ग्रन्थियों (ग्लैंड्स) और अंगों (आर्गन्स) को, जो न्यासर्ग (हारमोन) और ग्रन्थिल (ग्लैंड्युलर) वस्तुओं के उत्पादन के लिये मूल सामग्री मानी जाती हैं रक्षित रखने के लिये सुविधायें देने के बारे में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या यह सत्य है कि भारतीय भेषजीय उद्योग इन मूल्यवान वस्तुओं को निकालने में असमर्थ है क्योंकि बूचड़खाने में इन शीघ्र नाश हो जाने वाले अंगों (आर्गन्स) को रक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) बूचड़खाने राज्य सरकारों के नियन्त्रण में हैं । भेषजीय जांच समिति ने भारत सरकार का ध्यान बूचड़खानों में ग्रन्थियों और अंगों को एकत्र करने की उपयुक्त सुविधाओं के अभाव की ओर दिलाया है और सिफारिश की है कि भारत के बड़े बड़े नगरों में आधुनिक ढंग के बूचड़खाने जहां इसके लिये उपयुक्त सुविधायें हों, स्थापित किये जायें । इस सिफारिश पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) जिगर, तिल्ली और दिल जैसी ग्रन्थियों और अंगों को, जो अति शीघ्र नष्ट नहीं होते, औषधियां बनाने वालों द्वारा बड़े बड़े शहरों में बूचड़खानों में एकत्र किया जा रहा है और उस की मूल वस्तु को निकाल लिया जाता है । वृक्कोपरि (सुप्रारीनल) और अण्डाशय (ओवरी) इत्यादि जैसी छोटी ग्रंथियों को, जो शीघ्र नष्ट हो जाती हैं, तुरन्त एकत्र करने की सुविधाओं के अभाव के कारण काम में नहीं लाया जा रहा है । सामूहिक रूप से दशा सन्तोषजनक नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को विदित है कि उन ग्रंथियों में जो दूसरों की तरह शीघ्र नष्ट नहीं होतीं बूचड़खानों में उन का भार बढ़ाने के लिये पानी औ चरबी मिला दिये जाते हैं और जब वे उत्पादक के पास पहुंचती हैं तो उन में सड़न आरम्भ हो जाती है ?

श्री कानूनगो: औषधि निर्माण जांच समिति और बम्बई सरकार द्वारा बचड़-

खानों की जांच के लिये नियुक्त की गई विशेष समिति ने इस का पता लगाया है ।

श्री वी० पी० नायर: भारत में प्रत्येक वर्ष कितने मूल्य के न्यासर्ग और ग्रंथि-वस्तुओं का आयात किया जाता है ?

श्री कानूनगो: भारी मात्रा में इस का आयात किया जाता है परन्तु मैं ठीक ठीक आंकड़े नहीं बता सकता ।

श्री वी० पी० नायर: क्या भारत सरकार का औषधि-निर्माण जांच समिति की सिफारिश के अनुसार बूचड़खानों के बारे में कोई कार्यवाही करने का विचार है जो कि राज्य के नियन्त्रण का विषय है, ताकि न्यासर्ग और दूसरी वस्तुओं विशेष कर मधु-वशि (इन्सुलिन) के उत्पादन की मूल सामग्री भारत में ही पैदा की जाने लगे और इस विषय में भारत आत्मनिर्भर हो जाये ?

श्री कानूनगो : जैसा कि मैं ने प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताया है इस पर विचार किया जा रहा है ।

डा० रामा राव : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि विदेशों से भारी मात्रा में मधु-वशि का आयात किया जा रहा है क्या सरकार का भारत में किसी स्थान पर आवश्यक शीत कोठार के सामान की व्यवस्था करते हुए न्यासर्ग उत्पादन करने का उद्योग आरम्भ करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : इस प्रश्न का उत्तर मेरे सहयोगी द्वारा दिये गये उत्तर के प्रथम भाग में दिया जा चुका है । इसका आधार शीत कोठार की सुविधा वाले उपयुक्त ढंग के बूचड़खाने बनाने की हमारी सामर्थ्य पर है । अभी तो कार्य आरम्भ भी नहीं किया गया है और हमारी आशा सम्भव है भविष्य में कभी पूरी हो जाये ।

काश्मीर

*७५२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता मिलने से स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उस को दृष्टि में रखते हुए पाकिस्तान से शान्तिपूर्ण बातचीत द्वारा काश्मीर समस्या हल करने के लिये सरकार का क्या कार्य-वाही करने का विचार है ; और

(ख) क्या इस विषय में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई पत्र-व्यवहार हो रहा है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख). प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के नाम अपने पिछले पत्र दिनांक २९ सितम्बर, १९५४ में पुनः एक बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि प्रत्यक्ष रूप से बातचीत कर के शान्तिपूर्ण ढंग से काश्मीर समस्या को हल करना वांछनीय होगा । इस पत्र का अभी तक कोई उत्तर नहीं आया है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता मिलने से बातचीत का आधार बिलकुल बदल गया है और यदि हां, तो अब वार्ता का प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री अनिल के० चन्दा: सरकार का, दृष्टिकोण सब जानते हैं । हमारी सरकार और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ है वह प्रकाशित किया जा चुका है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी: क्या पाकिस्तान मंत्रि मंडल में परिवर्तन होने से पाकिस्तान

सरकार की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं ।

महानदी का पुल

***७५६. श्री गिडवानी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन विशेष पदाधिकारियों के आचरण की न्यायिक जांच पूर्ण हो चुकी है, जो महानदी के पुल के प्रभारी थे ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो उस की उपपत्तियां (निर्णय) क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) जांच पदाधिकारी का प्रतिवेदन विचराधीन है ।

श्री गिडवानी : इस मामले से कितने पदाधिकारियों का सम्बन्ध है ?

श्री हाथी : दो पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच की गई थी ।

श्री गिडवानी : मैं जानना चाहता हूं कि उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

श्री हाथी : प्रतिवेदन पिछले सप्ताह ही प्राप्त हुआ था। इस पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने तथा उन से अतिरिक्त धन वसूल करने का कोई विचार रखती है ?

श्री हाथी : जैसा मैं ने कहा है, प्रतिवेदन विचाराधीन है । यह केवल गत सप्ताह ही प्राप्त हुआ था ।

भारत में मुद्रणालय

***७५७. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :** क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना में देश को मुद्रणालयों के विस्तार के लिये किसी प्रकार का कोई उपबन्ध रखा गया है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : दक्षिण भारत में सरकारी संस्थाओं की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वहां एक भारत सरकार का मुद्रणालय स्थापित करने का, तथा भारत सरकार के वर्तमान मुद्रणालयों में हिन्दी पक्ष भी स्थापित करने का प्रश्न, द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये विचाराधीन है।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संसदीय वाद-विवाद उचित समय पर मुद्रित नहीं होते, क्या सरकार इस बात की वांछनीयता पर कोई विचार करेगी कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में संसद् के लिये एक पृथक मुद्रणालय स्थापित किया जाये ?

सरदार स्वर्ण सिंह : प्रश्न के प्रथम भाग को स्वीकार करना कठिन है । मेरे विचार में अब स्थिति अत्यधिक सुधर गई है। यदि अभी भी कोई शिकायत है तो मैं उसे दूर करने का प्रयत्न करूंगा। इस प्रयोजन के लिये एक प्रथक मुद्रणालय की आवश्यकता नहीं है । इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये मुद्रणालय की वर्तमान सामर्थ्य बिल्कुल पर्याप्त है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सरकार के सामने बार बार नहीं लाई गई कि संसद् का स्वयं का प्रैस होना आवश्यक है, क्योंकि संसद् का काम काज बढ़ता जाएगा और बिना प्रैस हुए वह काम ठीक तरह नहीं चल रहा है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : पार्लियामेंट के काम को काफ़ी प्रायैरिटी दी जाती है ।

पण्डित ठाकुर दास भार्गव : क्या मंत्री जी को मालूम है कि मई का जो सैशन था उस की भी किताबें अभी तक मेम्बर साहिबान को नहीं पहुंचीं, बीच के सैशन का तो कहना ही क्या ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरा ख्याल है कि मई के सैशन की सारी किताबें तो पहुंच गई होंगी ।

पण्डित ठाकुर दास भार्गव : नहीं, नहीं । अभी तक नहीं मिलीं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं जानना चाहता हूं, कि क्या सरकार को ज्ञात है कि राजकीय मुद्रणालय, मद्रास, पूर्व के महानतम मुद्रणालयों में एक है, और क्या वह मद्रास सरकार के सहयोग से इस का उपयोग उठाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य द्वारा दी गई इस सूचना को ग्रहण करता हूं कि यह पूर्व में सब से बड़ा मुद्रणालय है...

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : महानतम मुद्रणालयों में से एक है ।

सरदार स्वर्ण सिंह :.....परन्तु मेरे विचार में इस में कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है । यदि उस में कोई अतिरिक्त क्षमता होगी तो उस का उपयोग करने में मैं संकोच नहीं करूंगा ।

बीड़ी

*७५९. **पण्डित डी० एन० तिवारी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५३-५४ में बीड़ियों का लंका और नैपाल को निर्यात कम हो गया है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो उस के कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). शासकीय आंकड़ों में नैपाल के निर्यात की संख्या पृथक रूप से अभिलिखित नहीं की जाती । अतः सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं जिस से वह बता सके कि नैपाल का निर्यात क्यों कम हो गया है । जहां तक लंका का सम्बन्ध है, वहां का १९५३-५४ का निर्यात पूर्वगामी वर्षों से बढ़ गया है ।

पण्डित डी० एन० तिवारी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मशीन से बीड़ी बनाने पर प्रतिबन्ध लगाने वाले हाल ही के विधान का बीड़ियों के निर्यात पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

श्री करमरकर : इस के विषय में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता, परन्तु अभी तक तो इस का निर्यात पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है ।

नैपाल को डाक्टरी सहायता

*७६०. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तराई क्षेत्र में बाढ़ों के कारण उत्पन्न होने वाली महामारी को रोकने के लिये नैपाल सरकार को अभी तक कितनी डॉक्टरी सहायता दी जा चुकी है ; तथा

(ख) विभिन्न प्रकार की महामारी बीमारियों से पीड़ित कितने व्यक्तियों का उपचार हुआ है, तथा स्वस्थ हो जाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत भाग क्या है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) महामारियों के नियंत्रण कार्य की सहायता के लिये भारत सरकार ने नैपाल को दो पूर्ण रुपेण सज्जित चिकित्सक दल भेजे हैं। वे नैपाल तराई में अपना कार्य चार मास में दिसम्बर, १९५४ तक पूर्ण करेंगे। खर्च को पूरा करने के लिये ४०,००० रुपये की राशि की मंजूरी दी गई है।

(ख) शीघ्र ही कार्यवाही कर देने के कारण कोई अधिक मात्रा में महामारियां नहीं फैली थीं, सिवाय एक क्षेत्र के जहां ३१-१०-५४ तक हैज़े के ५४ मामलों का पता लगा था और उन का उपचार किया गया था। स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत भाग ४०·७४ है।

३०-१०-५४ तक निम्न लिखित संरक्षणात्मक टीके लगाये गए हैं :—

चेचक	१५,९२५
टी० ए० बी०	६,६८९
हैज़ा	९,५२८

श्री विभूति मिश्र : भारत सरकार नैपाल राज्य में जो जनहितकारी काम करती है उस को हिन्दुस्तान और नैपाल के अखबारों में लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करवाया जाता है या नहीं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं समझ नहीं सका।

अध्यक्ष महोदय : क्या भारत सरकार, नैपाल में किए जाने वाले हितकारी कार्यों के बारे में नैपाल तथा भारत के लोगों को जानकारी देने का कोई विचार रखती है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि खास पर्चे छपवा छपवा कर हिन्दुस्तान और नैपाल में बांटे जायें ? इस से ज्यादा और क्या होता है ?

श्री विभूति मिश्र : जो हिन्दुस्तान की सरकार नैपाल में काम करती है उस से बहुत थोड़ा काम वहां अमरीका वाले करते हैं। लेकिन उन का प्रचार ज्यादा होता है और हिन्दुस्तान की सरकार जितना काम करती है उस का बहुत कम प्रचार होता है। अगर हिन्दुस्तान और नैपाल के अखबारों में उस का काफ़ी प्रचार किया जाये तो वहां की जनता को वास्तविक पोजीशन मालूम हो जाये।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस बात पर विचार किया जायगा।

डा० रामा राव : दो दल भेजे गए हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि उन में कितने चिकित्सक भेजे गए हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : वे लोग रक्षा मंत्रालय से हमें ऋण के रूप में प्राप्त हुए थे। प्रत्येक वर्ग में एक चिकित्सक तथा आठ ओ० आर० हैं।

श्री भागवत झा आज़ाद : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि नैपाल सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि वहां के लोगों के कल्याण के लिये खास काठमडूं तथा उपनगर के कुछ अन्य भागों में एक सम्पूर्ण सज्जित औषधालय स्थापित किया जाये।

श्री अनिल के० चन्दा : हम ने उन्हें पहले ही ५०० रोगियों के एक औषधालय के लिये सामान अर्पित किया है।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों का पुनर्वास

*७६१. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **पुनर्वास** मंत्री निम्न लिखित बातें बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों की ऐसी कितनी संख्या है, जो अभी तक पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आसाम तथा बिहार के उपनगरों में पुनः बसाये जा चुके हैं ;

(ख) उन पर अभी तक लगाई गयी कुल राशि कितनी है ; तथा

(ग) पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों के पुनर्वास के कार्य में पिछले दो मासों में कितनी उन्नति हुई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) लगभग ४०,५०० विस्थापित लोगों को पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों के लिये पश्चिमी बंगाल में बनाये गए चार उपनगरों में पुनः बसाया जा ुका है। विस्थापित लोगों के लिये उड़ीसा, आसाम और बिहार में कोई नये उपनगर नहीं बनाए गए हैं।

(ख) २६० लाख रुपये।

(ग) हाबरा उपनगर में एक आधुनिक मार्केट बनाई गई है। १,००० और मकानों का निर्माण प्रारम्भ हो चुका है और नारियों के लिये एक उत्पादन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सत्य है कि बिहार और उड़ीसा की बस्तियों में बसे हुए परिवारों में से कुछ एक कलकत्ता के उपनगरों अथवा खास कलकत्ता में लौट आये हैं ? यदि ऐसा है तो उन लोगों ने वहां बस जाने के पश्चात् फिर से लौट आने के लिए क्या कारण बताए हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : बहुत से परिवार पश्चिमी बंगाल को लौट चुके हैं। अन्य कारणों में यह भी बताए गए हैं कि वहां की परिस्थियां उन के अनुकूल नहीं हैं और यह कि वे कलकत्ता के निकट कहीं रहना चाहते हैं। इसी प्रकार के कुछ अन्य कारण भी बताए गए हैं।

श्री भागवत झा आजाद : क्या इस का एक कारण यह भी था कि उन्हें इन बस्तियों में कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त नहीं थीं ?

श्री जे० के० भोंसले : जी नहीं। वास्तव में इन तीनों राज्यों की सरकारों ने यथा सम्भव प्रयत्न किए हैं। हम इस सम्बन्ध में पूछताछ कर चुके हैं और हमें पता चला है कि जहां तक सुविधाओं इत्यादि का प्रश्न है वे जो कुछ कर सकते थे कर चुके हैं।

श्री टी० के० चौधरी : भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में, क्या यह सत्य है कि पूर्वी खंड के पुनर्वास मंत्रियों के उस सम्मेलन में जो हाल ही में कलकत्ता में हुआ था संघ सरकार के पुनर्वास मंत्री ने पश्चिमी बंगाल सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया था कि वहां पुनर्वास कार्य सन्तोषजनक नहीं रहा है और यह कि ६ करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च न हो कर बची रही ? स विषय में पश्चिमी बंगाल सरकार ने क्या उत्तर दिया है, और क्या कोई और प्रगति हुई है ?

श्री जे० के० भोंसले : प्रगति हो रही है किन्तु जहां तक पश्चिमी बंगाल सरकार

की प्रतिक्रिया का सम्बन्ध है यह तो हमें यथा समय ही पता लग सकेगा ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): इस विषय में जो कुछ बताया गया है उस का बहुत कुछ भाग माननीय सदस्य स्वयं देख चुके हैं ; सम्भवतः उन के पास इस से भी अधिक जानकारी होगी । इस में कुछ सन्देह नहीं कि धन के व्यय में कठिनाइयों का सामना रहा है, क्योंकि भूमि का कब्ज़ा लेने में कई प्रकार की वैध बाधाएं थीं । यही मुख्य कठिनाई है । तो भी पश्चिमी बंगाल ने इस पर विचार किया है और जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है हम ने इस बात की विशेष व्यवस्था की है कि वहां पर एक वरिष्ठ पदाधिकारी नियुक्त रहे जिसे तत्काल कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त हो, और हम वहां कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं ।

अस्वास्थ्यकर मकानों (चालों) का गिराया जाना

*७६२. **सेठ गोविन्द दास :** क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नगरों के अत्यंत अस्वास्थ्यकर किराये के मकानों (चालों) को गिराने या बिना प्रतिकर दिये उन के राज्य द्वारा ग्रहण कर लिये जाने के लिये एक उपयुक्त विधान बनाने का विचार किया जा रहा है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): सरकार का अभी इस प्रकार का कोई विधान बनाने का विचार नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि इन चालों की बहुत बुरी स्थिति होने के कारण हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी अपने एक दो भाषणों में कहा था कि इन चालों की कोई दुरुस्ती नहीं हो सकती और इनको गिरा देना ही इन से पिंड छुड़ाने का एकमात्र रास्ता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह ठीक है, मगर सवाल तो यह था कि क्या इस वक्त कोई ऐसा कानून जेर गौर है या नहीं ।

सेठ गोविन्द दास : अगर कोई कानून बनाया जाने वाला नहीं है तो फिर इन चालों को क्या इसी तरह रखा जायगा जिस तरह से कि वह अभी हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह कानकरेंट लिस्ट में हैं और इन के लिये स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि पुरानी चालों की बात तो अलग है, कई प्रान्तों में और कई स्थानों में इस तरह की नई चालें तक बनाई जा रही हैं, और क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को लिखेगी कि इस तरह की चालों के बनने की कोई इजाज़त आगे को न दी जाय ?

सरदार स्वर्ण सिंह : आम तौर पर ये इजाज़त से नहीं बनतीं । बन जाती हैं, कुछ जोर से कुछ नाजाज़त कोशिश से । प्रान्तीय सरकारों को इस विषय का बखूबी अहसास है और वे इस को रोकने की मुनासिब कार्रवाई करेंगी ।

डा० रामा राव : यदि सरकार कोई ऐसी कार्यवाही करना चाहती है तो इन चालों को गिराने से पहले क्या सरकार वैकल्पिक आवास अथवा वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह एक कल्पनात्मक प्रश्न है ।

भारत-जापान करार

*७६३. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **प्रधान मंत्री** १३, सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जापान के मध्य होने वाले शिल्पिक सहयोग करार का ब्यौरा अन्तिम रूप में तैयार हो चुका है ;

(ख) यदि हो चुका है तो क्या उस करार की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ; तथा

(ग) यदि नहीं हुआ है, तो यह मामला इस समय किस प्रक्रम में है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग). भारत-जापान शिल्पिक सहयोग करार के प्रारुप के ब्यौरे पर भारत सरकार द्वारा विचार किया गया था और उसे अन्तिम रूप दिया जा रहा था जब कि जापान सरकार से इस करार का एक पुनरीक्षित प्रारूप प्राप्त हुआ। यह पुनरीक्षित प्रारूप इस समय विचाराधीन है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या इस शिल्पिक सहयोग में भारत में फैक्टरियां स्थापित करने के उद्देश्य से कुछ जापानी विशेषज्ञों का यहां भेजा जाना भी सम्मिलित होगा ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे खेद है, हम इस समय प्रस्थापित करार के ब्यौरे के सम्बन्ध में सूचना नहीं दे सकते।

रंग और रोगन

*७६५. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की रंग और रोगन की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ; और

(ख) इस आवश्यकता का कितना भाग स्वदेशी उत्पादन से पूरा किया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ३३,००० टन।

(ख) यों तो सभी मांग स्वदेशी उत्पादन से पूरी की जाती हैं।

श्री झूलन सिंह : क्या सभी मांग स्थानीय उत्पादन से पूरी की जाती है, और क्या देश में आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने की आशा है ताकि हम निर्यात कर सकें ?

श्री कानूनगो : जी हां, ऐसा हो सकता है यदि यहां के पूरे सामर्थ्य को काम में लाया जाये और देश में हर की मांग बढ़ जाये।

कुमारी एनी मैस्करीन : क्या सरकार ने भारत में ही रंगों के निर्माण की संभावना का कोई सर्वेक्षण किया है ?

श्री कानूनगो : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में मैं बता चुका हूं कि देश की रंगों की आवश्यकताओं को देश ही पूरा कर देता है।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सच है कि इन रंगों की मूल सामग्री जैसे कि तामचीनी, प्लास्टिक्स और अन्य वस्तुएं बहुत बड़ी मात्री में बाहर से ही मंगाई जाती हैं ?

श्री कानूनगो : कुछ वस्तुएं मंगाई जाती हैं।

कुमारी एनी मैस्करीन : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य में टिटेनियम उत्पादों से रंग बनाने की संभावना है ?

श्री कानूनगो : एक संस्थापन यह काम कर रहा है।

लोहा और इस्पात

*७६६. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोहा तथा इस्पात के निर्माण के लिये किसी निजी सार्थ को समवाय चलाने की अनमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस सार्थ का नाम क्या है तथा वह भारतीय है या विदेशी ; और

(ग) क्या विदेशी सार्थों को इस सार्थ की सहायता करने का निमंत्रण दिया जा रहा है, और क्या सरकार के पास इस की पूरी योजना रखी हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इस सिलसिले में निजी सार्थों के साथ अनौपचारिक बातचीत चल रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जिस स्वरूप की विकास योजना हमारे विचाराधीन है उस में सभी तरह की अनौपचारिक बातचीत चलाई जा रही है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या मंत्री जी ने इस प्रकार की बातचीत को मूक स्वीकृति दी है ?

श्री करमरकर : नहीं, श्रीमान ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : १९४८ के औद्योगिक नीति विवरण, जिस के अनुसार इस्पात करखानों के विकास का प्रश्न गैर-सरकारी क्षेत्र में आता है, को दृष्टि में रखते हुए यह निजी क्षेत्र किस प्रकार अस्तित्व में आ रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार से कोई भी इस में भाग ले सकता है, और किसी भी बात पर चर्चा चला सकता है—यहां तक कि गैर सरकारी क्षेत्र वाले भी इस में भाग ले सकते हैं और इस सब को सरकारी क्षेत्र में ही मिलाया जा सकता है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या कई गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा की जाने वाली लिखापढ़ी के फलीभूत होने और सरकार द्वारा अभी तक स्थिति का स्पष्टीकरण न करने के परिणामस्वरूप बाद में उलझनें तो पैदा नहीं होंगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह प्रश्न अनेक पूर्वधारणाओं पर आधारित है, जो मेरे विचार से कभी भी फलीभूत नहीं होंगी ।

कोक-सम्बन्धी समिति

*७६७. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोक की मांग और पूर्ति के सम्बन्ध में पूछताछ कराने के लिये सरकार का कोई समिति बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति कब बनाई जाएगी ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) एक समिति जो अन्य बातों के साथ साथ इस की पूछताछ भी करेगी, सरकारी संकल्प संख्या पी सी (तृतीय) ४/६८/५४ दिनांक १८ नवम्बर, १९५४ के अनुसार बनाई गई है जिस की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७५].**

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह समिति देश में नये कोक भट्टी संयंत्र लगाने के सम्बन्ध में भी जांच करेगी ?

श्री एस० एन० मिश्र : समिति के निर्देश पदों में से एक यह भी है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या दुर्गापुर में एक ऐसा संयंत्र लगाने के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल सरकार की योजना पर योजना आयोग और पश्चिमी बंगाल सरकार ने विचार किया है और उस पर निश्चय किया जा चुका है या कि उसे इस समिति को सौंप दिया गया है ?

श्री एस० एन० मिश्र : वह भी इस समिति को सौंप दी गई है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस समिति द्वारा अपनी कार्यवाही कब समाप्त किये जाने की आशा है और वह अपना प्रतिवेदन कब देगी ?

श्री एस० एन० मिश्र : उस ने अभी तक अपना काम प्रारम्भ नहीं किया इसलिये इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन है ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या माननीय मंत्री निर्देश पदों की सूची यदि वह बहुत लम्बी न हो, पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री एस० एन० मिश्र : वह तो सभा पटल पर रखी जा चुकी है ।

रेशम के कोयों के परीक्षण सम्बन्धी विनियम

*७६८. **श्री केशवैयंगार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार रेशम के कोयों के परीक्षण के लिये एक केन्द्रीय विनियम लागू करना चाहती है, और

(ख) यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). रेशम के कोयों के परीक्षण का सम्बन्ध इन के विक्रय से है । राज्य सरकारें रेशम के कोयों की मंडियों की स्थापना पर विचार कर रही हैं । मैसूर सरकार ने हाल ही में प्रयोगात्मक ढंग पर विशेष क्षेत्रों में अधिसूचित बाज़ारों की स्थापना की है ।

श्री केशवैयंगार : क्या केंद्रीय रेशम बोर्ड ने सारे भारत के लिये यह अधिनियम पास किये जाने की प्रार्थना की है और क्या सरकार ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली है ?

श्री करमरकर : केंद्रीय रेशम बोर्ड की विकास समिति की सिफारिश पर राज्यों से कहा गया था कि इस बात की जांच करें कि इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त विधान बनाना चाहिये या नहीं ।

अणु के रहस्य

*७६९. **श्री टी० के० चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शन्ति पूर्ण प्रयोजनों के लिये अणुशक्ति के विकास सम्बन्धी गवेषणा में संयुक्त राज्य अमरीका की सहायता प्राप्त करने की सम्भावना जानने के लिये अणु शक्ति के सम्बन्ध में हाल ही में पास किये गये अमरीकी विधान के उपबन्धों का अध्ययन किया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अमरीका से कोई प्रार्थना की गई है ; और

(ग) क्या सरकार ने इसी प्रकार अन्य देशों से भी प्रार्थना की है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). अमरीका के अणुशक्ति अधिनियम, १९५४ पर पूरी तरह विचार किया गया

है । अमरीका से इस अधिनियम के अधीन कोई प्रार्थना नहीं की गई । परन्तु कुछ वस्तुओं के देने के सम्बन्ध में अमरीका से कुछ बात-चीत की गयी है और इन वस्तुओं के लेने का प्रबन्ध किया गया है ।

कुछ मामलों के सम्बन्ध में भारत का फ्रांस से औपचारिक समझौता है और ब्रिटेन और नार्वे के साथ भी सम्पर्क है ।

श्री टी० के० चौधरी : हम ने शान्ति-पूर्ण प्रयोजनों के लिये अणु शक्ति के विकास के लिये यूरेनियम और थोरियम देने का जो प्रस्ताव किया है, उस के सम्बन्ध में अमरीका और संयुक्त राष्ट्र संघ में अणु शक्ति संग्रह के सम्बन्ध में संकल्प रखने वाले अन्य छै राष्ट्रों की क्या प्रगति है, और क्या उस के आधार पर कोई नया समझौता करने का प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : भारत ने किसी को भी यूरेनियम देने का प्रस्ताव नहीं किया है । हम स्वयं कहीं और से यूरेनियम लेना चाहते हैं न कि इसे दूसरों को देने का प्रस्ताव करते हैं । शायद माननीय सदस्य का संकेत किसी भाषण में कही गयी किसी सामान्य बात की ओर है । उस में कहा गया था कि हम कुछ प्रकार के रेत और खनिज पदार्थ देने को तैयार हैं जिन से सम्भवतः यूरेनियम निकल सके । ऐसे रेत हमारे पास बहुत हैं । यूरेनियम देने की बात नहीं कही गयी थी ।

श्री टी० के० चौधरी : जहां तक मुझे याद है, समाचार में यही कहा गया था । प्रस्ताव तो यूरेनियम और थोरियम देने का था ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : सम्भव है कि ऐसा हो, मैं ने समाचार नहीं देखा । मैं यह बात सोच ही नहीं सकता कि हम ऐसी वस्तु देने का प्रस्ताव करें जो हमारे पास है ही नहीं । यह तो एक आम बात कही गयी थी कि यदि कुछ शर्तें पूरी की जायें तो हमारे पास जो भी वस्तु काफी मात्रा में होगी, हम वह देने को तैयार हैं । तो, वह तो अस्पष्ट बात थी । किसी भी देश के साथ उस का सौदा करने का प्रश्न ही नहीं है । बात तो यह कही गयी थी कि यदि कोई अन्तर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जाय तो उस पर विचार किया जायेगा परन्तु साथ ही यह भी देखा जायगा कि कौन सा पक्ष उस संस्था को चलाता है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या अमरीका और पश्चिमी देशों ने अणु शक्ति का प्रयोग शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये करने के सम्बन्ध में भारत को एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की व्यवस्था करने वाली समिति में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी, नहीं ।

इंजीनियरों की गोष्ठी

*७७०. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरों की गोष्ठी ने, जो हाल ही में रुड़की में हुई थी, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये एक उप-समिति बनाई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस की सिफ़ारिशें क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) उप-समिति ने अभी अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है ।

श्री जेठालाल जोशी : क्या इस गोष्ठी में कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने यह राय प्रकट की कि इंजीनियर अन्य विभागों के कर्मचारियों से अधिक भ्रष्ट नहीं हैं ? सरकार को इस सम्बन्ध में क्या कहना है ?

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : यह तो किसी एक इंजीनियर की राय है और इस का महत्त्व यहीं तक है ।

श्री जेठालाल जोशी : क्या सरकार को यह पता चला है कि कर्मचारियों के हित एक से हैं और वे एक दूसरे से सहमत हैं जिस के फलस्वरूप इंजीनियरों को टेण्डर मंगाने से ले कर काम के पूरा होने तक सम्बद्ध व्यक्ति हिस्सा देते रहते हैं और इस का परिणाम यह होता है कि काम अच्छा नहीं होता ? यदि हां, तो १९५३–५४ में ऐसे कितने मामलों का पता चला है और विभागीय कार्यवाही की गई है ?

श्री हाथी : भ्रष्टाचार में बहुत से कुव्यवहार शामिल हैं, और यह भी उन में से एक हो सकता है । और जहां तक सरकार का सम्बन्ध है बिल्कुल इसी प्रकार का कोई मामला उन के ध्यान में नहीं आया है । परन्तु, सरकार को कुछ और मामलों का पता चला है और उन में कार्यवाही की गई है। परन्तु ऐसे कितने मामले हुए हैं, यह बताने के लिये मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है ।

पंचवर्षीय योजना

*७७१. **श्री संगण्णा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार है कि पंच वर्षीय योजना भूतपूर्व फ्रांसीस बस्तियों पर भी लागू की जाय जो १ नवम्बर १९५४ से वास्तव में भारत में विलीन हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना के आर्थिक पहलू में कोई परिवर्तन होगा ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) और (ख). सरकार पंच वर्षीय योजना के अधीन कृषि तथा औद्योगिक विकास के कार्यक्रम को पांडीचेरी, कारीकल, यनाम और माहे पर भी लागू करने पर विचार कर रही है । योजना आयोग शीघ्र ही अपना एक कार्यक्रम सलाहकार वहां भेजेगा जो उस क्षेत्र की हालत की जांच करेगा और विकास के लिये उपयुक्त प्रस्थापनायें तैयार करेगा ।

श्री संगण्णा: क्या इन बस्तियों में पंच वर्षीय योजना के सभी पहलू लागू होंगे या कुछेक ही ?

श्री एस० एन० मिश्र : यह तो स्थानीय हालत के अनुसार ही होगा । कार्यक्रम सलाहकार इसी प्रयोजन से इस क्षेत्र में जा रहा है ।

श्री संगण्णा : पंच वर्षीय योजना पर अब जितना खर्च होना है, उस के अतिरिक्त और कितना खर्च होगा ।

श्री एस० एन० मिश्र : मैं इस प्रश्न का मतलब नहीं समझा ।

श्री संगण्णा : मैं यह जानना चाहता हूं कि पंच वर्षीय योजना में जितना खर्च करने का उपबन्ध है उस के अतिरिक्त कितना खर्च होगा ।

अध्यक्ष महोदय : वे यह जानना चाहते हैं कि क्या और खर्च की व्यवस्था करनी पड़ेगी ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा): पंच वर्षीय योजना इतनी बड़ी है कि इस सम्बन्ध में जो कुछ करना पड़े वह उस में शामिल हो सकता है ।

उर्वरकों का क्रय

*७७२. **श्री मुरारका** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लोक लेखा समिति द्वारा अपनी बारहवें प्रतिवेदन की कंडिका ८ में व्यक्त इस विचार से, कि मैसर्स कैन बैन्कस लिमिटेड से उर्वरक खरीदने के मामले में लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयुक्त द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई थी वह ठीक नहीं थी और विदेशों से भांडार खरीदने सम्बन्धी स्थायी नियमों के अनुसार नहीं थी, सहमत है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). प्रश्नान्तर्गत खरीद वर्ष १९४९ से सम्बन्धित है । उच्च आयुक्त ने उस समय लागू खरीद सम्बन्धी नियमों के किसी विशिष्ट उपबन्ध के विरुद्ध कार्य नहीं किया था । जैसा कि १५ नवम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न सख्या २ के भाग (ग) के उत्तर में बताया गया था कि तब से भारत भांडार विभाग द्वारा पालन किये जाने वाली नीति तथ्य प्रक्रिया का नियमन करने वाले तथा सम्बद्ध प्राधिकारियों की शक्तियों की परिभाषा करने वाले विस्तृत नियम प्रख्यापित किये जा चुके हैं ।

श्री मुरारका : मैं जान सकता हूं कि एक ऐसी कम्पनी को, जिस का मूलधन कठिनाई से १,००० पौंड था, १२०० लाख रुपये के मूल्य का आर्डर दिये जाने के क्या कारण थे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इन सभी बातों पर श्री राजाध्यक्ष ने अपनी जांच के समय विचार किया था और अब कोई और नवीन बात नहीं कही जा सकती है । यह सत्य है कि उक्त कम्पनी का प्राधिकृत मूलधन बहुत कम निश्चित किया गया था परन्तु एक निर्देश था जिसमें उक्त कम्पनी के कार्य सम्पादन क्षमता के सम्बन्ध में अच्छी रिपोर्ट दी हुई थी ।

श्री मुरारका : क्या सरकार को इस में कुछ हानि हुई है, यदि हां, तो कितनी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता होगी ।

नर्मदा घाटी परियोजना

*७७५. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री २४ फरवरी १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३४ के उत्तर का निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा घाटी परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ख) इस परियोजना पर कब तक कार्य प्रारम्भ किये जाने की आशा है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७६]**.

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह परियोजना केवल सिंचाई तक ही सीमित है अथवा यह बहुप्रयोजनीय है ?

श्री हाथी : इस परियोजना में चार विभिन्न परियोजनाओं की पूर्वकल्पना की गई है । इन में से दो सिंचाई तथा विद्युत

के लिये होंगी, और शेष ो में से एक सिंचाई के लिये होगी और एक विद्युत के लिये होगी। यह समग्र रूप से एक परियोजना नहीं है अपितु इस में चार विभिन्न परियोजनायें सम्मलित हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह परियोजना कब पूर्ण होगी ?

श्री हाथी : इस परियोजना पर योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई प्रविधिक मंत्रणा समिति द्वारा विचार किया जायेगा और उक्त समिति के प्रतिवेदन के पश्चात् संभव है कि इसे अगली पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया जाये। अतः, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, कि वास्तव में यह परियोजना कब प्रारम्भ की जायेगी ?

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस भाखड़ा-नंगल परियोजना में सम्मिलित तीनों सरकारों की स्थिति . . .

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नर्मदा घाटी परियोजना के सम्बन्ध में है।

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को दृष्टांक

*७७६. **श्री मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में टिके कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने भारत-पाकिस्तान पारपत्र प्रणाली के लागू किये जाने से ३० सितम्बर, १९५४ तक समाप्त होने वाली अवधि में पाकिस्तानी पारपत्र पर भारतीय दृष्टांक के लिये आवेदन किया है; और

(ख) दिल्ली में अब तक पाकिस्तानी पारपत्रों पर कितने भारतीय दृष्टांक जारी किये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख). दिल्ली में टिके हुए ४७२ पाकिस्तानी राष्ट्रजनों में से जिन्होंने १५ अक्टूबर, १९५२ से ३० सितम्बर, १९५४ तक की अवधि में पाकिस्तानी पारपत्रों पर भारतीय ई और ऐफ़ दृष्टांकों के लिये आवेदन किया था, ४४० को वह दृष्टांक स्वीकृत कर दिये गये थे, और उसी अवधि में दीर्घकालीन दृष्टांकों के ५४१ आवेदन पत्रों में से ७९ को ऐसे दृष्टांक स्वीकृत किये गये थे।

हिमालय अभियान

*७७७. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने पर्वतारोही दलों को हिमालय की चोटियों पर अभियान करने के लिये भारत आने की अनुमति दी गई;

(ख) उन में से कितने विदेशियों द्वारा संगठित किये गये थे ; और

(ग) क्या उन्होंने अपने अभियानों की समाप्ति पर कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किये ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख). दस पृथक दलों को, जो सभी विदेशी राष्ट्रजनों द्वारा संगठित किये गये थे, हिमालय की भारतीय चोटियों पर चढ़ने की अनुमति दी गई थी।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

श्री एन० बी० चौधरी : इस प्रकार के दलों के संगठन करने वाले किस राष्ट्र के हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : श्रीमान्, यह एक बहुत लम्बी सूची है। इस सम्बन्धी

जानकारी मेरे पास है और संभवतः एक विवरण के रूप में इसे मैं सभा-पटल पर रख सकुं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि यह ठीक रहेगा ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या उन पर्वतीय प्रदेशों में स्थित खनिज सम्पत्ति के सम्बन्ध में इन संगठन-कर्त्ताओं से कोई सूचना मिली ?

श्री अनिल के० चन्दा : इन पर्वतारोही दलों से हमें कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है ।

श्री जोकीम आल्वा : सभी राष्ट्रों के व्यक्तियों ने हिमालय पर चढ़ने की आज्ञा मांगी है, तो क्या सरकार का कोई ऐसा विचार है कि प्रशिक्षित भारतीय भी उन के साथ जा सकें और अपनी सरकार को प्रतिवेदन दे सकें ?

श्री अनिल के० चन्दा : इन में से कुछ अभियानों में भारतीय भी सम्मिलित थे ?

डा० रामा राव : जब इन अभियानों को आज्ञा दी गई थी तो भारत सरकार को प्रतिवेदन देने की, चाहे वे कुछ भी देते, शर्त क्यों नहीं रखी गई थी ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि पर्वतारोही अभियान से किस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वे अपने अभियान का प्रतिवेदन दें, मैं यह नहीं समझ सका कि यह कहां तक ठीक है । सच तो यह है कि वह भारतीय अथवा विदेशी हों—किसी अभियान से प्रतिवेदन मांगने का, चाहे वह अभियान वैज्ञानिक हो अथवा किसी अन्य प्रकार का, प्रश्न नहीं उठता । मेरे साथी ने अभी बताया है कि वे एक विवरण प्रस्तुत करेंगे । किसी विवरण का अब कोई प्रश्न नहीं है, मैं आप को अभी बताये देता हूं कि वे अभियान क्या थे ? १९५३ में फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश-न्यूज़ीलैंड वाले अभियान थे । १९५२ में ब्रिटिश अभियान, आक्सफोर्ड विश्व विद्यालय (ब्रिटिश) अभियान, और एक नया फ्रांसीसी अभियान थे । १९५१ में फ्रांसीसी अभियान गढ़वाल को, ब्रिटिश अभियान कल्लू को, न्यूज़ीलैंड अभियान टेहरी गढ़वाल, हिमालय को, और श्री लंका विश्वविद्यालय वैज्ञानिक अभियान गढ़वाल हिमालय को गये थे । अन्य बहुत से अभियान भी हैं जो छोटे छोटे पहाड़ों पर गये—इस में हमें कोई आपत्ति नहीं है । सामान्यतः हम आन्तरिक रेखा के आगे किसी को नहीं जाने देते । जिन अभियानों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं वे अभियान भारतवर्ष में नहीं अपितु नैपाल में हुए हैं; अगर नैपाल सरकार ने उस को आज्ञा दी थी तो उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था । ये सभी उच्च शिखर भारतवर्ष में नहीं अपितु नैपाल में हैं। शेष स्थानों तक, जो कि आन्तरिक रेखा के अन्तर्गत आते हैं, जैसा कि मैं ने बताया है, कोई भी नहीं जा सकता । संभवतः माननीय सदस्यों को याद होगा कि भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिये हम ने अभी हाल ही में एक विशेष पर्वतारोही संस्था खोली है ।

फ्रैंकफर्ट में अन्तर्राष्ट्रीय मेला तथा प्रदर्शनी

*७७८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने फ्रैंकफर्ट में सितम्बर, १९५४ में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय मेला तथा प्रदर्शनी में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की भारतीय वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया था ;

(ग) भारतीय प्रदर्शन-कक्ष का उद्घाटन किस ने किया था और कितने प्रमुख व्यक्ति इस उत्सव में सम्मिलित हुए ; और

(घ) क्या प्रदर्शनी में रखी गई वस्तुओं की बिक्री हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७७].**

(ग) भारतीय दूतावास, **बॉन,** के प्रभारी दूत श्री बी० पी० अदारकर के हाथ में ही इस का सारा नियंत्रण था ।

लगभग २५० ।

(घ) जी नहीं ।

भाग (ग) के उत्तर में, जहां तक कि मैं जानता हूं, यह और जोड़ देना चाहता हूं कि श्री अदारकर ने ही उद्घाटन के उत्सव पर भाषण दिया था ।

श्री एस० सी० सामन्त : राजदूत ने अपना भाषण किस भाषा में दिया था ?

श्री करमरकर : वे जर्मन भाषा में बोले थे और उन्होंने अच्छी जर्मन भाषा का प्रयोग किया था ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या भारत सरकार को इस प्रदर्शनी में सम्मिलित होने और अपने विभिन्न सामानों को भेजने के लिये उचित समय पर निमंत्रण मिल गया था ?

श्री करमरकर : मेरा तो ऐसा ही विचार है ।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण में जिन वस्तुओं का उल्लेख है उन में से किस वस्तु की मांग अधिक है ?

श्री करमरकर : इस के लिये तो मुझे पूर्वसूचना चाहिये । हालांकि मैं समझता हूं कि ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग-धन्धों द्वारा उत्पादित वस्तुएं दर्शकों का अधिक ध्यान आकर्षित कर रही थीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : जिन वस्तुओं का वहां प्रदर्शन हुआ था क्या वे वापस कर दी गई हैं अथवा वहां के दूतालय ने रख ली हैं ?

श्री करमरकर : सामान्यतः यदि उन को बेच कर के समाप्त करने का विचार हो तो ऐसा ही किया जाता है । किन्तु इन सभी वस्तुओं को वहां के दो सार्थ क्रय करना चाहते थे, किन्तु उन की शर्तें सन्तोषजनक नहीं थीं अतः उन की मांग हमने स्वीकार नहीं की । मैं इस समय यह बताने में असमर्थ हूं कि वे वस्तुएं इस समय कहां हैं ।

पांडिचेरी

***७७९. पंडित सी० एन० मालवीय :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी प्रशासन ने पांडिचेरी में सभी सार्वजनिक सभाओं तथा ट्रेड़ यूनियन की सभी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के वशीभूत हो कर प्रशासन को यह व्यवस्था करनी पड़ी ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). पांडिचेरी

में सार्वजनिक सभा तथा ट्रेड यूनियन की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने वाले कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं। यों तो मुख्य आयुक्त ने राजनैतिक नेताओं को यह बताया है कि यही अच्छा होगा कि वे आगामी तीन या चार महीनों तक जब तक कि नया प्रशासन ठीक रूप से काम नहीं करने लगता सार्वजनिक सभा अथवा प्रदर्शन न करें। ट्रेड यूनियन की बैठकों के सम्बन्ध में उन्होंने यह सुझाव दिया है कि या तो वे मकानों में हों अथवा सार्वजनिक (सरकारी) स्थानों पर न हो कर निजी व्यक्तियों के प्रांगणों में हों। लगभग सभी राजनैतिक-नेताओं ने मुख्य आयुक्त की सलाह की सराहना की है। हालांकि एक नेता ने इस की आलोचना की थी।

पंडित सी० एन० मालवीय: क्या मैं यह समझूं कि सार्वजनिक सभाओं अथवा अन्य गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने वाला कोई आदेश नहीं है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): जी हां, आप ऐसा ही समझें।

श्री टी० के० चौधरी: क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि जिन बहुत से राजनैतिक कर्मचारियों के विरुद्ध फ्रांसीसी प्राधिकारियों ने कार्यवाही की थी उन पर अभियोग चलाने के लिये प्रशासक ने अभी हाल ही में आदेश जारी किये हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: जी नहीं। यह तो गलत धारणा है। संभवतः माननीय सदस्य को माही का ख्याल है। बात यह हुई कि मुख्य अयुक्त को यह नहीं मालूम था कि कार्यवाही निलम्बित थी और इन व्यक्तिओं को कार्यवाही समाप्त करने के लिये न्यायालय में बुलाया गया—ताकि कार्यवाही को समाप्त करने के लिये कुछ वैधानिक कार्यवाही की जा सके और फिर आगे कार्यवाही न हो। जब उन को बुलाये जाने की सूचना मिली तो उन्होंने यह सोचा कि उन के खिलाफ़ कुछ और होगा इसलिये शायद माननीय सदस्य तथा अन्य व्यक्तियों से उन्होंने शिकायत की। वास्तव में तो उन के विरुद्ध जो कार्यवाही हो रही थी उस को समाप्त करने के लिये ही कुछ औपचारिक कार्यवाही की गई थी।

श्री टी० बी० विट्ठल राव: राजनैतिक नेताओं की भेंट के समय मुख्य आयुक्त को यह बताया गया था कि कुछ पुलिस पदाधिकारियों को हटा देना चाहिये। उन का स्थानान्तरण करने के लिये मुख्य आयुक्त सहमत भी हो गये थे किन्तु उन का अभी तक स्थानान्तरण नहीं हुआ है।

श्री जवाहरलाल नेहरू: पांडेचरी में भेंट के समय क्या कहा गया था, इस के बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं है; किन्तु फिर भी मान लीजिए कि यह जानकारी मुझे हो भी तो भी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे, कि मैं गुप्त बातें मैं कदाचित् यहां नहीं बता सकता।

पाकिस्तान में पीछे रह गये भारतीय मुसलमान

*७८०. **श्री एम० एल० अग्रवाल**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भारतीय मुसलमान अब भी पाकिस्तान में रह गये हैं जो प्रधान मंत्री करार, जो अप्रैल १९५० में हुआ था, के अनुसार भारत आ सकते हैं ; और

(ख) उन के भारत आने के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) तथा (ख). वर्तमान

व्यवस्था के अनुसार ८ अप्रैल, १९५० को हुए प्रधान मंत्रियों के करार के आधार पर जो, भारत तथा पाकिस्तान सरकार ने मई १९५० में स्वीकार कर लिया है, वे मुसलमान जो उत्तर प्रदेश से १ फरवरी से ३१ मई, १९५० के बीच, पश्चिमी पाकिस्तान गये थे, उत्तर प्रदेश लौटने के अधिकारी हैं।

इन आप्रवासियों के लौटने के सम्बन्ध में दोनों देशों द्वारा स्वीकृत निर्धारित प्रक्रिया यह है कि लौटने के इच्छुक व्यक्तिओं की सूची पाकिस्तान सरकार द्वारा कराची स्थित भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय को भेज दी जाती है, जो सत्यापन के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को भेज देते हैं। पूर्व सत्यापन के परिणाम मिल जाने पर तथा यहां आने के अधिकारी उन आप्रवासियों की सूची के आधार पर, जिन्होंने सीधे राज्य सरकार से लिखा पढ़ी की है, उच्चआयुक्त वापस होने वाले व्यक्तियों के लिये वापसी के प्रमाण पत्र जारी करते हैं और ये प्रमाण-पत्र भारत सरकार द्वारा समय समय पर निश्चित किये जाने वाले कोटा के अनुसार ही होते हैं। इस प्रक्रिया के अनुसार अब तक २५,०९८ आप्रवासी मुसलमान भारतवर्ष आये हैं; अंतिम समूह मार्च १९५४ में ही आया है। पाकिस्तान सरकार से जो सूची मिली है उस में से ५,००० ऐसे व्यक्ति हैं, जिन के बारे में पूर्व सत्यापन हो चुका है, अभी आने बाकी हैं, इस के अतिरिक्त १०,००० ऐसे व्यक्ति हैं जिन का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व-सत्यापन होना अभी बाकी है।

भारत सरकार को उन व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है जो भारतवर्ष आने के अधिकारी हैं और अब भी पाकिस्तान में हैं, और जिन के बारे में पाकिस्तान सरकार ने वांछित सूची भारतीय उच्च आयुक्त को अभी नहीं भेजी है।

श्री एम० एल० अग्रवाल: वापस भेजने की प्रगति इतनी धीमी क्यों है ?

श्री अनिल के० चन्दा: इस के लिये हम उत्तरदायी नहीं हैं। जब तक कि वे आने के लिये तैयार न हों, तब तक हम यहां आने में उन की कैसे सहायता कर सकते हैं।

श्री अमजद अली: यह देखते हुए कि पाकिस्तान स्थित भारतीय मुसलमान भारत आने के लिये बराबर मांग कर रहे हैं; और पूर्वी पाकिस्तान से आसाम अथवा पश्चिमी बंगाल लौटने के लिये उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है — पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लिये कोई प्रत्यावर्तन नियम भी नहीं बनाये हैं—उन को लौटाने के लिये भारत सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): माननीय सदस्य आसाम अथवा बंगाल का उल्लेख कर रहे हैं, जब कि यह प्रश्न पश्चिमी पाकिस्तान के सम्बन्ध में है और जो कि एक बिल्कुल ही अलग प्रश्न है। यदि माननीय सदस्य विस्तृत रूप से प्रश्न करें तो हम विस्तृत रूप से उत्तर देंगे।

श्री अमजद अली: मैं तो आसाम तथा पूर्वी बंगाल की बात कर रहा हूं और प्रधान मंत्रियों का यह करार तो वहां भी लागू होता है।

श्री जवाहरलाल नेहरू: वहां भी अन्य बहुत सी बातें हैं। किन्तु फिर भी कोई आंकड़े में नहीं दे सकता।

श्री अमजद अली: इस समय आंकड़ों का कोई प्रश्न नहीं है।

जूट जांच आयोग का प्रतिवेदन

*७८२. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जूट जांच आयोग के प्रतिवेदन का परीक्षण कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन को किन सिफारिशों को सरकार ने कार्यान्वित करने का निश्चय किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) अपेक्षित जानकारी को बताने वाले सरकारी संकल्प संख्या १४(३)-जूट/५४, दिनांक ४ दिसम्बर, १९५४ की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । **पुस्तकालय में रखी गयी । [देखिये संख्या एस–४६९/५४].**

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि उत्पादकों की ओर से यह सामान्य शिकायत है कि कच्चे जूट और जूट से बनी वस्तुओं के मूल्यों में समुचित संतुलन नहीं रखा जा रहा है । यदि हां, तो इस अव्यवस्था को समाप्त करने के लिये जूट बोर्ड और जूट आयुक्तों को नियुक्त करने के सुझाव को सरकार ने क्यों अस्वीकृत कर दिया ?

श्री कानूनगो : यह मामला माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये एक अन्य प्रश्न में समाविष्ट है, पर बात यह है कि समिति ने इस मामले पर विचार कर के कुछ सिफारिशें की थीं और सरकार राज्य सरकार से परामर्श कर के इस निश्चय पर पहुंची है कि जिस उद्देश्य से वह सिफारिशें की गयी हैं उस प्रयोजन के लिये वे प्रभावपूर्ण नहीं सिद्ध होंगी ।

श्री एल० एन० मिश्र : जूट आयोग की भावी विक्रय सम्बन्धी सिफारिशों के सम्बन्ध में संकल्प में कुछ नहीं कहा गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या फटका बाज़ार के खुलने से जूट बाजार के सट्टे की कुछ उन्नति होगी । यदि हां, तो क्या सरकार वायदा बाजार बोर्ड द्वारा उसे नियमित बनाने का विचार करती है ?

श्री कानूनगो : संकल्प में इस की चर्चा तो की गयी है । संकल्प में बताया गया ह कि ऊंचे सट्टे की प्रवृत्ति को रोकने के लिये वायदा बाजार आयोग से एक मिला जुला बाजार संगठित करने को कहा जा रहा है ।

श्री एल० एन० मिश्र : जूट आयोग के सुझाव के अनुसार जूट के पौधे लगाने के ढंग के आधुनीकरण के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निश्चय किये हैं ?

श्री कानूनगो : सरकार ने सीमित आधार पर आधुनीकरण की अनुमति दी है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय स्वामित्व के जूट के कुछ व्यापारों की अनुज्ञप्तियां पाकिस्तान सरकार ने रद्द कर दी हैं, और यदि ऐसा है, तो पाकिस्तान से भारत को जूट के निर्यात पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री कानूनगो : चूंकि यह सूचना मेरे पास नहीं है, अतः मैं इस की पूर्व सूचना चाहता हूं ।

चाय

*७८३. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य पूर्व देश, जिन में मिश्र भी सम्मिलित है, को

चाय के निर्यात में अभी हाल में काफी कमी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). मिश्र और तुर्की के चाय के निर्यात का इस वर्ष का स्तर गत वर्ष के इसी समय के निर्यात के स्तर से कुछ नीचा है जब कि ईरान के निर्यात का स्तर कुछ ऊंचा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पूर्व स्थिति के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सकता। चाय की कमी के कारण इस वर्ष के शुरू के महीनों में सभी देशों को किये गये निर्यातो का स्तर कुछ नीचा रहा है।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों का पुनर्वास

***७८४. श्री बी० के० दास** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच ह कि पश्चिमी बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों के पुनर्वास के निमित्त वर्तमान वर्ष के लिये जो धनराशि दी गयी थी वह सम्पूर्ण राशि अब तक भी वैसी ही पड़ी हुई है और उस में से कुछ भी व्यय नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि लगभग ७ करोड़ की सम्पूर्ण राशि में से इस वर्ष कितना व्यय किया जा चुका है ?

श्री जे० के० भोंसले : अनुदानों तथा ऋणों की दो अलग अलग मदो के अधीन महालेखापाल के खाते के अनुसार अक्टूबर, १९५४ तक ६६.२८ लाख रुपये अनुदान और १२३.३४ लाख रुपये ऋण में से व्यय किये गये हैं।

श्री बी० के० दास : माननीय मंत्री ने बताया कि लगभग ५ करोड़ रुपये व्यय नहीं किये गये। इस का क्या कारण है ?

श्री जे० के० भोंसले : जैसा मैं ने बताया, पश्चिमी बंगाल सरकार के सामने विस्थापित लोगों के लिये भूमि की सब से बड़ी कठिनाई है और वह कठिनाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के पश्चिमी बंगाल भूमि विकास तथा योजना अधिनियम १९४८ को शक्ति परस्तात् घोषित करने के आदेश तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे मान्य कर देने के कारण अधिक बढ़ गई है और इस के अतिरिक्त आवंटन तथा व्यय में हमें काफी छानबीन करनी पड़ी है।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस विशेष मद-भूमि विकास के सम्बन्ध में कितना धन नियत किया गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या ५ करोड़ रुपये की वह राशि जो व्यय नहीं की गयी है, उस में से भूमि खरीदने के लिये रखी गयी राशि व्यापार ऋणों की श्रेणी में आती है ?

श्री जे० के० भोंसले : यह राशि शहरी, देहाती और आवास ऋणों की अलग अलग मदों के अधीन आती है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया, केवल भूमि प्राप्त करने की कठिनाई है, क्या मैं जान सकता

हूं कि स्वीकृत धन से अन्य योजनाओं को क्यों पूरा नहीं किया गया ?

श्री जे० के० भोंसले: योजनायें चल रही हैं; अभी वर्ष समाप्त नहीं हुआ है । राशि का एक तिहाई व्यय हो गया है ।

हथकरघा बुनकर

*७८५. **श्री इब्राहीम**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे हथकरघा बुनकरों की कुल संख्या कितनी है जो सहकारी संस्थाओं के सदस्य हैं और सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे हैं, और ऐसे हथकरघा बुनकरों की क्या संख्या है जो ऐसी सहकारी संस्थाओं के सदस्य नहीं हैं ; और

(ख) क्या बाढ़ वाली श्रेणी के बुनकरों की सहायता करने के लिये कोई योजना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो): (क) ३१ मार्च, १९५४ को सहकारी गुट के अन्तर्गत बुनकरों की संख्या लगभग ७,६५,००० थी । सहकारी क्षेत्र के बाहर के बुनकरों के सम्बन्ध में पक्की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) हां, श्रीमान् । (१) करघों के बुने कपड़ों के विक्रय पर प्रति रुपया एक आना बटा दिया जाता है ।

(२) हथकरघा उद्योग के लिये कुछ सूती धागे को सुरक्षित करना ।

(३) हथकरघों से बन कपड़े के लिये निर्यात विवणन योजना ।

श्री इब्राहीम : इस बात को ध्यान में रख कर कि वह बुनकर जो सहकारी गुट में नहीं हैं उन को सूत महंगे दामों पर मिलता है, क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे बुनकरों के हितों की सुरक्षा के लिये सरकार क्या उपाय करने जा रही है ?

श्री कानूनगो: वास्तव में, गत वर्ष सरकार द्वारा की गयी कुछ कार्यवाही के परिणामस्वरूप सूत के दामों में पर्याप्त कमी हो गयी है । यह बात कि सहकारी संस्था अपने संगठन द्वारा सस्ते दामों पर खरीदती है, दूसरों को सहकारी संस्था का सदस्य बनने के लिये प्रेरित करेगी ।

श्री इब्राहीम: क्या यह सच है कि सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिये जाने पर भी हथ करघा उद्योग संकट कालीन अवस्था में है ?

श्री कानूनगो : यह संकट काल तो सदा रहने वाला है । मैं समझता हूं कि सब से बुरा संकट काल तो व्यतीत हो गया ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का कोई विचार घेरलू बुनकरों को सहायता देने का है, विशेषकर आसाम में जहां प्रत्येक स्त्री स्वयं अपना कपड़ा बुनती है ? क्या उन को सूत उपलब्ध कराने का कोई विचार है, ताकि करघे काम कर सकें ?

श्री कानूनगो : जी हां । आसाम में पहले की अपेक्षा सस्ते सूत की उपलब्धता के लिये विशेष उपबन्ध कर दिया गया है ।

कोक ओवन प्लांट

*७८७. **श्री टी० के० चौधरी**: क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर में कोक ओवन प्लांट की स्थापना के सम्बन्ध में जो बातें केंद्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार से पूछी थीं, उन के क्या उत्तर प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) उन की स्थापना में क्या प्रगति हुई है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) दुर्गापुर में कोक ओवन प्लांट की स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार से कोई विशेष प्रश्न नहीं पूछे थे, पर ३० अगस्त, १९५४ को इस परियोजना सम्बन्धी बहुत से मामलों पर पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई थी।

(ख) कोक की मांग और उपोत्पाद और विद्युत् शक्ति की मांग और उपलब्धता सम्बन्धी स्थिति तथा परियोजना की अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी अन्य प्रश्नों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त कर ी गयी हैं।

श्री टी० के० चौधरी: क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान १ सितम्बर को तथा उस के कई दिनों बाद प्रकाशित प्रेस प्रतिवेदनों की ओर आकर्ि त कर सकता हूं कि अपनी प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में बंगाल सरकार अग्रेतर सूचना भेजे ? क्या यह काम पूरा हो गया या नहीं ?

श्री एस० एन० मिश्र: जब सारा मामला एक समिति को सौंप दिया गया है तो, हाल में, इस प्रकार की किसी बात के किसी अवसर का प्रश्न नहीं उठता।

श्री टी० के० चौधरी: क्या मैं यह समझ लूं कि दुर्गापुर कोक ओवन परियोजना व पश्चिमी बंगाल सरकार की गैस परियोजना की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त कर दी गयी है ?

श्री एस० एन० मिश्र मैं समझता हूं कि पश्चिमी बंगाल सरकार की सम्पूर्ण परियोजना उस समिति के क्षेत्र के अधीन रहेगी।

श्री टी० के० चौधरी: किन निर्देश-पदों के अधीन ?

श्री एस० एन० मिश्र: जैसा कि मैं ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया, जिस संकल्प के अनुसार यह समिति नियुक्त की गयी है वह सभा पटल पर रखा गया है और उस में सात निर्देश पद हैं।

एकस्व

*७८८. **श्री वी० पी० नायर**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सल्फा औषधियां तथा एण्टिबायोटिक्स के लिये भारतीय फर्मों, विदेशी फर्मों तथा विदेशी सहयोग प्राप्त भारतीय फर्मों द्वारा कितने वैध एकस्वों को काम में लाया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): सल्फा औषधियों तथा एण्टिबायोटिक्स के सम्बन्ध में लागू एकस्वों का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७८**]. इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि इन एकस्वों में से किन को भारत में काम में लाया जा रहा है।

श्री वी० पी० नायर: विवरण से मुझे ज्ञात होता है कि एण्टिबायोटिक्स के लिये लागू १६८ एकस्वों में से १६६ विदेशी फर्मों के नाम पर हैं, तथा सल्फा औषधियों के ४९ एकस्वों में से केवल ७ को छोड़ कर अवशेष विदेशी फर्मों के नाम पर हैं। विवरण के अनुसार अवशेष एकस्व भारतीय उपक्रमों के अधीन बनाये जाते हैं। मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार विदेशी फर्मों तथा विदेशी सहयोग प्राप्त भारतीय फर्मों के एकस्वों का विस्तृत विवरण देगी। मुझे जान नहीं पड़ता कि क्या ये भारतीय फम, विदेशी सहयोग प्राप्त फर्में हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि अवशेष थोड़े से एकस्व विदेशी सहयोग-प्राप्त भारतीय

फर्मों के पास हैं अथवा भारतीय फर्मों के पास ?

श्री करमरकर : मैं नहीं समझ सका कि यथार्थ तात्पर्य क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : वह विशेष रूप से यह जानना चाहते हैं कि क्या कुछ एकस्व, विदेशी सहयोग प्राप्त भारतीय फर्मों के पास हैं अथवा नहीं ?

श्री करमरकर : जी हां, कुछ हैं । मैं यह बता सकता था कि ....

श्री वी० पी० नायर : प्रश्न यह नहीं है । मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार हमें यह सूचना देगी कि विदेशी फर्मों, विदेशी सहयोग प्राप्त भारतीय फर्मों तथा भारतीय फर्मों के पास कितने एकस्व हैं ? विवर से मुझे ज्ञात हुआ कि कुछ भारतीय फर्मों को छोड़ कर लगभग सभी एकस्व विदेशियों को प्राप्त हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि ये भारतीय फर्में, विदेशी सहयोग प्राप्त भारतीय फर्में हैं अथवा पूर्णतः भारतीय फर्में ?

श्री करमरकर : जहां तक सल्फा औषधियों के निर्माणकर्ताओं को अनुज्ञप्तियां जारी करने का सम्बन्ध है, मैं इस समय यह उल्लेख कर सकता हूं कि विदेशी सहयोग-प्राप्त तीन भारतीय फर्मों मैसर्ज़ अतुल .....

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से नाम देना आवश्यक नहीं है । वह केवल संख्यायें चाहते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह मान लेना ठीक होगा कि एण्टीबायोटिक्स के दो तथा सल्फा औषधियों के सात एकस्व विदेशी सहयोग-प्राप्त भारतीय फर्मों के पास हैं ?

श्री करमरकर : जी नहीं; मैं ऐसा नहीं सोचता । मेरे उत्तर में गल्ती हो सकती है ।

श्री वी० पी० नायर : कुछ सत्र पूर्व जब हम एकस्वों के विधान के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे तो माननीय मंत्री ने यह वचन दिया था कि वह अनिवार्य औषधियों के एकस्व के सम्बन्ध में विदेशी फर्मों के एकाधिपत्य को भंग करने का प्रयत्न करेंगे । क्या मैं जान सकता हूं कि सभा में एकस्व विधि की चर्चा के समय दिये गये आश्वासन के समय से, सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री करमरकर : मुझे अपना आश्वासन ठीक ठीक याद नहीं आ रहा है । मुझे यह याद है कि मैं ने अपने माननीय मित्र को इस विषय पर बोलने से पहिले अध्ययन करने की सलाह दी थी ।

श्री वी० पी० नायर : आश्वासन श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने दिया था न कि आप ने ।

महानदी पुल समिति

*७८९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानदी पुल समिति के प्रतिवेदन का परीक्षण हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उनमें से कौन सी सिफारिशें स्वीकृत हुई हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) स्थिति की व्याख्या का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७९]

श्री कृष्णाचार्य जोशी : यह प्रतिवेदन कब तक अन्तिम रूप से तैयार हो जायेगा ?

श्री हाथी : जैसा कि मैंने पहिले प्रश्न में उल्लेख किया है, समिति का प्रतिवेदन कुछ

दिन पूर्व ही प्राप्त हुआ है तथा वह सरकार के विचाराधीन है ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि चम्पेकर समिति, जिसने इसकी तथा अन्य मामलों की जांच की थी इस परिणाम पर पहुंची है कि वित्तीय तथा अन्य प्रक्रिया नियमों की उपेक्षा की गई तथा मैसर्ज दुग्गल एण्ड को० की ठेकेदार फर्म का अनुचित पक्षपात किया गया ?

श्री हाथी : उस समिति की रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जाती है । उन्होंने इस प्रकार का विचार व्यक्त किया है ।

सामान्य भविष्य निधि का लेखा

*७९२. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य भविष्य निधि लेखे के कितने मामले पाकिस्तान की सरकार को सत्यापन करने के लिये भेजे गये; और

(ख) इनमें से कितने मामले पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रमाणित हो कर, प्राप्त हो चुके हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) ६,५९० ।

(ख) १,८८३ ।

श्री गिडवानी : भारत के विस्थापित कर्मचारियों द्वारा सामान्य भविष्य निधि में कितनी धनराशि का दावा किया गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : मेरे पास वे आंकड़े नहीं हैं ।

श्री गिडवानी : उन मामलों में, जिनके हिसाब पाकिस्तान सरकार द्वारा सत्यापित नहीं किये गये हैं, क्या करने का विचार किया गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : हमें आशा है कि शीघ्र ही पाकिस्तान के पदाधिकारियों के साथ हमारी एक बैठक होगी; तब ही हम कोई निर्णय कर पायेंगे ।

पत्रिकायें

*७९३. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क**: क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन लिसनर, आवाज़ तथा नभोवाणी के प्रकाशन में होने वाली हानि को रोकने के लिये इनको बन्द करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) अक्तूबर १९५४ के अन्त में इन तीन पत्रिकाओं की वर्तमान ग्राहक संख्या क्या है; और

(ग) क्या इन पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले कार्यक्रमों को अन्य पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जा सकता ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) अक्तूबर, १९५४ के अन्त में इन पत्रिकाओं की ग्राहक संख्या निम्न प्रकार थी :—

इंडियन लिसनर (अंग्रेजी)	८,७६५ प्रतियां
आवाज़ (उर्दू)	१,४४४ प्रतियां
नभोवाणी (गुजराती)	१,३०० प्रतियां

(ग) जी नहीं ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : इस प्रकाशन पर कितना व्यय होता है तथा इन पत्रिकाओं की बिक्री से कुल कितनी आय होती है ?

श्री करमरकर: मुझे इस के लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या ऐसी पत्रिकाओं को तेलुगू में प्रकाशित करने का भी कोई प्रस्ताव है ?

श्री करमरकर : मुझे आशा है कि तेलुगू तथा कन्नड़ भाषाओं में इन का प्रकाशन एक साथ ही लिया जायेगा ।

जड़ी बूटियां

*७९४. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ में कितने मूल्य की जड़ी-बूटियां भारत से बाहर भेजी गयी थीं; और

(ख) काश्मीर तथा शेष भारत से अलग-अलग कितने प्रतिशत निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). सरकारी सांख्यकी में जड़ी बूटियों के निर्यात के आंकड़े पृथक अभिलिखित नहीं किये जाते हैं । देश से निर्यात की जाने वाली सभी "औषधियों तथा दवाओं" की सांख्याकी रखी जाती है सूचना का संकलन उत्पाद के मूल के सम्बन्ध से नहीं होता, किन्तु पत्तन के लिये होता है जहां से माल निर्यात किया जाता है ।

तेल शोधनालयों में पूंजी लगाना

*७९५. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पूंजी विनियोजक तेल शोधनालयों की कुल पूंजी में केवल ५ करोड़ रुपये के अधिमान अंश ले सकते हैं ,

(ख) तीनों शोधनालयों के कुल विनियोग का यह कौन-सा अनुपात है: तथा

(ग) सरकार इन तीनों शोधनालयों को, जब ये पूर्ण उत्पादन करेंगे तो, अनुमानत: कुल कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का विचार कर रही है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) करार के अनुसार भारतीय पूंजी विनियोजक ३ १/२ करोड़ रुपये के अधिमान अंश क्रय करेंगे, किन्तु इस राशि को ४ १/२ करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है । इस के अलावा भी ऋण पत्रों तथा स्थानीय कर्जों के रूप में अग्रेतर भारतीय विनियोग हो सकता है ।

(ख) यदि जारी किये गये अधिमान अंशों की कुल राशि ३ १/२ करोड़ रुपया मान ली जाय तो, कुल विनियोग की तुलना में अधिमान पूंजी का अनुपात ६ प्रति शत होगा। किन्तु यदि ऋण पत्रों तथा स्थानीय कर्जों के रूप में कुल भारतीय विनियोग मिला लिया जाय तो यह अनुपात लगभग ३० प्रति शत होगा ।

(ग) शोधनालयों को कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है । शोधनालय करारों में जो आश्वासन दिये गये हैं, वे केवल परोक्ष सहायता तक ही सीमित हैं तथा उन की प्रतियां सभा-पटल पर रखी गई हैं । ऐसी परोक्ष सहायता का कुल अनुमान लगाना, तब तक सम्भव नहीं है जब तक सभी शोधनालय पूरा कार्य न करने लगें ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इस देश में विदेशी उपक्रमों में सरकार भारतीय पंजी के एक निश्चित अनुपात के लिये आग्रह करती है ?

श्री के० सी० रेड्डी: यह किसी भी विशेष मामले पर निर्भर है। तेल शोधक कारखानों के सम्बन्ध में करार का स्वरुप पहिले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

श्री के० सी० सोधिया : क्या सरकार को इन समवायों की व्यवस्था में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त है ?

श्री के० सी० रेड्डी: यदि माननीय मंत्री का तात्पर्य निदेशक बोर्ड में प्रतिनिधित्व से है तो इस का उत्तर है कि सरकार को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

धार्मिक वार्षिकोत्सव

*७४८. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आल इण्डिया रेडियो में हिन्दुओं, सिखों, मुसलमानों तथा ईसाइयों के धार्मिक वार्षिकोत्सवों को मनाने के लिये कुल कितना समय नियत है ; और

(ख) क्या इन वार्षिकोत्सवों के मनाने के लिये समय के वितरण सम्बन्धी कोई निर्धारित नियम हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) ९,५६५, मिनट।

(ख) नहीं, श्रीमान्। ऐसे अवसरों पर, साधारण रूप से तथा बिना किसी कठोरता के, विशिष्ट वार्ताओं के लिये समय नियत करने में आल इण्डिया रेडियो कुछ बातों का ध्यान रखता है। इन बातों का निम्न बातों से विशेष सम्बन्ध होता है :—

(१) सुनने वालों की रुचि।

(२) अवसर की वार्ता की सम्भावनायें और अपेक्षित प्रकार के व्यक्तिओं सहित वार्ता सामग्री की उपलब्धता।

(३) संबंधित जाति के लिये उत्सव का सार्थक महत्व या मान।

(४) वही वार्ता सारे सुनने वालों को उन के धार्मिक विश्वास चाहे कुछ भी हों, समान रूप से पसंद होगी, और अन्त में प्रत्येक केंद्र के मूल कार्यक्रम योजना की आवश्यकतायें।

काश्मीर

*७४९. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य के भारतीय संघ के साथ विलीनीकरण के बारे में भारत सरकार को कोई विरोध-पत्र भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो विरोध पत्र किस प्रकार का है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

क्लोज सर्किट टेलीविजन

*७५०. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्लोज़ सर्किट टेलीविज़न के वे यंत्र, जिन का प्रसारण आल इंडिया रेडियो के

दिल्ली स्टेशन से शनिवार, ३१ अगस्त, १९५४ को किया गया था, किस देश से आये थे ?

(ख) इन का क्या मूल्य है;

(ग) इन यंत्रों का सरकार क्या प्रयोग करेगी;

(घ) क्या टेलीविज़न के बड़े पैमाने पर प्रसारण के लिये ये यंत्र उपयुक्त हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन को किन स्थानों पर लगाया जा रहा है और ये कब काम देने लगेंगे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) 'क्लोज़ सर्किट टेलीविज़न' यंत्र, जिस का एक वाणिज्यिक सार्थ ने आल इण्डिया रेडियो के दिल्ली केन्द्र में प्रदर्शन किया था, अमरीका की रेडियो कारपोरेशन का बना हुआ है ।

(ख) कहा जाता है कि इस यंत्र का मूल्य लगभग १२,००० रुपये है ।

(ग) आजकल कोई टेलीविज़न यंत्र प्रयोग में नहीं है । अतः अभी यह कहना कठिन है कि ये यन्त्र प्रयोग किये जायेंगे या नहीं और यदि प्रयोग होंगे तो किस प्रकार । यहां जो यन्त्र दिखाये गये थे वे केवल प्रदर्शन के लिए थे ।

(घ) नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मद्य-निषेध

*७५३. **श्री मगन लाल बागड़ी** : क्या योजना मंत्री ३ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्य-निषेध की कार्यान्विति जांच कराने के लिए योजना आयोग का विचार एक समिति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब बनाई जायेगी;

(ग) इस के सदस्यों के नाम क्या हैं; तथा

(घ) इस के निर्देश-पद क्या होंगे ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) से (घ). मद्य-निषेध की कार्यान्विति की जांच कराने के लिए योजना आयोग शीघ्र ही एक समिति नियुक्त करेगा । समिति के सदस्यों तथा निर्देश-पदों पर विचार हो रहा है ।

चीन से व्यापार

*७५४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल भारत चीन से किन्हीं वाणिज्यिक वस्तुओं का आयात करता है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन सी वस्तुएं हैं; और

(ग) क्या चीन की सरकार ने भारत में कोई व्यापार आयुक्त कार्यालय खोला है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्ध में, चीन से मुख्यतया रसायनों, औषधियों तथा दवाइयों, यन्त्रों, तेलों, तेजपात, कच्चे रेशम तथा रेशम के कोयों, रेशम की बनी वस्तुओं, कच्ची खालों तथा आतिशबाज़ी का आयात किया गया ।

(ग) नई दिल्ली में स्थित चीनी राजदूतावास में वाणिज्यिक कार्य के लिए एक परामर्शदाता है ।

सीमेन्ट

७५५. **श्री एस० सी० सिंघल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार सीमेन्ट पर से नियन्त्रण हटाने का है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : नहीं, श्रीमान् । जब तक संभरण स्थिति में सुधार नहीं होता, तब तक नहीं ।

टिंचर

*७५८. **श्री डाभी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३४१ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस दिनांक के पश्चात् विभिन्न प्रकार की टिंचर के निर्यात तथा आयात एवं अन्तर्राज्यीय गति को नियमित करने वाली कोई केन्द्रीय विधि बनाने का कोई विनिश्चय हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो विनिश्चय किस प्रकार का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ख). प्रस्ताव पर राज्यों के साथ मिल कर विचार हो रहा है ।

कर्मचारियों का अभाव

*७६४. **श्री नानादास :**
ठाकुर युगल किशोर सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों तथा विभिन्न उद्योगों में कर्मचारियों के अभाव सम्बन्धी आंकड़े एकत्र कर लिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपलब्ध आंकड़ों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) कर्मचारियों के अभाव सम्बन्धी योजना आयोग की जांच केन्द्रीय मंत्रालयों को भेजी गई थी और इस का सम्बन्ध केवल विकास परियोजनाओं से था ।

(ख) जो सूचना प्राप्त हुई थी वह विशेषणात्मक थी और उस का आगे अध्ययन हो रहा है । अतः इसे सभा-पटल पर रखना सम्भव नहीं है ।

सरसों

*७७३. **सेठ अचल सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि दिल्ली में ऊंचे पैमाने पर सरसों का सट्टा होता है; और

(ख) यदि हां, तो इन अवैध गति-विधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या की जाने वाली है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सरकार को इस सम्बन्ध में व्यापार से कुछ सूचनायें मिली हैं ।

(ख) दिल्ली राज्य सरकार से आरोपों की जांच करने के लिए तथा इस मामले में यथोचित कार्यवाही करने के लिए कहा गया है ।

भाखड़ा बांध

*७७४. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा बांध के निर्माण के कार्य की प्रगति धीमी पड़ गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा में आदिम जाति शरणार्थी परिवार

*७८६. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक त्रिपुरा में कितने आदिम-जाति शरणार्थी परिवारों को पुनर्वास दिया गया है; और

(ख) वहां अभी कितने और परिवारों को पुनर्वास देना है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

स्वरपरीक्षण समिति

*७९०. **श्री डाभी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रसारण के लिए सिने-संगीत के रिकार्डों का वरण तथा क्रय करने के उद्देश्य से एक स्वर-परीक्षण समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन कौन हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भाखड़ा नांगल परियोजना

*७९१. **श्री एस० एन० दास** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री १८ नवम्बर, १९५४ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या १६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा भाखड़ा नांगल परियोजना के लिये ऋण के रूप में दी गयी राशि पंजाब, पैप्सू और राजस्थान के बीच किस प्रकार बांटी गयी है;

(ख) बंटवारे का आधार क्या है; और

(ग) क्या सम्बन्धित राज्य सरकारों से इस बारे में कोई करार हुये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) एक विवरण, जिस में अपेक्षित सूचना दी है, सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये** परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८०]

(ख) भाग लेने वाली सरकारों को किस्तों में ऋण दिया जाता है, और किस्तें साधारणतया उन के द्वारा किये गये व्यय की प्रगति पर आधारित होती हैं ।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की विधानीय समिति

*७९६. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र महा सभा की विधानीय समिति में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया था कि आक्रमण की संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा में एक देश के जल-प्रदाय का दूसरे देश द्वारा रोका जाना भी सम्मिलित होना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो कथित प्रस्ताव पर उस समिति की क्या प्रतिक्रिया थी ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र के और किसी सदस्य ने कुछ भी नहीं कहा है ।

विधानीय समिति ने आक्रमण की परिभाषा करने के प्रश्न को महा सभा के ग्यारहवें सत्र के लिए स्थगित कर दिया है, और यह महसभा १९५६ में आयोजित होगी ।

मोटर गाड़ियां

*७९७. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी:**
श्री संगण्णा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में मोटर-गाड़ियों की मांग में कमी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) पिछले वर्षों में मांग में कमी होती रही है ।

(ख) अनेक कारणों के साथ साथ मोटर गाड़ियों के अधिक मूल्य, सड़क परिवहन पर वर्तमान कराधान, और मोटरों के योग्य पर्याप्त सड़कों का अभाव उल्लेखनीय हैं ।

(ग) मोटरगाड़ियों के मूल्यों को गिराने की दृष्टि से सरकार ने पहले ही आयात-शुल्क में कमी कर दी है और देश में बनाई जाने वाली गाड़ियों की किस्म एवं नाम की संख्या सीमित कर दी है । यह प्रश्न आजकल विचाराधीन है कि और क्या कार्यवाही करनी चाहिये ।

पटसन जांच आयोग का प्रतिवेदन

*७९९. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने पटसन जांच आयोग १९५४ के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य द्वारा क्या टिप्पणियां दी गई हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जिन छः राज्यों की सरकारों से इस मामले में टिप्पणियां मांगी गई थीं, उन में से तीन सरकारों ने टिप्पणियां भेज दी हैं ।

(ख) राज्य सरकारों के साथ हुए शासकीय पत्र व्यवहार की बातें बताना लोकहित के अनुकूल नहीं होगा ।

कोसई योजना

*८००. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल द्वारा तैयार की गई कोसई योजना सरकार को प्रस्तुत हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमान से कितना व्यय होगा;

(ग) कब काम आरम्भ होने की आशा है;

(घ) इस योजना द्वारा कितने क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा; और

(ङ) गत पांच वर्षों में इन क्षेत्रों में बाढ़ के कारण अनुमानतः कितनी हानि हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) योजना आयोग के नाम भेजा गया राज्य सरकार की प्रस्थापना सम्बन्धी पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) लगभग २३ करोड़ रुपये । जब मार्च १९५५ के समीप परियोजना के प्राक्कलन तैयार हो जायेंगे तब शुद्ध आंकड़े मालूम होंगे ।

(ग) राज्य सरकार १९५६-५७ में कार्यारंभ करना चाहती है, यदि योजना को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने की बात मान ली गई ।

(घ) लगभग ८ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और लगभग ३९० वर्ग मील भूमि का बाढ़ से बचाव होगा ।

(ङ) राज्य सरकारें वार्षिक हानि के ठीक आंकड़े बताने में असमर्थ हैं । प्राय: प्रत्येक एक साल छोड़ कर कई लाख रुपये की हानि हो जाती है ।

मूल रसायन

*८०१. **श्री वी० पी० नायर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन मूल रसायनों की सूची तैयार कर ली है, जो आगामी तीन वर्षों के अन्तर्गत भारत में तैयार किये जाने हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं; और

(ख) १९५० से ले कर अब तक कितने सार्थों ने मूल रसायन तैयार करने वाले एकक स्थापित करने की अनुमति पाने के लिये प्रार्थना की है और उन में से कितने सार्थों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) सरकार ने प्राथमिकताओं के आधार पर एक सूची बनाई है । परन्तु यह कहना ठीक नहीं होगा कि कोई निश्चित समयावधि नियत की गई है । इन में अधिक महत्वपूर्ण रसायन ये हैं : गंधक का तेज़ाब, अमोनियम सल्फेट, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, क्लोरीन और उस के उत्पाद ।

(ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम केवल मई १९५२ में ही लागू हुआ था । उस के उपरांत २० सार्थों ने महत्वपूर्ण मूल रसायनों को तैयार करने की अनुमति पाने के लिये प्रार्थना की है । इन में से १७ सार्थों को लाइसेंस देने के लिये उपयुक्त समझा गया और एक सार्थ ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है ।

समावृत्त क्षेत्रों का विनिमय

*८०२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या प्रधान मंत्री २४ फरवरी १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३४८ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान सरकारों में दोनों देशों के बीच समावृत्त क्षेत्रों के विनिमय के बारे में अन्तिम रूप में कोई समझौता हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के अनुसार कब कार्यवाही होगी ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). कूच बिहार और पूर्वी बंगाल के समावृत्त क्षेत्रों के प्रस्थापित विनिमय के सम्बन्ध में भारत तथा पाकिस्तान के बीच अभी अन्तिम रूप में कोई समझौता नहीं हुआ है ।

सीमावर्ती घटना

*८०३. **श्री गिडवानी :**
श्री बहादुर सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर १९५४ के द्वितीय सप्ताह में पाकिस्तान पुलिस द्वारा एक पुलिस अधिकारी और बीस भारतीय ग्रामीण पकड़ लिये गये थे और लाहौर जेल में बन्द कर दिये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण थे ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान् । पाकिस्तान सीमावर्ती पुलिस ने भारतीय सीमा में रावी नदी में स्थित गट्टी (द्वीप) में अनाधिकार प्रवेश किया और १२ अक्तूबर १९५४ को २१ भारतीय ग्रामीणों को पकड़ लिया जिन में पंजाब (१) सशस्त्र पुलिस का एक

हैंड कांस्टेबल भी था, जो जंगली सुग्रों को मारने के लिये गट्टी में गया था, जो उस क्षेत्र में फसलों को नष्ट करते रहते थे। वे १९ अक्तूबर को छोड़ दिये गये थे।

जफना तम्बाकू

*८०४. **श्री एस० एन० दास :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जफना तम्बाकू के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पिस्टन के छल्ले

*८०५. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पिस्टन के छल्ले बनाने के लिये सरकार ने किसी सार्थ को लाइसेंस दिया है;

(ख) क्या भारतीय सार्थ के साथ किसी विदेशी सार्थ का भी साझा होगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या विदेशी सार्थ केवल शिल्पिक सहयोग ही देगा अथवा कुछ पूंजी भी लगायेगा;

(घ) इस परियोजना पर अनुमानत: कितनी पूंजी लगेगी और संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता क्या होगी; और

(ङ) यह संयंत्र अपना कार्य कब आरम्भ करेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) तथा (ख). यदि हाल ही में दिये गय लाइसेंस का उल्लेख किया गया है, तो इस का उत्तर सकारात्मक है।

(ग) दोनों।

(घ) इस सार्थ की अधिकृत पूंजी ५० लाख रुपये है और निर्गमित पूंजी २५ लाख रुपये है। खेद है कि आंकिकी एकत्रीकरण अधिनियम के अनुसार अधिष्ठापित क्षमता सम्बन्धी जानकारी नहीं दी जा सकती।

(ङ) यह संयंत्र अक्तूबर १९५६ तक कार्य आरम्भ कर देगा, ऐसी आशा की जाती है।

कैटालिस्ट (आवेजक)

*८०६. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर १९५४ की समाप्ति तक चालू वर्ष में सिन्दरी में कितनी मात्रा में कैटालिस्ट तैयार किया गया, और यह कितने मूल्य का था;

(ख) उक्त समय के अन्तर्गत फैक्टरी द्वारा कितनी लागत के कैटालिस्ट का उपयोग किया गया; और

(ग) इस का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा इस दिशा में सिन्दरी फैक्टरी कब तक स्वावलम्बी हो जायेगी ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) १,८६,५८६ पौंड कार्बन मोनोक्साइड परिवर्तन कैटालिस्ट, जिस का मूल्य २,३२,९४३ रुपये है।

(ख) ६३,८९९ रुपये।

(ग) इस कैटालिस्ट के मामले में सिन्दरी पहले ही स्वावलम्बी है।

विदेशों में भारतीय राजदूतावास

*८०७. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में विविध भारतीय राजदूतावासों में नियुक्त सभी राजदूत, प्रभारी दूत और उन के सचिव उस स्थान की भाषा जानते हैं, जहां वे नियुक्त किये जाते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उन के लिये स्थानीय भाषा सीखने के लिये कोई कालावधि निश्चित की गई है; और

(ग) किन किन राजदूतावासों के लिए हमें द्विभाषियों की आवश्यकता नहीं है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी नहीं, यह आवश्यक नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जिन देशों में हमारे दूतावासों में द्विभाषियों की आवश्यकता नहीं है, उन की सूची सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये** परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८१**]**

पश्चिमी बंगाल में सामुदायिक परियोजनाएं

५५४. **श्री एन० बी० चौधरी : क्या योजना मंत्री** पश्चिमी बंगाल में १९५४–५५ के अन्तर्गत अब तक स्थापित किये गये नवीन सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार खण्डों के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : १९५४–५५ के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार को दस राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड आवंटित किये गये थे । ये विस्तार खण्ड २ अक्तूबर १९५४ को आरम्भ हुए हैं, और निम्न क्षेत्रों में स्थापित हैं :—

१. रतुआ	जिला	मालदा
२. हरिश्चन्द्रपुर	”	”
३. खर्बा	”	”
४. रायगंज	”	पश्चिमी दिनाजपुर
५. हेमताबाद	”	”
६. कालियागंज	जिला	पश्चिमी दिनाजपुर
७. आराम बाग	”	हुगली
८. पुरसुरा	”	”
९. खानकुल	”	”
१०. बोलपुर	”	बीरभूम

१९५४–५५ के लिये अभी तक कोई सामुदायिक परियोजना खंड आवंटित नहीं किये गये हैं । १९५५ के आरम्भ में ऐसा करने का विचार है ।

भरतीय बाल कल्याण परिषद्

५५५. **श्री संगण्णा** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बाल कल्याण परिषद् द्वारा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए बच्चों की दशा का सर्वेक्षण करने की कोई योजना सरकार को प्रस्तुत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना कार्यान्वित की गई है, और यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख). सामान्य स्वरूप वाली एक योजना का प्रारूप हाल ही में प्राप्त हुआ था, परन्तु क्योंकि यह एक नवीन विषय है, इसलिये यह सुझाव दिया गया था कि किसी एक राज्य में एक अग्रिम योजना का प्रयोग किया जाये । अग्रिम योजना सम्बन्धी निश्चित प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

लोक-विद्युत् उपक्रमों द्वारा विद्युत् का उत्पादन

५५६. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री मई से अक्तूबर १९५४ तक के मासों में देश के लोक विद्युत उपक्रमों द्वारा उत्पादित विद्युत की कुल मात्रा बताने की कृपा करेंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : निम्न लिखित जानकारी दी जाती है :—

मास	वर्ष	उत्पादन
मई	१९५४	६३,१९ लाख के०डब्ल्यू०एच०
जून	१९५४	६२,५३ लाख के०डब्ल्यू०एच०
जुलाई	१९५४	६३,१३ लाख के०डब्ल्यू०एच०
अगस्त	१९५४	६३,२८ लाख के०डब्ल्यू०एच०
सितम्बर	१९५४	६२,५० लाख के०डब्ल्यू०एच०
अक्तूबर	१९५४	६३,७९ लाख के०डब्ल्यू०एच०
योग		३,७८,४२ लाख के०डब्ल्यू०एच०

पंजाब को अनुदान

५५७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ में अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड द्वारा पंजाब को दिये गये अनुदान की कुल राशि कितनी है;

(ख) इसे खर्च करने का कौन सा उपाय सोचा गया है;

(ग) क्या बुनकरों को सस्ता सूत देने की कोई योजना है; तथा

(घ) क्या मंदी की अवस्था में बुनकरों को कोई ऋण अथवा उन के कपड़े के लिये अग्रिम धन दे कर उन की सहायता करने की कोई योजना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्ण माचारी) : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ८२]

(ग) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की योजनाओं के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं द्वारा इस प्रकार के सूत के संभरण की व्यवस्था है ।

(घ) बुनकर सहकारी संस्थाओं को अंश-पूंजी और कर्मवाहक पूंजी दोनों के लिए ऋण दिये जाते हैं ।

नदी घाटी परियोजनाओं में विदेशी विशेषज्ञ

५५८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन नदी घाटी परियोजनाओं में प्रवीण मैकैनिकों (मिस्त्रियों) और फ़ोरमैनों के रूप में काम करने वाले विदेशी विशेषज्ञों की संख्या कितनी है; तथा

(ख) क्या कोई भारतीय भी इस कार्य के लिए प्रशिक्षित किये गये हैं ताकि वे उन का कार्य संभाल सकें ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) ४१.

(ख) इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए भारतीयों को उन विशेषज्ञों के साथ लगाया हुआ है ।

विस्थापित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता

५५९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में विस्थापित विद्यार्थियों को कोई वित्तीय सहायता दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो १९४९–५० से ३० नवम्बर, १९५४ तक के प्रत्येक वर्ष में कितनी कितनी राशि आवंटित की गई थी; तथा

(ग) पंजाब में अप्रैल, १९४८ से मार्च, १९५४ तक विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी थी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां ।

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि निम्नलिखित है :—

वित्तीय वर्ष	ऋण रुपयों में
१९४९–५०	३३,००,०००
१९५०–५१	कुछ नहीं
१९५१–५२	कुछ नहीं
१९५२–५३	कुछ नहीं
१९५३–५४	कुछ नहीं
१९५४–५५ (३० नवम्बर १९५४ तक)	कुछ नहीं
योग राशि	३३,००,०००

अनुदान रुपयों में	योग राशि रुपयों में
१९,५३,०००	५२,५३,०००
१८,६३,६००	१८,६३,६००
२८,००,०००	२८,००,०००
२८,००,०००	२८,००,०००
२८,००,०००	२८,००,०००
१८,२५,०००	१८,२५,०००
योग राशि १,४०,४१,६००	१,७३,४१,६००

(ग) १८,१९,२३,५८१ रुपये ।

विस्थापित लोगों को प्रतिकर

५६०. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० नवम्बर, १९५४ तक पंजाब में कुल कितने विस्थापित लोगों को प्रतिकर दिया जा चुका है; तथा

(ख) इस तिथि तक दिये गये प्रतिकर की कुल राशि कितनी है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) ९२३३ ।

(ख) ३० नवम्बर, १९५४ तक पंजाब में दी गई प्रतिकर की राशि निम्न लिखित है :—

(१) नकद किया गया भुगतान	९१,६१,९०० रुपये
(२) सम्पत्ति स्थानान्तरण के रूप में किया गया भुगतान	२९,८६,६४३ रुपये
(३) लोक देनगियों के समायोजन के रूप में किया गया भुगतान	१४,४३,७१५ रुपये
योग	१,३५,९२,२५८ रुपये

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

५६१. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत पंजाब में नहरों और रेलवे लाइनों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के निर्माण के लिए राज्य सरकार से कोई यह सुझाव प्राप्त हुए हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो उन का ब्योरा क्या है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट **३**, अनुबन्ध संख्या ८३]

अणु शक्ति आयोग

५६२. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :** क्या **प्रधान मंत्री** अणु शक्ति आयोग के अधीन काम करने वाले वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

प्रधान मंत्री तथा वदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : लगभग

२७० वैज्ञानिक तथा शिल्पिक कर्मचारी अणु शक्ति विभाग के अधीन काम करते हैं। इन के अतिरिक्त, लगभग २०० वैज्ञानिक तथा शिल्पिक कर्मचारी विश्वविद्यालयों और गवेषणा संस्थाओं में इस विभाग की वित्त-सहायता से चालू गवेषणा परियोजनाओं में काम कर रहे हैं।

मुद्रणालय

५६३. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री देश के ऐसे मुद्रणालयों की संख्या बताने की कृपा करेंगे, जो केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित हैं ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : इन की संख्या ३९ है, जिन में से ९ निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के एस० एण्ड पी० विभाग के नियंत्रण में हैं।

छोटे पैमाने के उद्योग

५६४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों को कहा है कि वे स्थानीय छोटे पैमाने के उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देवें;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर विभिन्न प्रकार के छोटे पैमाने के उद्योग तथा कुटीर उद्योग पहले ही प्रारम्भ कर दिये गये हैं; तथा

(ग) भारत सरकार द्वारा उन उद्योगों को किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों की ही यही नीति है कि छोटे पैमाने के उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को सहायता दी जाये। केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के उद्योगों के विकास की विशेष योजनाओं को कार्यान्वित करने में राज्य सरकारों के प्रयत्नों की वित्तीय सहायता के द्वारा अनुपूर्ति करती है।

(ख) सभी राज्य।

(ग) कुटीर उद्योगों तथा छोटे स्तर के उद्योगों के विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अनुदानों और ऋणों के रूप में सहायता दी जा रही है। केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा शिल्पिक सहायता भी दी जाती है।

सिगरेट तथा तम्बाकू

५६५. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२–५३, १९५३–५४ तथा विद्यमान वित्तीय वर्ष के पूर्वार्ध में अमेरिका से सिगरेट, पाईप तथा चुरट तम्बाकू की कितनी मात्रा आयात की गई ; तथा

(ख) १९५३–५४ के वर्ष में अमेरिका तथा ब्रिटेन से आयात की गई सिगरेट का रुपयों में मूल्य क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण संलग्न है। [देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८४]

(ख) अमेरिका ७०,००० रुपये
ब्रिटेन १३,७६,००० रुपये

प्रलेख चित्र तथा समाचार चित्र

५६६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री प्रलेख चित्रों तथा समाचार चित्रों के प्रदर्शन के लिए विदेशों में चुने गये वितरण करने वाले अभिकरणों के नाम, तथा उन के साथ सम्पन्न करार के निबन्धन बताने की कृपा करेंगे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : एक विवरण सभा पटल पर रखा

जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८५]

छोटी कारें

५६७. **श्री नानादास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में छोटी कारें बनाने के किसी कार्यक्रम को अनुमोदित किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निर्माण समवायों के नाम क्या हैं, उन की पूंजी का ढांचा किस प्रकार का है और क्या वे विदेशी, अथवा भारतीय अथवा संयुक्त समवाय हैं;

(ग) उन की उत्पादन क्षमता क्या है; और

(घ) उन्हें किन शर्तों के अधीन इन कारों को बनाने की अनुमति दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८६]

(घ) फर्मों को निदेश दिया गया है कि वे अपना उत्पादन निर्माण कार्यक्रमों के अनुसार बनाये रखें ।

गंगानगर जिले में भूमि का आवंटन

५६८. **श्री भीखाभाई :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के गंगानगर जिले में भूमि के आवंटन के रद्द किये जाने के मामले में सरकार ने हाल में कोई जांच की है; और

(ख) क्या यह सत्य है कि उन हरिजनों को जिन्हें पहले भूमि मिली हुई थी, इस से वंचित कर के ये पुनः गैर-हरिजनों को दे दी गई हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी नहीं । ऐसी जांच का कोई कारण नहीं था ।

(ख) एक वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा उचित जांच किये जाने के बाद कुछ हरिजनों के आवंटन रद्द कर दिये गये थे और ये भूमि के टुकड़े उन विस्थापित व्यक्तियों को जिन के दावे जांचे जा चुके थे, दिये गये थे ।

सूइयां

५६९. **श्री धूसिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२–५३ और १९५३–५४ के वर्षों में भारत में कितनी सूइयां बनाई गईं; और

(ख) इस अवधि में कितनी सूइयां निर्यात की गईं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क)

	१९५२–५३	१९५३–५४
ग्रामोफोन की सूइयां	३०८० लाख	७४० लाख
बुनने की सूइयां	शून्य	लगभग ५८२,०००

(ख) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों के निर्यात के आंकड़े सरकारी प्रकाशनों में अलग नहीं लिखे जाते ।

राजकीय उपक्रम

५७०. **श्री टी० के० चौधरी :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि ५ और ६ नवम्बर, १९५४ को नई दिल्ली में राजकीय उपक्रमों के महाप्रबन्धकों और प्रबन्ध संचालकों का जो सम्मेलन हुआ था, उस में केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे उपक्रमों में श्रमिकों

और प्रबन्धकों के पारस्परिक सम्बन्धों पर भी चर्चा की गई थी;

(ख) क्या उन सरकारी कोयला खानों के प्रबन्धकों के, जो कि हाल में केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में आई हैं, प्रतिनिधि इस सम्मेलन में सम्मिलित थे; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में इन उपक्रमों के श्रम संघों या कर्मचारी संघों की राय पर विचार किया गया था ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां । 'श्रमिकों से सम्बन्ध और पर्याप्त सुविधाओं का दिया जाना'— ४ और ५ नवम्बर, १९५४ को, उत्पादन मंत्रालय के अधीन राजकीय उपक्रमों के प्रबन्ध संचालकों तथा महाप्रबन्धकों के सम्मेलन में चर्चा का एक विषय था ।

(ख) तथा (ग). सम्मेलन को बुलाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि कम्पनी के ढंग पर चलाये जाने वाले विभिन्न उपक्रमों के प्रभारी अधिकारियों के विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान किया जा सके, ताकि गत दो वर्षों में उन्हें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उन को अच्छी प्रकार समझा जा सके । चूंकि इस में कोई निर्णय किये जाने की आशा नहीं थी, अतः राज्यों की कोयला-खानों के प्रबन्धकों के किसी प्रतिनिधि को आमंत्रित करने या श्रम संघों या कर्मचारी संघों के विचार प्राप्त करने का कोई प्रश्न नहीं उठा ।

राजकीय उपक्रम

५७१. **श्री टी० के० चौधरी** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के अधीन राजकीय उपक्रमों में रजिस्टर्ड कार्मिक संघों के नाम क्या हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र पटल पर रख दी जायेगी ।

स्थानीय निर्माण कार्यक्रम

५७२. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ में मध्य प्रदेश के लिए स्थानीय निर्माण कार्यक्रमों के निमित्त कितनी राशि की मंजूरी दी गई;

(ख) केन्द्र द्वारा अनुमोदन के लिए राज्य सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ग) इन का अनुमानित व्यय क्या है;

(घ) किन किन योजनाओं को अनुमोदित किया गया था; और

(ङ) प्रत्येक योजना के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) १९५३–५४ के लिए मध्य प्रदेश को आवंटित राशि १४·९० लाख रुपये थी, जिस में से ७·४५ लाख रुपये उन को वस्तुतः दिये गये थे ।

(ख), (घ) और (ङ). निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य के स्थानीय कार्यक्रम को अनुमोदन के लिए केन्द्र के पास नहीं भेजना पड़ता । केन्द्र को केवल स्वयं राज्य सरकारों

द्वारा अनुमोदित निर्माण कार्य पर व्यय के संक्षिप्त तिमाही विवरण प्राप्त होते हैं।

(ग) कुल ६·४८ लाख का व्यय बताया गया है, जो कि निम्न प्रकार है:

	पूरा किया गया निर्माण कार्य			चालू निर्माण कार्य			
श्रेणी	निर्माण की संख्या	कुल व्यय [अर्थात कुल लागत] (रुपये)	प्रयोग किया गया केन्द्रीय अनुदान (रुपये)	निर्माण संख्या	अनुमोदित कुल लागत (रुपये)	३१-३-५४ तक बतलाया गया व्यय (रुपये)	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७	८
१ जल संभरण	४०	३६,१५०	१८,०७५	३४	१,५५,२५३	४१,०४१*	* प्रयोग किया गया केन्द्रीय अनुदान अभी बतलाया नहीं गया
२ कृषि में सुधार	—	—	—	१	२,०००	२,०००*	
३ सफाई व्यवस्था में सुधार	—	—	—	४	१०,८००	८१,९४*	
४ सड़कें, पुल आदि	७	१४,३२५	६,६००	२७	३,१८,६३५	६३,८९४*	
५ स्कूल, अस्पताल आदि . .	४३	१,९७,९२०	९५,८३७	८५	६,००,५२९	२६८,६२१*	
६ अन्य योजनाएं	—	—	—	६	५५,८००	१६,२८०*	
योग	९०	२,४८,३९५	१,२०,५१२	१५७	११,४३,०१७	४००,०३०	

'शान्ति के लिए अणु' योजना

५७३. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने राष्ट्रपति आइज़नहावर की 'शान्ति के लिये अणु' योजना के लिये बहुत सा युरेनियम देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या सरकार को कोई आश्वासन दिया गया है कि इसे विनाशकारी शस्त्र बनाने के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा; और

(ग) कितना युरेनियम देने का विचार है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग) . अमरिका को युरेनियम देने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया। अणुशक्ति के शान्ति के लिये प्रयोग के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली समिति में जो वादविवाद हुआ था, उस के दौरान में हमारे प्रतिनिधि श्री वी० के० कृष्णामेनन ने कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये समझौते हो जाने की अवस्था में भारत अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी को कुछ खनिज पदार्थ दे सकेगा।

सीमान्त घटना

५७४. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर जिले के घड़िंदा पुलिस सर्कल में रोड़ावाला ग्राम में हाल में भारतीय सीमान्त पुलिस को किन परिस्थितियों में

एक पाकिस्तानी आक्रमणकारी पर गोली चलानी पड़ी थी ; और

(ख) भारतीय भूमि पर भारतीय नागरिकों के विरुद्ध इन आवर्तक हमलों को रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) जब ऐसी घटनाओं की ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाया जाता है तो वह पाकिस्तान सरकार से जोरदार विरोध प्रकट करती है और प्रार्थना करती है कि वह उचित प्राधिकारियों को इस प्रकार के हमले बन्द करने के लिये निर्देश दे और उत्तरदायी व्यक्तियों को दंड दे । भारत सरकार भारतीयों की जान और माल की रक्षा के लिये भी पर्याप्त पग उठा रही है ।

अस्पृश्यता को दूर करना

५७५. **डा० सत्यवादी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री २६ अप्रैल, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में अस्पृश्यता को दूर करने के सम्बन्ध में आकाशवाणी के विभिन्न स्टेशनों ने जो कार्यक्रम अपनाये हैं, उनका ब्योरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय पटल पर रख दी जायेगी ।

उपाहार-गृह चलाने वाले भारतीय राजदूतावास

५७६. **श्री जी० एल० चौधरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय राजदूतावासों के नाम क्या हैं, जो कि इस समय उपाहार-गृह चला रहे हैं; और

(ख) उन के स्थापित किये जाने के समय से कितना लाभ हुआ है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) भारतीय उच्चायोग, लन्दन ।

(ख) यह जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८७] ।

आयात और निर्यात के संयुक्त मुख्य नियन्त्रक का कार्यालय

५७७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयात और निर्यात के संयुक्त मुख्य नियन्त्रक के कार्यालय कलकत्ता में स्थायी, अर्ध-स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(ख) उन में से कितनों को फालतू समझा जाता है ; और

(ग) क्या फालतू समझे जाने वाले कर्मचारियों में कोई गजेटेड अफीसर भी हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण संलग्न है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८८] ।

(ख) और (ग). कर्मचारिवृन्द की स्थिति पर विचार किया जा रहा है ।

लोक-सभा

वाद-विवाद

सोमवार, ०६ दिसंबर १९५४

Chamber Purchased 18/X/52

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ९, १९५४

(६ दिसम्बर से २४ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खंड ९ में अंक १६ से अंक ३२ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

खंड ९—अंक १६–३२ ६ से २४ दिसम्बर, १९५४.

अंक १६—सोमवार, ६ दिसम्बर, १९५४.

	स्तम्भ
श्री गिरजा शंकर बाजपेयी की मृत्यु	१२०५–०६
स्थगन प्रस्ताव —	
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल	१२०७–१२
राज्य-सभा से सन्देश	—
ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	१२१३–१४
याचिका प्राप्त	१२१४
तांकित प्रश्न संख्या १४६८ पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि .	१२१४–१५
भा की बैठकों से सदस्यों के अनुपस्थित रहने से सम्बन्धित समिति—	
छठा प्रतिवेदन—स्वीकृत	१२१५–१६
ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	१२१६–८६
खंड ६६ से ८०	१२१८–२७
खंड ८१ से ८८	१२२७–५७
खंड ८९ से ९६ और ९८ से १०२ . . .	१२५७–८६

अंक १७—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४.

भा का कार्य—	
सत्र के शेष भाग के लिये सरकारी कार्य का क्रम . . .	१२८७–८८
ण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खण्डों पर विचार—समाप्त . . .	१२८४–१३८७
खण्ड २२	१२८८–१२९६
खण्ड ८९ से १०२ (खण्ड ९७ को छोड़ कर) और नया खण्ड ९३ क	
खण्ड १०३ से ११३ और ११५, ११६ और अनुसूची, नया	
खण्ड ११५क, खंड १ और २ . . .	१२९६–१३७६
संशोधित रूप में पारित होने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	१३७६–७८

अंक १८—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
निवारक निरोध अधिनियम सम्बन्धी सांख्यकीय विवरण . .	१३७९–८
विदेशी-जन पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति घोषणायें .	१३८०–८
पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन	१३८
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
याचिका उपस्थापित	१३८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	१३८१
तुर्की की महान राष्ट्र-सभा के प्रधान से प्राप्त सन्देश . . .	१३८२
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संशोधितरूप में पारित	१३८२–१४३१
श्री एम० ए० अय्यंगार	१३८३–८९
श्री ए० एम० थामस	१३८९–९२
श्री एच० एन० मुकर्जी	१३९२–९७
श्री एस० एस० मोरे	१३९७–९९
श्री दातार	१३९९–१४०७
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१४०७–१३
श्री एन० सी० चटर्जी	१४१३–१५
श्री आर० डी० मिश्र	१४१५–२१
डा० काटजू	१४२३–३१
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
संयुक्त समिति में सदस्यों के नामनिर्देशित करने का प्रस्ताव—असमाप्त .	१४३१–८८
श्री पाटस्कर	१४३१–४०
श्री वी० जी० देशपांडे	१४४०–४८
श्री टेक चन्द	१४४८–५२
श्री बी० सी० दास	१४५२–५६
श्रीमती जयश्री	१४५६–५७
श्री डी० सी० शर्मा	१४५७–५८

अंक १९—बृहस्पतिवार, ९ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण और एक भारतीय ग्रामीण का अपहरण . . .	१४५९–६०
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक	१४६०–६१
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
संयुक्त समिति के लिये सदस्य नाम-निर्देशित करने का प्रस्ताव .	१४६१–१५१
श्री डी० सी० शर्मा	१४६१–६

	स्तम्भ
श्रीमती सुचेता कृपलानी	१४६३–६६
श्री एन० सी० चटर्जी	१४६६–७२
श्री बोगावत	१४७२–७६
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१४७६–६८
श्री पी० सुब्बा राव	१४६२–६७
श्रीमती उमा नेहरू	१४६७–१५००
सरदार इकबाल सिंह	१५००–०२
श्री पाटस्कर	१५०२–१४
निवारक निरोध (संशोधन विधेयक)—	
विचार प्रस्ताव—असमाप्त	१५१६–४६
डा० काटजू	१५१६–४२
श्री एम० एम० गुरुपादस्वामी	१५४२–४६

अंक २०—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखा गया पत्र—	
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना . .	१५४७
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१५४७–८६
श्री ए० के० गोपालन	१५४८–५७
श्री जी० एच० देशपांडे	१५५७–६१
श्री वीरस्वामी	१५६१–६३
श्री अशोक मेहता	१५६३–६६
श्री एम० पी० मिश्र	१५६६–७६
श्री वी० जी० देशपांडे	१५७६–८५
श्री टेक चन्द	१५८५–८७
श्री एन० एम० लिंगम	१५८७–८६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	१५८६
सत्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	१५६०
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा १०६क का रखा जाना)—	
पुरःस्थापित	१५६१
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा १४२क का रखा जाना)—पुरःस्थापित	१५६१
वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत	१५६१–१६०४
श्री डाभी	१५६१–६२
डा० पी० एस० देशमुख	१५६२–१६०४

	स्तम्भ
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक (धारा १ और २६, आदि का संशोधन)—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित	१६०४–१७
श्री यू० सी० पटनायक	१६०४–११
डा० काटजू	१६११–१
श्रीमती इला पालचौधरी	१६१२–१
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क	१६१३–१
श्री कानावाड़े पाटिल	१६१५–१७
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१६१७–३४
श्रीमती उमा नेहरू	१६१७–१९
श्री पाटस्कर	१६१९–२२
श्रीमती सुषमा सेन	१६२२
श्रीमती जयश्री	१६२२–२३
श्रीमती ए० काले	१६२३
श्रीमती मायदेव	१६२३–२५
श्री केशवैयंगार	१६२५
श्रीमती इला पालचौधरी	१६२५–२६
श्री डी० सी० शर्मा	१६२६–२८
श्री टी० एस० ए० चेट्टियार	१६२८–३०
श्री धुलेकर	१६३१–३३
विद्युत सम्भरण (संशोधन) विधेयक (धारा ७७ आदि का संशोधन)—	
पुरःस्थापित	१६३१

अंक २१—शनिवार, ११ दिसम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी	१६३५–३८
सभा का कार्य—	
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प के बारे में समय-नियतन	१८३८–३९
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१८३९–१७३
श्री एन० एम० लिंगम	१६३९–४१
श्री एन० सी० चटर्जी	१६४१–४९
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१६४९–५०
श्री केशवैयंगार	१६५०–५२
श्रीमती ए० काले	१६५२–५४

	स्तम्भ
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	१६५४–६०
श्री कासलीवाल	१६६०–६२
श्री भागवत झा आज़ाद	१६६२–६६
डा० एन० बी० खरे	१६६६–७६
श्री दातार	१६७७–६०
डा० कृष्णस्वामी	१६६०–६४
श्री चट्टोपाध्याय	१६६४–६७
श्री सी० आर० नरसिंहन	१६६७–६८
श्री मूलचन्द दुबे	१६६८–१७००
पण्डित के० सी० शर्मा	१७००–०२
श्री राघवाचारी	१७०३–०५
कुमारी एनी मैस्करीन	१७०५–०७
श्री आर० सी० शर्मा	१७०७–१४
श्री सारंगधर दास	१७१४–१७
पण्डित ठाकुर दास भार्गव	१७१७–३२
श्री एच० एन० मुकर्जी	१७३२

अंक २२—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी	१७३३–३४
न्यूटन चिखली खान में दुर्घटना	१७३५–३८
आंध्र में निर्वाचन सम्बन्धी जलूस पर कथित गोली-कांड	१७३८–३९
पटल पर रखे गये पत्र—	
विमान निगम नियम	१७३९–४०
औद्योगिक वित्त निगम सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन	१७४०
अनुदानों की अनुपूरक मांगें—१९५४-५५—पटल पर रखी गई	१७४०
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (आंध्र राज्य)—१९५४-५५—पटल पर रखी गई	१७४०
मंत्री का एक बैंक से कथित सम्बन्ध	१७४०–४५
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१७४५–१८०८
श्री एच० एन० मुकर्जी	१७४५–५०
डा० एस० एन० सिंह	१७५०–५२
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क	१७५२–५५
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	१७५५–५९
आचार्य कृपालानी	१७५९–६१
डा० काटजू	१७६१–७४
खंड १ तथा २	१७७४–९९

	स्तम्भ
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१७९९–१८०८
डा० काटजू	१७९९–१८०८
श्री नन्द लाल शर्मा	१८००–०५
श्री लक्ष्मय्या	१८०५–०६
श्री पुन्नूस	१८०६–१८०८

अंक २३—मंगलवार, १४ दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखे गये पत्र—	
रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ . . .	१८०९–१०
रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ का वाणिज्यिक परिशिष्ट .	१८०९–१०
लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, रक्षा सेवायें १९५४ . . .	१८०९–१०
तारांकित प्रश्न संख्या ८६२ के उत्तर में शुद्धि	१८१०
सभा का कार्य—	
सरकारी कार्य के क्रम के बारे में वक्तव्य . . .	१८१०–११
चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८११–३०
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . १८११–१३,	१८२७–३०
श्री तुषार चटर्जी	१८१४–१७
श्री एन० एम० लिंगम्	१८१७–१९
श्री बर्मन	१८१९–२०
श्री के० पी० त्रिपाठी	१८२०–२३
श्री ए० एम० थामस	१८२३–२४
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१८२४–२५
श्री दामोदर मेनन	१८२५–२६
श्री के० सी० सोधिया	१८२६–२७
श्री पुन्नूस	१८२७
खण्ड १ और २	१८३०–३२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	१८३२
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . .	१८३२
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८३२–५५
श्री कानूनगो १८३२–३६,	१८४८–५५
श्री वी० पी० नायर	१८३७–४०
श्री तुलसीदास	१८४०–४१
डा० लंकासुन्दरम्	१८४१–४३
श्री झुनझुनवाला	१८४३–४४

	स्तम्भ
श्री ए० एम० थामस	१८४४–४६
श्री कासलीवाल	१८४६–४७
श्री वी० बी० गांधी	१८४७–४८
खण्ड १ और २	१८५५
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८५५–६२
श्री कानूनगो	१८५५–५६
डा० लंका सुन्दरम्	१८५६–५७
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी	१८५७–६२
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८६३–७७
श्री के० के० देसाई	१८६३–६४, १८७४–७७
श्री अमजद अली	१८६४–६५
श्री बिमला प्रसाद चालिहा	१८६५–६६
श्री पुन्नूस	१८६६–६८
श्री बी० एस० मूर्ति	
श्री वेलायुधन	१८६९–७०
श्री केशवैयंगार	१८६८–६९
श्री पी० सी० बोस	१८७०–७१
श्री के० पी० त्रिपाठी	१८७१
श्री एस० वी० रामस्वामी	१८७१–७३
ठाकुर युगल किशोर सिंह	१८७३–७४
खण्ड १ से ३	१८७८
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८७८
श्री के० के० देसाई	१८७८

अंक २४, बुधवार, १५ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
आन्ध्र में निर्वाचन जलूस पर कथित गोलीकांड	१८७९–८३
पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों की भूख हड़ताल तथा सेना का बुलाया जाना	१८८३–८५
पटल पर रखे गये पत्र—	
आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति के अधिनियम	१८८५–८७
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण	१८८७–८८
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना	१८८७
दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी के सन्तुलन-पत्र तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	१८८८–८९

स्तम्भ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १८८९
सभा का कार्य—
सरकारी कार्य का क्रम १८८९-९१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
टेपियोका मांड और आटे के निर्यात पर प्रतिबन्ध . . . १८९१-९२
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प—असमाप्त . १८९२-१९७३
अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय
संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित १९७४

अंक २५—गुरुवार, १६ दिसम्बर, १९५४.

श्री ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव का निधन १९७५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
इम्फाल, मनीपुर में सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज . . . १९७६-७७
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . १९७७
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प—स्वीकृत . १९७७-२००८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त . . २००८-६२

अंक २६—शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—
पश्चिमी बंगाल में पुलिस के सिपाहियों की भूख हड़ताल और सेना का
बुलाया जाना २०६३-६८
पटल पर रखे गये पत्र—
खनिज कन्सेशन नियमों में संशोधन २०६८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें . . २०६८-९६, २१०८-१०
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आंध्र . . २०९६-२१०८
विनियोग (संख्या ४) विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . २१११-१२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत २११२
सरकारी औद्योगिक उपक्रमों की देखभाल और नियंत्रण करने वाली संविहित
निकाय सम्बन्धी संकल्प—अस्वीकृत २११२-५०
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण विभाग
के बारे में संकल्प—असमाप्त २१५०-५६

श्रीमती विजय लक्ष्मी का त्याग पत्र २१५७
अध्यक्ष को पद से हटाये जाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . २१५७–७४, २२४२–७८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आन्ध्र . . २१७४–९०, २२२७–२८
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को सौंपा गया २१९०–२२२७
श्री पाटस्कर २१९०–२२००
श्री बर्मन २२०१–०६, २२२३–२५
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय २२०८–१३
श्री आर० डी० मिश्र . . . २२०७–०८, २२१३–२३
आन्ध्र विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . . २२२७–२९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत २२२९–३६
श्री पाटस्कर २२२९–३१, २२३२, २२३६
श्री धुलेकर २२३२–३३
श्री आर० के० चौधरी . . . २२३३–३४
पंडित ठाकुर दास भार्गव २२३४–३६
पंडित सी० एन० मालवीय . . . २२३६
खण्ड १ और २ . . . . . २२३७

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत २२३८

चाय (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . २२३८
श्री करमरकर २२३८–३९
श्री ए० एम० थामस २२३८–३९
श्री एन० एम० लिंगम् २२३९
खण्ड १ और २ . . . . . २२३९–४०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . २२४०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अपूर्ण . . २२४०–४२
डा० एम० एम० दास २२४०–४२

अंक २८—सोमवार, २० दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव— स्तम्भ

सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र का अतिक्रमण . २२७९–८२

पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों द्वारा भूख हड़ताल के बारे में वक्तव्य . २२८२–८४

पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखा (डाक तथा तार) १९५२-५३ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन १९५४ . . . . . २२८४

संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . २२८४–८५

महिलाओं तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक—पुरःस्थापित . २२८५–८६

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—अपूर्ण . . . २२८६–२३६४

अंक २९—मंगलवार, २१ दिसम्बर, ११५४.

विदेशों को जीपों तथा सेना के कुछ अन्य सामान के लिये दिये गये आर्डरों के बारे में वक्तव्य २३६५–६६

सभा का कार्य २३६६–६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

चाय निर्यात के अधिकारों में सट्टेबाज़ी . . . २३६८–७१

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—संशोधित रूप में पारित . . २३७१–२४५७

राज्य सभा से सन्देश २४५७–५८

अंक ३०—बुधवार, २२ दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखे गये पत्र—

प्रेस आयोग की सिफारिशों के बारे में विवरण . . २४५९

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . २४५९

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक सम्बन्धी साक्ष्य . . . २४६०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —उपस्थापित २४६०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित २४६०

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का विवरण, खण्ड ३—उपस्थापित . . . २४६१

पंचवर्षीय योजना के वर्ष १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— २४६१

अपूर्ण २५२२, २५२२-५२

परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . २५२२

राज्य सभा मे सन्देश २५५२

अंक ३१—गरुवार, २३ दिसम्बर, १९५४

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
इम्फाल में एक संसद् सदस्य की गिरफ्तारी और प्रजा समाजवादी दल के कार्यालय पर पुलिस का छापा	२५५३–५७
यूगोस्लाविया के संघीय जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधान मंत्री का संयुक्त वक्तव्य . .	२५५७–६१
पटल पर रखे गये पत्र—	
विभिन्न आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	२५६१–६२
जून, १९५३ में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३६वें अधिवेशन की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के विवरण . . .	२५६२–६३
न्यूनतम मजूरी निवारण व्यवस्था के सम्बन्धी अभिसमय संख्या २६ के अनुसमर्थन के बारे में विवरण . . .	२५६३
रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम—नियम, १९५३ में संशोधन .	२५६३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पी० टी० आई० और यू० पी० आई० द्वारा निजी उद्यम को समाचारों का दिया जाना	२५६३–६८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —स्वीकृत	२५६८–७१
समवाय विधेयक की संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति . .	२५७२
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	२५७२–२६१६
श्री पाटस्कर २५७२–७८,	२६०७–२६१६
श्री एन० एम० लिंगम् .	२५७९–८
श्री बी० एस० मूर्ति . . .	२५८१–८३
श्री राघवाचारी .	२५८३–८४
श्री साधन गुप्त	२५८४–८६
श्री टी० एन० सिंह	२५८६–८९
श्री भागवत झा आज़ाद	२५८९–९०
श्री जांगड़े	२५९०–९३
श्री एम० एल० अग्रवाल . . .	२५९३–९५
श्री कासलीवाल	२५९५–९६
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय . . .	२५९६–२६००
श्री कजरोल्कर	२६००–०१
श्री नवल प्रभाकर	२६०१–०४
श्री कक्कन	२६०४–०५
श्री पी० एल० बारुपाल	२६०५–०६

	स्तम्भ
श्री गणपति राम	२६०६–०७
खण्ड १ और २—	
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	२६१६–२६२५
पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—	
असमाप्त	२६२५–७२
श्री रिशांग किशिंग की गिरफ्तारी	२६७२
राज्य-सभा से सन्देश	२६७२–७४

अंक ३२—शुक्रवार, २४ दिसम्बर, १९५४ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
मध्य भारत और राजस्थान में अफीम की खेती .	२६७५–७७
पटल पर रखे गये पत्र—	
भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग १—पुनर्विलोकन	२६७७
भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग २—ब्योरेवार विनियोग लेखे	२६७७
भारत सरकार की रेलों के १९५२-५३ के ब्लाक लेखे (ऋण लेखों वाले पूंजी के विवरणों सहित), सन्तुलन पत्र और लाभ-हानि के लेखे .	२६७७
१९५२-५३ के लिये रेलवे की कोयला खानों के कार्य का पुनर्विलोकन और सन्तुलन पत्र और कोयले, आदि की पूरी लागत के विवरण	२६७७–७८
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, १९५४	२६७८
केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की दूसरी बैठक में किये गये विनिश्चय के बारे में विवरण	२६७८
तारांकित प्रश्न संख्या ८७६ और १२६५ के उत्तरों में शुद्धि	२६७८–७९
प्रतिभूति ठेके (विनियमन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	२६८०
पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— संशोधित रूप में स्वीकृत	२६८०–२७०३
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	२७०३–४३
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—वाद-विवाद स्थगित	२७४३–४८
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)— पुरःस्थापित	२७४८
भारतीय धर्म परिवर्तन (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक—पुरःस्थापित	२७४९–५२
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक— . . .	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	२७५३–६३
श्री धुलेकर	२७५३–५७

स्तम्भ

श्री पाटस्कर . . . २७५७–६३
श्रीमती उमा नेहरू . २७६३
श्री टेक चन्द . . २७६३
वाद-विवाद स्थगित २७६३
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक—(नई धारा २९४ख का रखा जाना)—
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २७६४–६७
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा . . . २७६४–६५, २७६४
डा० काटजू २७६५–६६
वाद-विवाद स्थगित २७६७
मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त २७६७–६९
डा० एन० बी० खरे २७६७–६८, २७६९
श्री के० के० देसाई २७६८–६९
वाद-विवाद स्थगित २७६९
भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक— . . .
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त . . २७६९–८०
सरदार ए० एस० सहगल . . . २७६९–७६, २७७७–७८
राजकुमारी अमृत कौर २७७६–७७, २७७८–७९
वाद-विवाद स्थगित २७८०
निःशुल्क, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक—
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २७८०
श्री डी० सी० शर्मा २७८०–८२, २७८३–८६
श्री के० के० देसाई २७८२–८३
श्री आर० के० चौधरी २७८७
राज्य-सभा से सन्देश २७८८
हिन्दू विवाह विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . . २७८८

लोक सभा

सोमवार, ६ दिसम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ बजे मध्याह्न

श्री गिरजा शंकर बाजपेयी का निधन

अध्यक्ष महोदय : सदन को ज्ञात है कि बम्बई के राज्यपाल श्री गिरजा शंकर बाजपेयी का कल निधन हो गया है। वह १२ जुलाई, १९२७ से २४ अगस्त, १९२९ तक फिर ४ सितम्बर, १९३७ से १७ जुलाई, १९३९ तक और ६ अप्रैल, १९४० से २५ जून, १९४० तक प्राचीन केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य रहे थे। वह बड़े योग्य और अनुभवी प्रशासक थे। उन्हों ने कई प्रकार से भारत सरकार की सेवा की थी।

भूतपूर्व केन्द्रीय विधान सभा के एक सुप्रसिद्ध सदस्य तथा सरकारी सेवक के निधन पर हमें दुःख है और मुझे विश्वास है कि सदन उन के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने में हमारे साथ सम्मिलित होगा।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं आप के कथन से सर्वथा सहमत हूं। पिछले सात वर्षों में मेरा श्री गिरजा शंकर बाजपेयी से घनिष्ट सम्पर्क रहा। पहले मेरा उन से दूर का परिचय था किन्तु इन सात वर्षों में मुझे उन के उन उच्च गुणों की जानकारी हुई जो विशेष कर भारत में दुर्लभ है। पिछले दिनों में हम ने उन की आलोचना की थी क्योंकि हमारा उन से मतभेद था। वह भारत में पुरानी ब्रिटिश सरकार के बहुत योग्य सेवक थे और उन दिनों उस की नीतियों का समर्थन करते थे और इस कारण उन के प्रति हमारे मन में कुछ द्वेष था। किन्तु बाद में जब हम उन के निकट सम्पर्क में आये तो हमें और हमारे सहयोगियों को उन की विशिष्ट योग्यता और सच्चाई का परिचय मिला। वह उस प्रकार के राज्य-कर्मचारी थे जो अपना मत स्पष्टता और स्वतन्त्रता से व्यक्त करते थे और तब सरकारी निर्णयों को कार्यान्वित करते थे। ऐसे उच्च गुणों और योग्यता के व्यक्ति सदा दुर्लभ होते हैं और भारत में तो अवश्य ही दुर्लभ हैं। अतः उन का निधन हमारी बहुत गहरी हानि है।

अध्यक्ष महोदय : सभा उन के सम्मान में एक मिनट के लिये मौन खड़ी रहेगी।

स्थगन प्रस्ताव

बैंक कर्मचारियों की हड़ताल

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री ए० के० गोपालन तथा तीन अन्य सदस्यों से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । विषय है, बैंक विवादों पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णयों में सरकार द्वारा रूपान्तर तथा दिनांक २४ अगस्त, १९५४ के सरकारी रूपान्तर आदेश के पदों में बैंक कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक की रक्षा करने में सरकार की असफलता के विरोध में १० दिसम्बर, १९५४ से सारे भारत में आयोजित बैंक कर्मचारियों की सामान्य हड़ताल के सम्बन्ध में दिनांक ४ दिसम्बर १९५४ को सरकार द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन से उत्पन्न स्थिति ।

मैं ने प्रेस विज्ञप्ति नहीं पढ़ी है और कौन सा विषय उपस्थित किया गया है और किस विषय पर यहां चर्चा करनी है यह ठीक ठीक मेरी समझ में नहीं आता है । जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के सम्बन्ध में किस बात की शिकायत है ?

श्री टी० के० चौधरी (बहरमपुर) : मेरा निवेदन है कि प्रेस विज्ञप्ति में निश्चित रूप से यह संकेत किया गया है कि सरकार बैंक कर्मचारियों के पारिश्रमिक को कम से कम एक वर्ष तक, संरक्षण करने के सम्बन्ध में दिनांक २४ अगस्त के अपने ही आदेश को कार्यान्वित करने के लिये तैयार नहीं जब कि माननीय श्रम मंत्री ने पिछले महीने १९ तारीख को यह आश्वासन दिया था कि राज्याध्यक्ष आयोग के निर्णय के प्रकाशित होने के बाद वह आवश्यक विधि पारित कर के उसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू करेंगे । उन्हों ने इस बात का कभी खंडन नहीं किया कि विभिन्न बैंक श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के रूपान्तरित पंचाट को इस प्रकार कार्यान्वित कर रहे हैं जिस से कि उन के पारिश्रमिकों पर वास्तव में बुरा प्रभाव पड़ा है । इस प्रकार उन्हों ने अपने ही कथन में यह स्वीकार कर लिया है कि बैंक उस आदेश को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव की ग्राह्यता के लिये तथ्य विशेष को जांचना चाहता हूं ।

श्री टी० के० चौधरी : जहां तक ग्राह्यता का सम्बन्ध है, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का निश्चित विषय है । जो आश्वासन उन्हों ने दिया है उसे वापस लिया जाना चाहिये, वह वापस नहीं लिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : विषय है, आश्वासन कार्यान्वित करने में असमर्थता ।

श्री टी० के० चौधरी : वह आश्वासन नहीं, एक आदेश है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि माननीय श्रम मंत्री क्या कहना चाहते हैं ।

श्रममंत्री (श्री के० के० देसाई) : जैसे कुछ दिन पूर्व मैं ने बताया था, बैंक कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया गया था कि जो कुछ पारिश्रमिक वे मार्च १९५४ में पा रहे थे, वह २६ अगस्त, १९५५ तक संरक्षित है । यदि कोई बैंक इन रूपान्तरों को कार्यान्वित करने में असफल रहे, तो हम ने यह आश्वासन दिया था कि हम उन बैंकों को सलाह देंगे कि जिस प्रकार पंचाट कार्यान्वित किया जाना चाहिये था, उन्होंने वैसा नहीं किया था । अतः यह अब उन्हें सलाह देने का विषय है और यदि वह पंचाट का उलंघन होगा तो उसे आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय द्वारा सुधारा जा सकता है किन्तु यह हड़ताल का विषय नहीं है ।

श्री टी० के० चौधरी : माननीय मंत्री ने पिछले महीने की १९ तारीख को कहा था

कि इस सम्बन्ध में वह राज्याध्यक्ष आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन के बाद एक नयी विधि पारित कर के उसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू करेंगे और इस प्रकार हानि की भरपाई कर देंगे । उन्हों ने यह कभी नहीं कहा कि यदि कोई आदेश के उल्लंघन का मामला ध्यान में लाया गया तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । उन्हों ने यह स्वीकार किया कि कुछ बैंकों ने आदेश को इस प्रकार कार्यान्वित किया है कि बैंक कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर बुरा प्रभाव पड़ा है । यह बात सरकार के ध्यान में लाई गयी है और अब तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है ।

इस के बाद प्रैस विज्ञप्ति का विषय-वस्तु बम्बई से अखिल भारतीय बैंक संस्था द्वारा करीब दस दिन पूर्व जारी की गयी प्रैस विज्ञप्ति की विषयवस्तु के समान ही है । उसे दृष्टि में रखते हुए हमें यह प्रतीत होता है कि सरकार बैंकों द्वारा आदेश के उल्लंघन किये जाने की बात की ओर से आंखें मूंद लेना चाहती है और सारी बात को एक प्रकार का राजनैतिक खेल बनाने का प्रयत्न कर रही है । अतः इस सभा में इस बात की अवश्य चर्चा की जानी चाहिये ।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश के दो भाग हैं । आदेश के पहले भाग में कहा गया है कि कुल पारिश्रमिक पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा । दूसरे भाग में कहा गया है कि सरकारी आदेश में दिये गये वेतन क्रमों के अनुसार १ दिसम्बर, १९५४ से वेतनों का पुनः समन्वय करना होगा । पुनः समन्वय के परिणामस्वरुप कर्मचारियों को लाभांश, भविष्य निधि अतिरिक्त समय के भुगतानों के सम्बन्ध में हानि हुई है । सरकारी आदेश के दूसरे भाग में इन भुगतानों के सम्बन्ध में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि कुछ पारिश्रमिक में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा ।

यह भी स्मरण रखने की आवश्यकता है कि १ अप्रैल, १९५४ को बैंक कर्मचारी एक वार्षिक वेतन वृद्धि के अधिकारी थे और शास्त्री पंचाट अथवा एल० ए० टी० पंचाट के अधीन उन्हें यह वेतन-वृद्धि प्राप्त हुई होती । सरकारी आदेश में ३१ मार्च, १९५४ को कुछ पारिश्रमिक का निर्देश है । इस का अर्थ यह है कि सभी बैंक कर्मचारियों को जिन्हों ने एक वर्ष की सेवा की है, एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि नहीं दी गई है जो उन्हें अधिकारतः मिलनी चाहिये थी । इस प्रकार से कर्मचारियों को हानि हुई है । मेरी धारणा है कि सरकार ने उन्हीं आदेशों के अधीन ऐसे निर्देश जारी किये होते जिस से यह हानि दूर हो जाती और हड़ताल स्थगित कर दी जाती ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (**श्री जवाहरलाल नेहरू**) : यह विषय जस्टिस राज्याध्यक्ष के विचाराधीन है जिन्हें सरकार ने उस पर विचार करने, राय मांगने और सलाह देने के लिये पर्याप्त शक्तियां दे रखी हैं । सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि जो भी उस के निर्णय होंगे वे भूतलक्ष प्रकार से लागू किये जायेंगे । अतः यह स्पष्ट है कि इस से किसी को हानि नहीं होगी । जस्टिस राज्याध्यक्ष का प्रतिवेदन दो या तीन महीनों में संभवतः सामने आयेगा । इस विषय का एक लंबा इतिहास है, परन्तु वर्तमान स्थिति यह है कि जस्टिस राज्याध्यक्ष के प्रतिवेदन के आधार पर जो भी निर्णय किये जायेंगे, उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का हम ने वचन दिया है । इस से दो या तीन या चार महीने का विलंब होने के अतिरिक्त और कोई हानि नहीं हुई है ।

दूसरी बात यह है कि यदि सरकार ने इस पंचाट में अपनी ओर से कोई रूपान्तर करने का निर्णय किया हो और कोई बैंक उस के विरुद्ध जाये, तो सरकार उस बैंक

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

के विरुद्ध अवश्य कड़ी कार्यवाही करेगी। कोई बैंक सरकार के निश्चित निर्णय के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकता है। फिर भी यह संभव है कि अपनी सीमाओं के अन्दर कोई बैंक अपना स्वविवेक लागू कर सकता है, किन्तु यह सरकारी आदेश के विरुद्ध नही होगा। जैसे, वह अपने कर्मचारियों के साथ चाहे जिस प्रकार का करार करे। हम उस मामले में कोई दखल नहीं देंगे। बशर्ते कि वह सरकारी आदेश के विरुद्ध न हो। वास्तव में कुछ बैंकों ने ऐसा किया भी है और हम उस पर ध्यान भी नहीं देते, किन्तु प्रश्न यह है कि सरकार उस से कहां तक संबंधित है। हम राज्याध्यक्ष पंचाट की प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम ने वचन दिया है कि उस के निर्णय भूतलक्षी प्रभाव से लागू किये जायेंगे और कुल पारिश्रमिक के संबंध में हम ने जो भी कुछ कहा हैं, उसे हम कार्यान्वित करेंगे।

माननीय सदस्य श्री अशोक मेहता ने ठीक ही कहा है कि कुल पारिश्रमिक के अन्तर्गत कुछ परिवर्तन लाभांश आदि के सम्बन्ध में हो सकते हैं। हां, ऐसी संभावना है, किन्तु यदि कोई गलती की गई हो, तो अन्तिम निर्णय में उसे सुधारा जा सकता है क्योंकि हम ने भूतलक्षी प्रभाव से उसे लागू करने का वचन दिया है।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नूर) : औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ और औद्योगिक विवाद अपीलीय न्यायाधिकरण १९५१ की धारा ३३ और धारा २२ को अधिनियमित करते समय संसद् ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया था कि निर्णय देने वाला अपने निर्णय जब तक नहीं देगा तब तक यथा पूर्व स्थिति रहेगी। अतः यही न्यायसंगत और उचित है कि उपरोक्त बातों के रूपान्तरण संबंधी सरकारी आदेश तब तक स्थगित होना चाहिये जब तक कि आयोग के निर्णयों के आधार पर सरकार कोई अन्तिम निर्णय नहीं करती है।

अतः यह देखना हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है कि हड़ताल टल जाय और साधारण सिद्धान्त यह है कि जब सारा विषय निर्णय के लिये आयोग को सौंपा हुआ है तब यथा पूर्व स्थिति अवश्य बनायी रखी जानी चाहिये। यदि ऐसा किया गया, तो हड़ताल टाली जा सकती है। इसी कारण हम इसे अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय कहते हैं जिस से कि चर्चा के द्वारा हम यह देख सकें कि क्या यथा पूर्व स्थिति बनायी रखी जा सकती है और हड़ताल कहां तक टाली जा सकती है।

श्री टी० के० चौधरी : श्रीमान्, क्या मैं निवेदन कर सकता हूं ....

अध्यक्ष महोदय : अब आगे कुछ नहीं। इस प्रस्ताव की ग्राह्यता पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। मैं अन्य विस्तारों में जाना आवश्यक नहीं समझता हूं, किन्तु मेरी स्वयं की यह धारणा है कि यह विषय सरकार के साथ बातचीत कर के बहुत अच्छी तरह से निपटाया जा सकता है। जिन माननीय सदस्यों को इस विषय पर चर्चा करनी हो वे तत्सम्बन्धी मंत्रियों से बातचीत कर सकते हैं। मुझे यह भी सन्देह है कि यहां की गई चर्चा से हड़ताल के स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में कोई परिणाम नहीं निकलेगा। इन्हीं विभिन्न विचारों से मैं इस प्रस्ताव के लिये अपनी अनुमति नहीं दे सकता हूं।

राज्य-सभा से संदेश

सचिव : श्रीमान् मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य-सभा के सचिव से निम्न संदेश प्राप्त हुए हैं :

(१) "राज्य-सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के

नियम १२५ के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा २३ नवम्बर, १९५४ को पारित काफी बाजार विस्तार (संशोधन) विधेयक, १९५४ को राज्य-सभा ने २ दिसम्बर, १९५४ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।"

(२) "राज्य-सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम १२५ के उपबन्धों के अनुसार, मुझे लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा २ दिसम्बर १९५४ को पारित आन्ध्र राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, १९५४ को राज्य-सभा ने ३ दिसम्बर, १९५४ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।"

(३) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम १२५ के उपबन्धों के अनुसार, मुझे लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा २४ नवम्बर, १९५४ को पारित रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक, १९५४ को राज्य-सभा ने ३ दिसम्बर, १९५४ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।"

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

याचिका प्राप्त हुई

सचिव : श्रीमान्, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम १७८ के अधीन, मुझे यह सूचना देनी है कि सभा पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार एक याचिका दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधित करने वाले विधेयक के सम्बन्ध में, जो डा० काटजू द्वारा २७ अप्रैल, १९५४ को सभा में पुर: स्थापित किया गया था, प्राप्त हुई है ।

विवरण

दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधित करने वाले विधेयक के सम्बन्ध में, जो डा० काटजू द्वारा २७ अप्रैल, १९५४ को सभा में पुर:स्थापित किया गया था, याचिका

हस्ताक्षर करने वालों की संख्या	जिला अथवा नगर	राज्य	याचिकाओं की संख्या
१	दिल्ली	दिल्ली	४०

तारांकित प्रश्न पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : गत २९ सितम्बर को, श्री कासलीवाल ने तारांकित प्रश्न संख्या १४६८ में यह पूछा था कि क्या टांगानिका, सरकार अपने देश को आप्रवास विधियों को संशोधित करने की प्रस्थापना कर रही है । मैं ने अपने उत्तर में बताया था कि जब कि पहले स्थायी निवासी का पति बिना अनुज्ञा के उस प्रदेश में प्रवेश कर सकता था टागानिका सरकार ने पहले ही आप्रवास विनियमों का इस प्रकार संशोधित किया था कि उक्त देश में प्रवेश करने के पूर्व स्थायी निवासी के पति को आप्रवास प्राधिकारियों से अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा । श्री कासलीवाल द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों

[श्री अनिल के० चन्दा]

के उत्तर में यह बताया गया था कि सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि टांगानिका के राज्यपाल इस अभ्यावेदन पर, जो उस देश की एशियाई महिलाओं ने संशोधन के रद्द किये जाने के विषय में पुनः पत्र भेजा था, कोई विचार कर रहे थे ।

वस्तु स्थिति यह है कि राज्यपाल की ओर से सरकार के मुख्य सचिव ने प्रार्थी को यह उत्तर भेजा था कि आप्रवास विनियमों का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिये कि टांगानिका के किसी स्थायी निवासी के पति के राज्य क्षेत्र में प्रवेश करने पर रोक लगाई जा रही है । उस की भी स्थिति वही है जैसी कि आप्रवास की चेष्टा करने वाले अन्य व्यक्ति की होती है । यह संशोधन इसलिये पुरःस्थापित किया गया था कि कहीं कहीं इस रियायत का दुरुपयोग किया गया था । इस रियायती अधिकार के देने में किसी प्रकार के जाति भेद का पालन नहीं किया गया था और न इस के वापस लेने में ही किसी प्रकार के जाति भेद का विचार किया गया है । मुख्य सचिव के उत्तर में कहा गया था कि संशोधन करने वाले विनियम पर पहले आप्रवास नियंत्रण बोर्ड द्वारा विचार किया गया था जो एक विभिन्न जातियों वाला निकाय है तथा जिस में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत है. तथा बाद में यह विधान परिषद् के सामने भी रखा गया था । विधान परिषद् की आगामी बैठक में आप्रवास विधियों पर वाद-विवाद आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में इस राज्य क्षेत्र की सरकार को आपत्ति नहीं होगी ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

छटा प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा ३ दिसम्बर, १९५४ की सभा के समक्ष प्रस्तुत किये गये सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के छटे प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करती है ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

श्री गिडवानी : (थाना) : चूंकि अब वेतन प्रणाली लागू की गई है इसलिये छुट्टी के नियमों के सम्बन्ध में कुछ रूपभेद करना आवश्यक है । अभी जो नियम हैं उन के अनुसार यदि कोई सदस्य २०० दिनों में तीन दिन भी उपस्थित रहे तो उसे ४०० रुपये प्रति मास का वेतन मिलता रहेगा । कोई कोई सदस्य ६० दिन या ५५ दिन के बाद आते हैं और आकर चले जाते हैं । यह तो बिचारे कर दाता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है । इसलिये मेरा सुझाव है कि यदि कोई सदस्य एक वर्ष में ६० दिन से अधिक अनुपस्थित रहे तो प्रति दिन २० रुपये के हिसाब से उस का वेतन कम कर दिया जाये । समिति इस सुझाव पर विचार करे और उस के पश्चात् अपना प्रतिवेदन सभा के सामने रखे ।

श्री आल्तेकर : यह तो समिति के विचार करने का विषय है । समिति इस पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और तब सभा उस पर विचार करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, ३ दिसम्बर, १९५४ को सभा के समक्ष प्रस्तुत किये गये सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के छटे प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : सभा अब दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक पर वाद-विवाद आरम्भ करेगी । आज पहले हम खंड संख्या ६६ से ८१ पर २.२५ म० प० तक तथा उस के बाद खंड संख्या ८२ से ८८ पर ४·२५ म० प० तक वाद-विवाद करेंगे, उस के बाद इन पर मत लिया जायेगा । इस के पश्चात् हम खंड संख्या ८९ से १०२ पर विचार करेंगे जिस में खंड संख्या ९७ नम्बर सम्मिलित नहीं होगा चूंकि वह स्वीकृत हो चुका है । इन खंडों पर विचार करने के लिये सभा को केवल आधा घंटे का समय मिलेगा इसलिये इन पर वाद-विवाद कल भी जारी रहेगा ।

अब माननीय सदस्य खंड संख्या ६६ से ८१ तक के सम्बन्ध में जो संशोधन रखना चाहते हों उन की पर्चियां १५ मिनट के अन्दर पटल पर भेज दें ।

श्री कासलीवाल (कोटा–झालावाड़) : मेरा सुझाव है कि खण्ड संख्या ८१ को दूसरे समूह के साथ रखा जाये जिस से कि खंड संख्या ८१ से ८८ तक एक साथ विचार किया जाये क्योंकि यह खंड ८१ बिल्कुल भिन्न है और इस का सम्बन्ध अपील से है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह स्वीकार्य है ।

श्री वेंकटरामन् (तंजोर) : हम ने अभी धारा १६२ पर कोई निर्णय नहीं किया है ।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि अब उस पर सभा का मत ले लिया जाये । परन्तु मैं कह चुका हूं कि श्री पाटस्कर के संशोधनों पर कुछ वाद-विवाद करने की अनुमति दी जायेगी ।

श्री राघवाचारी (पेनूकोंडा) : मैं चाहता हूं कि इस के लिये कोई समय निर्धारित कर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री तैयार हों तो हम इस के लिये कल कोई समय निश्चित करें ।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : हां । इसे हम दोपहर के १२ बजे के बाद तुरन्त ही ले सकते हैं क्योंकि इस के सम्बन्ध में बहुत कुछ वाद-विवाद हो भी चुका है और अब बहुत थोड़े समय की ही आवश्यकता पड़ेगी ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो मैं नहीं कह सकता कि प्रश्न के घंटे के समाप्त होते ही हम इस को ले लेंगे परन्तु यह हो सकता है कि कल सब से पहले इसी पर विचार किया जाये ।

खण्ड ६६ से ८०

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २१ में, पंक्ति १६ से १८ तक के स्थान पर ये शब्द रखे जायें :

"69. *Amendment of section 371, Act V of 1898.* In section 371 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (*I*)

(*i*) after the words 'translation in his own language' the following words shall be inserted, namely:—

'if his language has been adopted by the State in which the trial is held for any official purpose .under article 345 or has been re-

[श्री साधन गुप्त]

cognised in the place where such Court ordinarily sits under article 347 of the Constitution of India and if his language is any other language, then in such language'; and

(*ii*) the words 'in any case other than a summons case', shall be omitted;

(*b*) in sub-section (*2*), after the words 'charge to the jury' the following words shall be inserted, namely:—

'or, where a transcript of the charge forms part of the record under section 297, a copy of such transcript'; and

(*c*) after sub-section (*3*), the following sub-section shall be inserted, namely:—"

["६९. १८९८ के अधिनियम ५, धारा ३७१ का संशोधन—मुख्य अधिनियम की धारा ३७१ में,—

(क) उपधारा (१) में—

(१) 'अपनी भाषा में अनुवाद' इन शब्दों के पश्चात् ये शब्द रखे जायेंगे:—

'यदि उस की भाषा अनुच्छेद ३४५ के अधीन उस राज्य द्वारा जिस में अभियोग चल रहा हो किसी सरकारी प्रयोजन के लिये अपना ली गई हो अथवा जहां सामान्यतया इस प्रकार का न्यायालय बैठता हो भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४७ के अधीन उस स्थान पर वह मान ली गई हो और यदि उस की कोई अन्य भाषा हो तो उस भाषा में; और

(२) 'समन के मामले के अतिरिक्त अन्य किसी मामले में' ये शब्द निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (२) में 'जूरी को आरोप' इन शब्दों के पश्चात् ये शब्द रखे जायेंगे, अर्थात् :—

'अथवा जहां धारा २९७ के अधीन आरोप की प्रतिलिपि अभिलेख का अंश हो तो, उस प्रतिलिपि की एक प्रति' ; और

(ग) उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—]

मैं खंड ६९ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस खंड में न्यायालय को निर्णय की प्रति अभियुक्त को देने का अधिकार दिया गया है । अंग्रेजों ने दंड प्रक्रिया संहिता में यह उप बन्ध किया था कि जहां तक क्रियात्मक रूप से सम्भव हो सकेगा अभियुक्त को कुछ आदेश और निर्णय उस की भाषा में, दिये

जायेंगे । इस प्रकार न्यायालय अपने दायित्व से बच गये थे ।

अब समय आ गया है कि हम इस में परिवर्तन करें । हम को ऐसा उपबन्ध बनाना चाहिये जिस के अनुसार अभियुक्त व्यक्तियों को उन की अपनी भाषा में निर्णय की प्रतिलिपियां दी जायें । इस के लिये मैं ने सुझाव दिया है कि खंड ६९ में एक खंड ऐसा रखा जाये जिस के द्वारा न केवल दंडादेशों की प्रतिलिपियां देने का उपबन्ध बनाया जाये वरन् धारा ३७१ के अन्य उपबन्धों में भी परिवर्तन किया जाये जिस से कि न्यायालय के लिये यह अनिवार्य हो जाये कि वह अभियुक्त को निर्णय की प्रतिलिपि उक्त राज्य की भाषा में या प्रदेशीय भाषा में दें यदि उक्त भाषा को राज्य द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो । संविधान में यह उपबन्ध है कि कोई भी राज्य अपने सरकारी काम के लिये कोई भी भाषा चुन सकती है यदि किसी राज्य ने ऐसा किया है तो कोई कारण नहीं है कि उस राज्य का न्यायालय उक्त भाषा में अभियुक्त को प्रतिलिपियां देने के लिये तैय्यार न हो विशेषत: जब कि अभियुक्त की भी वही भाषा हो ।

दूसरी बात यह है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद ३४७ के अन्तर्गत राष्ट्रपति के अनुदेश के अनुसार कोई राज्य किसी अन्य भाषा को भी चाहे वह सारे राज्य के लिये हो या किसी क्षेत्र विशेष के लिये हो, मान्यता प्रदान कर सकता है । इसी लिये मेरा दूसरा सुझाव है कि यदि उस क्षेत्र के लिये जहां न्यायालय बैठता हो, राज्य की ओर से किसी अन्य भाषा को मान्यता दी गई है तो अभियक्त को उस भाषा में प्रतिलिपियां प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये । "जहां तक व्यवहारिक हो" वाक्य केवल उस के दशा के लिये होना चाहिये जब कि अभियक्त की भाषा ऐसी हो जिस में कि आवश्यक कागज़ात का अनुवद देश के उस भाग में जल्दी से न कराया जा सकता हो ।

मेरे दूसरे संशोधन का सुझाव यह है कि निर्णय की प्रतिलिपि देने के सम्बन्ध में समन वाले मुकदमे के लिये जो अपवाद रखा गया है वह हटा दिया जाये । वर्तमान उपबन्ध के अनसार अभियुक्त का प्रतिलिपियां प्राप्त करने का अधिकार समन वाले मुकदमों में नहीं रखा गया है । पहली बात तो यह है कि समन वाले मकदमों में जब किसी अभियक्त को दण्डित किया जाये तो उसे निर्णय की प्रतिलिपि पाने का अधिकार होना ही चाहिये, परन्तु यदि वह मुक्त किया जाये तो भी उसे निर्णय की प्रतिलिपि पाने का अधिकार होना चाहिये क्योंकि केवल इसलिये कि समन प्रक्रिया का प्रयोग किया गया उस से व्यय में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है ।

दूसरी बात यह है कि अब समन प्रक्रिया केवल उन छोटे मामलों तक ही सीमित नहीं है जिन में केवल छै मास का दण्ड दिया जा सकता हो, वरन्, एक वर्ष के दण्ड वाले मामलों में भी समन प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है । पहले यह नियम था कि यदि एक वर्ष का दण्ड दिया गया हो तो अभियुक्त को निर्णय की प्रतिलिपि बिना किसी व्यय के मिल जाती थी, परन्तु अब समन वाले मुकदमों का क्षेत्र बढ़ा कर अभियुक्त को इस अधिकार से भी वंचित कर दिया गया है ।

मेरा दूसरा संशोधन केवल आनुषंगिक संशोधन है जिस से धारा ३७१ की उपधारा (२) बिल्कुल निरर्थक हो जायेगी । धारा ३७१ की उपधारा (२) के अनुसार सत्र न्यायालय के लिये यह आवश्यक है कि

[श्री साधन गुप्त]

वह अभियुक्त को अभियोग के शीर्षों की एक प्रतिलिपि दे । परन्तु अब हम यह संशोधन कर रहे हैं कि सत्र न्यायाधीश के द्वारा अभियोग के शीर्ष केवल उसी दशा में अभिलिखित किये जायेंगे जब कि संशोधित धारा २९७ के अनुसार अभियोग पत्र की प्रतिलिपि अभिलेख के साथ संलग्न न की गई हो । ऐसी दशा में जब सत्र न्यायाधीश अभियोग के शीर्ष ही तय्यार नहीं करेगा तो वह अभियुक्त को उस की प्रतिलिपि कहां से देगा । इसलिये मेरा सुझाव है कि जब सत्र न्यायाधीश अभियोग के शीर्ष तय्यार करे तो अभियोग के शीर्षों की प्रतिलिपि अभियुक्त को दी जाये अन्यथा अभियोग पत्र की प्रतिलिपि दी जाये जो कि अभिलेख में संलग्न होती है । मेरा विचार है कि माननीय गृह-कार्य मंत्री को इस संशोधन के स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

संशोधन का शेष भाग एक ऐसी त्रुटि को दूर करने के लिये है जो छपने में आ गई है । अन्य खण्ड आनुषंगिक है इसलिये मुझे उन के सम्बन्ध में कुछ अधिक नहीं कहना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (जिला प्रतापगढ़—पूर्व) : मेरे विचार से खण्ड ७९ अब बहुत आवश्यक हो गया है । दण्ड में कमी किये जाने का आवेदन पत्र किसी व्यक्ति के द्वारा या उस की ओर से उस समय तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि वह जेल में न हो । कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार का आवेदन पत्र इस लिये दे कि उस को अभिरक्षा में न जाना पड़े । परन्तु यह व्यवस्था साधारण मामलों के लिये नहीं है । यह तो विशेष परिस्थितियों के लिये है, इसलिये रहने देना चाहिये । अब जो उपबन्ध बनाया जा रहा है उस के अनुसार १८ वर्ष से अधिक की आयु के प्रलेख व्यक्ति को ऐसे प्रार्थना पत्र देने से पहले जेल जाना ही पड़ेगा । प्रार्थना पत्र देने से पूर्व दंडित व्यक्ति को जेल जाना ही पड़ेगा । अभी तक जो उपबन्ध था वह विशेष परिस्थितियों के लिये था इस लिये उसे हटाया नहीं जाना चाहिये ।

भाषा के सम्बन्ध में जो कुछ श्री साधन गुप्त ने कहा है उस का मैं समर्थन करता हूं ।

श्री वेंकटरामन : श्री साधन गुप्त का वह संशोधन बहुत आवश्यक है जिस में कहा गया है कि यदि अभिलेख के साथ अभियोग पत्र नत्थी किया गया हो तो अभियुक्त को उस की प्रतिलिपि भी दी जाय । माननीय मंत्री भी जान पड़ता है कि उसे स्वीकार करने को तय्यार हैं ।

श्री उपाध्याय ने, धारा ४०१ के संबंध में, बिना जेल गये, दण्ड में कमी किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में जो बात कही है वह नैतिकता की भावना के सर्वथा प्रतिकूल है । मद्रास का वह प्रसिद्ध मामला तो आप को ज्ञात ही होगा जिस में अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया गया था, उस ने मद्रास के उच्च न्यायालय में अपील की और जब उच्च न्यायालय ने दण्डादेश का समर्थन कर दिया तो वह जेल ही नहीं गया वरन् दिल्ली भाग आया ।

उपाध्यक्ष महोदय : उस समय इस के सम्बन्ध में कुछ बदनामी भी फैली थी ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : परन्तु यह एक व्यक्तिगत मामला है ।

श्री वेंकटरामन : अन्त में सजा में कमी कर दी गई और उस से खूब अपवाद फैला ।

ऐसी बातों को रोकने के लिये ही यह धारा रखी गई है और मैं समझता हूं कि यह एक उत्तम उपबन्ध है । यदि न्यायालय किसी व्यक्ति को दोषी मान कर उसे कुछ अवधि का कारावास दंड देता है, तो उस व्यक्ति के लिये धारा ४०१ का लाभ दिये जाने का दावा करना ठीक नहीं है । मैं इसलिये इस खंड का यथारूप समर्थन करता हूं ।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : श्रीमान्, मेरे विचार से श्री साधन गुप्त का यह कहना कि यदि अभियोगों सम्बन्धी ऐसा कोई प्रलेखन हो तो प्रारम्भ में निर्दिष्ट अभियोगों की केवल प्रतिलिपि ही होगी और उसी प्रतिलिपि का एक प्रति उसे दी जानी चाहिये, बिल्कुल ठीक है । अतः मुझे उन के संशोधन को, जहां तक कि उस का सम्बन्ध प्रतिलिपि की प्रति देने से है, स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है ।

सन् १९३७ में जब कि मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री था तो इस प्रकार के दो तीन मामले हुए थे जिन में लोग कानून से बच कर भाग गये थे, उन्हों ने झूठे आवेदन पत्र दिये और कानून को धोखा देने की चेष्टा की । श्री वेंकटरामन का यह कथन ठीक है कि यदि आप छूट देना चाहते हैं तो पहले न्यायालय की आज्ञा का पालन कीजिये और तब कमी कीजिये । इस संशोधन से हम ने स्त्रियों और १८ वर्ष की आयु के सभी पुरुषों को बचाने का प्रयत्न किया है । यदि १६-१७ वर्ष के किसी लड़के को छै महीने का कारावास दंड दिया जाता है और यदि उस की सज़ा में कमी करने के कोई आधार हों, तो यह धारा उस पर लागू नहीं होगी । न ही यह किसी स्त्री पर लागू होगी । परन्तु इस का लाभ उन व्यक्तियों को नहीं दिया जायेगा जिन को छै या आठ मास का कारावास दंड दिया जाता है और वह आवेदन पत्र देते फिरते ह । मेरे विचार से यह बहुत लाभप्रद धारा है और इसे रहना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

श्री वेंकटरामन : संशोधन का केवल भाग (ख) ही मतदान के लिये प्रस्तुत किया जाये ।

डा० काटजू : मैं संशोधन संख्या ६२३ के भाग (ख) का ही निर्देश कर रहा हूं । यह स्वीकार्य है ।

श्री साधन गुप्त : (ख) और (ग)." तो इकट्ठे ही हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं इस संशोधन को माननीय मंत्री द्वारा स्वीकृत रूप में सभा के समक्ष मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २१ में, पंक्ति १६ से १८ तक के स्थान पर ये शब्द रखे जायें :

"69. *Amendment of section 371, Act V of 1898.*—In section 371 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (*2*), after the words charge to the jury the following words shall be inserted, namely :—

for where a transcript of the charge forms part of the record under section 297, a copy of such transcript'; shall be inserted namely:-

(*b*) after sub-section (*3*), the following sub-

[उपाध्यक्ष महोदय]

section shall be inserted, namely:--"

["६९: १८९८ के अधिनियम ५, धारा ३७१ का संशोधन--- मुख्य अधिनियम की धारा ३७१ में,—

(क) उपधारा (२) में 'जूरी का आरोप' इन शब्दों के पश्चात् ये शब्द रखे जायेंगे, अर्थात्:—

'अथवा जहां धारा २९७ के अधीन आरोप की प्रतिलिपि अभिलेख का अंश हो, तो उस प्रतिलिपि की एक प्रति'; और

(ख) उपधारा (३) के पश्चात् निम्न उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ६९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६९, संशोधित रूप में, विधेयक मे जोड़ दिया गया ।

खंड ६६ से ६८ तथा ७० से ८० तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ८१ से ८८

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा खंड ८१ से ८८ तक पर विचार करेगी । माननीय सदस्य सदा की तरह अपने उन संशोधनों की संख्या जिन को कि वह प्रस्तुत करना चाहते हैं पर्चियों पर लिख कर भेज सकते हैं ।

श्री साधन गुप्त : इस खंड समूह में बहुत ही गंभीर विषय, अपील का अधिकार सन्निहित है । हमें प्रसन्नता है कि अपील के अधिकार जिला दंडाधिकारियों से लेकर सत्र न्यायाधीशों, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों तथा सहकारी सत्र न्यायाधीशों को दे दिये गये हैं ।

हमें खंड ८५ पर ही कुछ आपत्ति है । खंड ८५ एक नई धारा ४१७ को आदिष्ट करना चाहता है । धारा ४१७ के अधीन सरकार को न्यायालय द्वारा निरपराध घोषित किये जाने पर भी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार था । यह उपबन्ध अंग्रेजों ने भारत में अपने लाभ के लिये बनाया था क्योंकि इंगलैंड में एक बार निरपराध घोषित किये जाने के पश्चात् सरकार को अपील का अधिकार नहीं रह जाता है, परन्तु हमारे देश में यह अधिकार भी न्यायालयों को नहीं दिया गया है । मेरे विचार से यह दंड प्रक्रिया संहिता में केवल इसीलिये रखा गया है कि जिस से कि उन व्यक्तियों को जिन को सरकार दंड अवश्य ही दिलाना चाहती है, दंड मिल सके और वे बच न सकें । इस में यह दिया हुआ है कि केवल सरकार ही नहीं प्रत्युत कुछ मामलों में वादी भी अपील कर सकता है । यह बड़ी ही आश्चर्यजनक व्यवस्था है कि आपराधिक अभियोजन का, जो कि मुख्यत: राज्य का अधिकार है, उपभोग बदला लेने के विचार से गैर सरकारी व्यक्ति भी करें । अत: मेरे विचार से इस खंड की कोई आवश्यकता ही नहीं है तथा धारा ४१७ ही एक दम समाप्त कर दी जाये । यदि सरकार ऐसा करना ठीक नहीं समझती है तो पहली स्थिति को बिना परिवर्तन किये यथापूर्व रहने दिया जाये ।

मैं ने अपना दूसरा संशोधन खंड ८५ के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है । इस के अनुसार अपील न्यायालय को दंड की अवधि बढ़ाने का अधिकार देने की प्रस्थापना है ।

केवल इतना ही उपबन्ध है कि दंड बढ़ाने से पहले विपक्ष को भी कुछ कहने का अवसर दिया जाना चाहिये । मैं अपने संशोधन के द्वारा शब्द "अवसर" के समय पर "समुचित अवसर" शब्द रखना चाहता हूं । क्योंकि अपील के मामलों में तथ्यों पर वाद-विवाद नहीं किया जाता है । ऐसे मामलों में किसी विधि सम्बन्धी प्रश्न को ही तय किया जाता है । दंड बढ़ाने के लिये तथ्य बहुत आवश्यक होते हैं जिनका विधि सम्बन्धी प्रश्नों से कोई सम्बन्ध नहीं होता है । दंड बढ़ाने के अपील किये जाने पर न्यायाधीश अभियुक्त आदि से पूछता है कि क्या उन्हें कुछ कहना है । विधि के अनुसार इसे एक अवसर कहा जा सकता है परन्तु सच पूछिये तो यह अवसर नहीं होता है क्योंकि उसे तैयार होने का अवसर नहीं मिलता है । अतः उसे समुचित अवसर दिया जाना चाहिये । अपील सर्वदा उच्च न्यायालय में ही नहीं होती है कभी कभी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के निर्णय पर सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील की जाती है । ऐसे समय कभी कभी सत्र न्यायाधीश को अभियुक्त के अधिकार ज्ञात नहीं होते हैं तथा कभी कभी उस को विधि का भी ज्ञान नहीं होता है और वह उतना समय जितना कि दिया जाना चाहिये नहीं देता है । आप अभियुक्त को उचित अवसर देना चाहते हैं तो मेरे शब्द समुचित के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । मैं गृह मंत्री से आशा करता हूं कि वह न्याय के लाभ के लिये मेरा संशोधन संख्या ६२७ स्वीकार कर लेंगे । वर्तमान व्यवस्था के अनुसार दंड बढ़ाने की अपील करने से पहले न्यायालय अभियुक्त को वह कारण बताने का आदेश देता है कि दंड क्यों न बढ़ाया जाये । आदेश का उत्तर आते आते पर्याप्त समय हो जाता है । जिस में अभियुक्त को मामला तैयार करने का समय मिल जाता है क्योंकि तथ्य हजारों पृष्ठों में होते हैं तथा कुछ घंटों में उन को पढ़ना तथा मामला तैयार करना बहुत कठिन है, इसलिये मेरे विचार से शब्द 'समुचित अवसर' रखे जाने चाहिये ।

खंड ८७ के द्वारा धारा ४२६ का संशोधन करना अपेक्षित है । इस में 'बिना जमानत वाले अपराधों के अभियुक्त के अतिरिक्त' में 'मृत्यु दंड पाये अथवा दो वर्ष से अधिक का कारावास दंड पाये व्यक्ति के अतिरिक्त' शब्द रखना चाहता हूं । 'बिना जमानत वाले अपराध' पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि कुछ अपराधों की जमानत हो जाती है तथा कुछ की नहीं, परन्तु गुरुता अपराध की है । मैं अपराध की गुरुता पर ही अधिक ज़ोर देना चाहता हूं । मैं किसी अपराध की गुरुता उस अपराध के लिय निर्धारित दंड से समझता हूं । यदि किसी अभियुक्त को दो वर्ष तक का कारावास दण्ड मिला हो तो न्यायालय को यह अधिकार होना चाहिए कि वह उसे ज़मानत पर मुक्त करे अथवा न करे । इसका यह अर्थ नहीं है कि दो वर्ष का कारावास दण्ड देने के पश्चात् उस को स्वतः ही जमानत पर छोड़ दे । मेरा केवल यह अभिप्राय है कि ऐसे मामलों में यदि न्यायालय न्याय के लाभ के लिये अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना उपयुक्त समझता हो तो वह ऐसा कर सके । मान लीजिये वह अपील करना चाहता है, तथा अपील न्यायालय ने उस को सुनने की स्वीकृति दे दी है । परन्तु अपील न्यायालय में उस मामले के ले जाने में पर्याप्त समय की आवश्यकता होगी और इस समय के लिये उस को जेल में बन्द कर देना ठीक नहीं होगा । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यह अधिकार केवल जमानती मामलों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये । अतः मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह मेरे इन दोनों संशोधनों

[श्री साधन गुप्त]

संख्या ६२७ तथा ६२८ को स्वीकार कर लें ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने इन संशोधनों के प्रस्तुत किये जाने का आग्रह किया है ।

खंड ८५ :—६२४, ४०७, ६२५, तथा ६२६;

खंड ८६ :—६२७; तथा

खंड ८७:—६२८ तथा ६२९ ।

खण्ड ८५

श्री साधन गुप्त तथा श्री राने (भुसावल) ने क्रमशः अपने संशोधन संख्या ६२४ और ४०७ और पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपने संशोधन संख्या ६२५ और ६२६ प्रस्तुत किये ।

खण्ड ८६

श्री साधन गुप्त ने अपना संशोधन संख्या ६२७ प्रस्तुत किया ।

खण्ड ८७

श्री साधन गुप्त और पंडित ठाकुर दास भार्गव ने क्रमशः अपने संशोधन संख्या ६२८ और ६२९ प्रस्तुत किये ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मैं खंड ८२ तथा खंड ८३ में किये गये संशोधनों की सराहना करता हूं । अभी तक द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी के दंडाधिकारियों के निर्णयों की अपील, जिला दंडाधिकारी अथवा उप विभागीय दंडाधिकारी सुना करते थे । परिणामस्वरूप वह अपने अधीन दंडाधिकारियों के निर्णयों की अपील सुनते समय पूर्ण रूप से न्याय नहीं करते थे । वे मामलों के तथ्यों पर विचार भी करना ठीक नहीं समझते थे । उन के कार्यालय का कोई लिपिक पूरा निर्णय लिख कर उन के समक्ष रख देता था और वह केवल बताये हुए स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर देते थे । जब मैं ने इस व्यवसाय को अपनाया था तो मैं उत्साह में एक दंडाधिकारी के समक्ष बहुत सी विधि पुस्तकों को ले कर पहुंचा । उन्होंने बड़ी तेज दृष्टि से मेरी तथा पुस्तकों की ओर देखा तथा कहा कि यदि मैं इन सब पुस्तकों को पढ़ूं तो अन्य कार्यपालिका कार्यों को कौन करेगा । आप जो कुछ कहना चाहें वह संक्षेप में मुझे बता दें । अन्त में उन्होंने दंड का अनुमोदन ही किया ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को पुस्तकों का उद्धरण देने के पश्चात् किसी अन्य परिणाम की आशा थी ?

श्री एस० एस० मोरे : वह अपना समय बचाना चाहते थे । संभवतया परिणाम यही हुआ होता परन्तु, यह भी संभव था कि उन पुस्तकों के कारण नाराज हो कर उस ने मेरे आसामी के विरुद्ध कुछ और भी किया होता परन्तु सौभाग्यवश उस ने यह सब कुछ नहीं किया । इसलिये मैं सरकार के इस कार्य की सराहना करता हूं ।

खंड ८५ बिल्कुल ही अपेक्षित है । इस से निरपराध घोषित करने वाले दंडाधिकारी के प्रति कुछ अविश्वास की सी भावना प्रतीत होती है । यह व्यवस्था अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिये अपनाई थी, इसलिये सरकार निम्न न्यायालय से मुक्त हुए अभियुक्त को भी दंड दिलाना चाहती थी । हम उस समय भी इस के विरोधी थे कि कार्यपालिका के द्वारा मुक्त हुए व्यक्ति के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जाये । परन्तु अब एक गैर सरकारी व्यक्ति को भी अपील करने का अधिकार दिया जा रहा है । इस अधिकार के द्वारा यदि कोई धनी व्यक्ति भी निम्न न्यायालय में अपने विपक्षी को दंड

न दिला सका तो वह अपने धन के बल पर उसे उच्च न्यायालय से दंड दिलाने का प्रयत्न करेगा । मेरे विचार से अपराध व्यक्ति अपनी सामाजिक कठिनाइयों के कारण ही करते हैं । उदाहरण के लिये जमींदार तथा किसानों को ही लीजिये । विकास की कुछ अपनी कठिनाइयां होती हैं । शान्ति से इन कठिनाइयों के सुलझाये जाने की कोई आशा नहीं होती है तथा क्रोध में आकर वह कोई अपराध कर बैठते हैं । इस प्रकार के व्यक्ति को पुलिस शीघ्र ही पकड़ने का प्रयत्न करती है । दंडाधिकारी विपक्ष के प्रति सहानुभूति रखते हुए भी साक्ष्य के आधार पर उसे निरपराध घोषित कर देता है । परन्तु यह निर्धन व्यक्ति मुक्त होने पर भी शिकायत करने वाले के कारण फिर फंस जाता है । मान लीजिये उस को सभी न्यायालय मुक्त कर देते हैं फिर भी इन सब न्यायालयों में पेश होने के लिये उसे धन व्यय करना पड़ेगा जो कि उस के लिये एक दंड के हीं समान होगा । ऐसा होना ठीक नहीं है । यदि गलती से कोई दंडाधिकारी किसी व्यक्ति को निरापराध घोषित कर दे तो भी उस को मुक्ति मिलनी ही चाहिये । इस लिये मैं इस के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि इस में इतनी उलझनें हैं कि कुछ समय पश्चात् माननीय मंत्री को इस को समाप्त करने की आवश्यकता पड़ेगी ।

खंड ८६ के अनुसार उच्च न्यायालय अपील पर दंड बढ़ा सकता है । पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता में पुनरीक्षण का अधिकार है, अपील का अधिकार है । जब कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील करता था तो अभियुक्त को पुनरीक्षण अधिकारों के अधीन नोटिस दिया जाता था और केवल तभी दंड बढ़ाया जा सकता था । इन दोनों अधिकारों को अलग अलग रखा गया था । परन्तु वर्तमान सुधार के अनुसार ये दोनों अधिकार एक साथ गूंथ दिये गये हैं । इस का परिणाम यह होगा कि अभियुक्त अपील करता हुआ झिझकेगा । क्योंकि उसे सदैव यह डर रहेगा कि कहीं दंड बढ़ न जाय । डा० काटजू ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि एक मामले म न्यायाधीशों ने उन से कहा कि इस मामले में दंड बढ़ाये जाने के लिये नोटिस अवश्य दिया जाना चाहिये । नोटिस दिया गया परन्तु जब दुबारा यह मामला एक दूसरे न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उस ने अभियुक्त को निरपराध घोषित किया । परिणामस्वरूप नोटिस को रद्द कर के अभियुक्त को निरपराध घोषित कर दिया गया । यदि ऐसी व्यवस्था न होती तो पहले वाले न्यायाधीशों ने दंड बढ़ा दिया होता । सरकार कह सकती है कि उस ने एक परन्तुक भी रखा है जिस में बताया गया है कि अभियुक्त को कारण बताने का अवसर दिया जायेगा । हमें अपने समक्ष इस का नकशा बताना चाहिये । वकील बहस कर रहे हैं, न्यायाधीश विचार कर रहा है, जैसे ही बहस समाप्त होती है वह अभियुक्त के वकील से पूछते हैं कि दंड बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में आप को क्या कहना है । वह बड़ी उलझन में पड़ जायेगा । इसलिये पहले अपील की सुनवाई होनी चाहिये । तथा कुछ समय अभियुक्त को मिलना चाहिये । उसे दंड बढ़ाये जाने का निश्चित नोटिस मिलना चाहिये जिससे कि वह एक वकील नियुक्त कर सके । अन्यथा पुनरीक्षण के अधिकार तथा अपील सुनने के अधिकार साथ ही साथ व्यवहारित होंगे जिससे अभियुक्त बड़ी कठिनाई में पड़ जायेगा । इस लिये मेरा मत है कि इन परिवर्तनों से मुकदमे वालों को कोई लाभ पहुंचने के बदले हानि ही पहुंचेगी और इसलिये यह अवांछनीय है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जहां तक सत्र न्यायाधीशों को अपीलें सौंपने के उपबन्ध का सम्बन्ध है मैं इस का स्वागत

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

करता हूं। ऐसा हुआ है कि कतिपय निर्णयों के विरुद्ध अपीलों को इस लिये स्वीकार कर लिया गया क्योंकि वे जानते थे कि वे दण्डाधिकारी भ्रष्टाचारी हैं और कुछ दण्डाधिकारियों की कुख्याति न होने पर अपीलों को अस्वीकार कर दिया गया। मैं ऐसे आयुक्तों के सम्बन्ध में भी जानता हूं जिन्हों ने इसी प्रकार से निर्णय दिये हैं। अब मुझे प्रसन्नता है कि यह परिवर्तन कर दिया गया है।

गैर-सरकारी शिकायतों के सम्बन्ध में विशेष रूप से अपीलों का नया उपबन्ध किया गया है। उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय की तरह अधिकार दे दिये गये हैं कि पहले उन से अपील की अनुमति मांगी जायेगी और अनुमति मिलने पर अपील की जा सकेगी। परन्तु मैं जानता हूं कि ऐसे ८०, ९० प्रतिशत मामलों में प्रार्थनापत्रों को रद्द कर दिया जाता है। मुझे अनुभव नहीं कि उच्चतम न्यायालय इन अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार करता है, परन्तु प्रिवी कौंसिल के निर्णय प्रायः इसी प्रकार के होते थे। यदि पुलिस ही किसी मामले को खराब कर दे तो प्रायः ९९ प्रतिशत मामलों में उन के सफल होने की संभावना नहीं रहती। ऐसे बहुत से मामले होते हैं जिन में भ्रष्टाचारी पुलिस पदाधिकारी मामले को खराब कर देते हैं। ऐसी स्थिति के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। धारा १६२ के बयानों के संबंध में मैं ने यह निवेदन किया था कि यदि पुलिस पदाधिकारी मामले को खराब करने के हेतु अन्य ढंग के ही बयान ले तब उस बयान को अभियोगी पक्ष के साक्षी का खण्डन के लिये ग्रहण कर लिया जायेगा। अपील के उपबन्ध से तो अभियोगी पक्ष को भी अवसर मिल जायेगा। अत मेरा यह नम्र निवेदन है कि इन उपबन्धों म अपील के उपबन्धों का लोप कर देना चाहिये। यदि इस देश में कुछ समय से धारा ४१७ लागू न रही होती तो मैं ऐसे संशोधन प्रस्तुत करता कि विमुक्ति पर कोई अपील न होनी चाहिये। यह उपबन्ध केवल इसलिये है क्योंकि हमें अपने न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास नहीं है। विमुक्तियों के विरुद्ध अपीलों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों ने दो या तीन सिद्धान्त बनाये हुए हैं, जिन में से एक यह है कि अपील पर अभियुक्त को निरपराधी मानने के मूल सिद्धान्त को अस्वीकार कर देना चाहिये। अंग्रेजों ने उच्च न्यायालयों के पास अपील के उपबन्ध इस लिये बना रखे थे ताकि वे राजनैतिक मामलों में निर्णयों को बदलवा सकें। अतः मेरा जोरदार अनुरोध है कि धारा ४१७ को नई धारा ३, ४, ५ का उपबन्ध करना अब उचित नहीं है।

मैं समझ सकता हूं कि राज्य अथवा जनता अभियुक्त के विमुक्त हो जाने पर अपील के लिये आतुर होगी, परन्तु दो अपीलों पर एक और अपील का क्या अर्थ होगा।

खण्ड ८६ में दण्ड बढ़ाने के अधिकार बहुत निरंकुशतापूर्ण हैं। इस का तो यह अभिप्राय है कि लोग अपील करने से घबरायेंगे। आपराधिक मामले में यह पहले से कहना तो बहुत कठिन होता है कि अपीलीय न्यायालय का क्या दृष्टिकोण होगा। अतएव इस उपबन्ध से गरीब निरपराधी व्यक्ति अपील करने में निरुत्साहित होंगे। मुझे एक मामले का स्मरण है जिस में आजन्म कारावास से दण्डित व्यक्ति ने केवल इसलिये अपील नहीं की थी कि कहीं उसे फांसी न दे दी जाये।

खण्ड ८७ के सम्बन्ध में मैं ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है। इन से लोगों को अपील करने का अधिकार मिल जाता है। इस समय केवल जमानत योग्य मामलों में न्यायालय इन अधिकारों का प्रयोग करते हैं।

मेरा निवेदन है कि जिन मामलों में जमानत नहीं ली जाती उन में भी ये अधिकार दिये जाने चाहियें। ऐसे अवसर पर केवल यह विचार नहीं करना चाहिये कि मामला गंभीर है अथवा अन्य प्रकार का है। गम्भीर मामले में भी न्याय करने के लिये न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि अभियुक्त को अपील करने का अवसर देना चाहिये। भले ही अभियुक्त से अधिक प्रतिभूति मांग ली जाये, परन्तु प्रत्येक मामले में इस लाभदायक उपबन्ध का लाभ उपलब्ध होना चाहिये।

यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दण्ड दिया गया हो, तो संभव है वह उद्दण्ड हो जाये तथा और हत्या कर बैठे। तब श्री साधन गुप्त के संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये कि जिन मामलों में दण्ड दो वर्ष या उस से कम कारावास का हो तो न्यायालय को ये अधिकार प्रयोग करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिये।

श्री राने : मैं माननीय सदस्य श्री साधन गुप्त, श्री मोरे और पंडित ठाकुर दास भार्गव के इन विचारों से सहमत नहीं हूं कि विमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील नहीं होनी चाहिये। मेरा यह विचार है कि वादी के साथ भी न्याय किया जाना चाहिये। यदि उस के साथ अन्याय हुआ हो तो उस अन्याय को भी दूर करना चाहिये। निस्सन्देह, निरपराध अभियुक्त को भी विमुक्त कर देना चाहिये। मैं ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी यह कहते सुना है कि नैतिक दृष्टि से यह विश्वास होने पर भी कि अभियुक्त अपराधी है वह वैध रूप से उसे अपराधी सिद्ध नहीं कर सकते। अतः हमें वादी के साथ न्याय करने का भी साधन ढूंढ़ना चाहिये। मेरा संशोधन यह है कि सत्र न्यायाधीश को भी अपील के अधिकार मिलने चाहियें और यदि विमुक्ति का निर्णय सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश ने दिया हो, तो उच्च न्यायालय को अपील करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिये

माननीय गृह-मंत्री ने कहा है कि वह यह चाहते हैं कि न्याय शीघ्र होना चाहिये और उस पर कम से कम व्यय होना चाहिये। मेरे संशोधन का भी यही उद्देश्य है। उपखण्ड ३ के अनुसार वादी को अपील के लिये उच्च न्यायालय से अनुमति मांगनी होगी जिस का अभिप्राय यह है कि एक ग्रामीण दरिद्र व्यक्ति को कलकत्ता बम्बई आदि स्थानों पर जा कर विख्यात अधिवक्ता करने होंगे। इस पर अत्याधिक व्यय होगा जो कि विधेयक के उद्देश्य के विरुद्ध है। अतः मेरा यह निवेदन है कि यदि दण्डाधिकारी ने विमुक्ति का आदेश दिया हो तो सत्र न्यायालय को अपील प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये। बम्बई के मख्य प्रेसीडेंसी दण्डाधिकारी ने भी इसी प्रकार की राय दी है। सांबलपुर (उड़ीसा) की विधि जीवी संस्था ने इस राय का समर्थन किया है। इसी प्रकार अन्य लोगों ने भी मेरे इस विचार की पुष्टि की है।

श्री एस० एस० मोरे : क्या कोई ऐसा सभ्य देश है जहां विमुक्ति के विरुद्ध इस प्रकार की अपील का उपबन्ध है ?

श्री राने : मेरे मित्र ने पूछा है कि ऐसा उपबन्ध किन किन सभ्य देशों में है। हमें अपने देश में परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करना चाहिये। चाहे कोई उपबन्ध किसी सभ्य देश में हो अथवा न हो परन्तु हमें समयानुकूल परिवर्तन करना चाहिये। इस बात को बहुत लोग स्वीकार करेंगे कि बहुत से मामलों में विमक्ति से वादी के प्रति अन्याय हो जाता है और उस का कुछ उपचार होना चाहिये। अतः मैं इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने की सिफारिश करता हूं और इस के साथ ही अपने संशोधन के अनुसार यह चाहता हूं कि इसे और बढ़ा दिया जाये।

श्री जी० एच० देशपांडे : (नासिक—मध्य) : मैं अपने मित्र श्री राने द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इन दिनों की चर्चा में किसी ने भी वादी के सम्बन्ध में अपनी अभिरुचि व्यक्त नहीं की थी ; सभी ने अभियुक्त का पक्ष लिया था मानों देश में ऐसी परिस्थितियां हों कि बहुत से निरापराध व्यक्तियों को साक्ष्य के बिना ही दण्ड दे दिया जाता हो। ऐसी बात नहीं है वरन् समाज अपने आप को अरक्षित समझता है। वादी केवल इस लिये शिकायत नहीं करता क्योंकि आज कल किसी अपराधी को दण्ड दिलाना प्रायः असम्भव है। समाज की प्रगति के लिये आवश्यक है कि समाज में रक्षा की भावना विद्यमान हो। सभी वादी बुरे व्यक्ति नहीं हैं और न ही सभी अभियुक्त अपराधी हैं। अपराधी को अपने बचाव का अवसर मिलना चाहिये और वादी को अपनी शिकायत प्रमाणित करने का अवसर मिलना चाहिये।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं श्री राने की इस बात से सहमत हूं कि विधान द्वारा केवल अभियुक्त की ही सहायता नहीं करनी चाहिये परन्तु मुझे उन के इस सुझाव से विरोध है कि अपील सत्र न्यायालय से की जाये। सिद्धान्त के नाते मैं विमुक्ति पर अपील का भी विरोध करता हूं। कई बार शिकायतें सर्वथा निरर्थक होती हैं। और उन पर और समय लगाना सर्वथा व्यर्थ होता है। अतएव विमुक्ति के विरुद्ध अपील का उपबन्ध न रखने का सिद्धान्त उपयुक्त ही है। परन्तु कभी कभी ऐसा भी होता है कि दण्डाधिकारी बिना कारण ही अथवा किसी द्वेषभाव के कारण सच्चे मामले को भी असफल कर देता है। अतएव इस के लिये कोई उपबन्ध होना चाहिये और संभवतः इसी आधार पर सरकार के अपील करने के अधिकार को आवश्यक समझा गया था।

श्री राने ने कहा है कि उन के संशोधन से बिना विलम्ब के और कम व्यय पर न्याय प्राप्ति का उद्देश्य पूर्ण हो जायेगा। परन्तु मेरा यह निवेदन है कि उन का सुझाव अत्याधिक व्यय वाला और उलझन भरा है। उन का कहना है कि यदि किसी शिकायत करने वाले की शिकायत रद्द हो जाये तो उसे आगे इधर उधर भागना पड़ता है जिस में उस का बहुत खर्च हो जाता है। यदि सत्र न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में से एक को चुनने का प्रश्न किसी व्यक्ति के सम्मुख आता है तो उच्च न्यायालय को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। यदि किसी व्यक्ति को अनुमति मिल जाये तो वह उच्च न्यायालय के सम्मुख अपील कर के इस प्रश्न को अन्तिम रूप से निबटा सकता है। माननीय मंत्री का यह सुझाव कि शिकायत के मामलों में भी अपील की अनुमति होनी चाहिये, एक नई चीज है। यदि ऐसा है, तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी मामलों में भी अपील करने की अनुमति होनी चाहिये। अतः यदि निजी शिकायतों पर कुछ नियंत्रण लगाना है तो वह विमुक्ति के विरुद्ध सरकार द्वारा की जाने वाली अपीलों के सम्बन्ध में भी होना चाहिये।

कुछ सदस्यों ने यह व्यक्त किया है कि विमुक्ति के विरुद्ध अपील करने का तात्पर्य न्यायपालिका में अविश्वास प्रकट करना होगा। श्री मोरे का कथन है कि दण्डाधिकारियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे मामलों का उचित रूप से अध्ययन नहीं करते हैं। तत्पश्चात् उन का कथन है कि उन दण्डाधिकारियों पर विश्वास करना चाहिये तथा उनके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं होनी चाहिये। मेरी समझ में उन का यह तर्क नहीं आया। मेरे विचार से तो यदि हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो उन के द्वारा निजी अभियोगों के सम्बन्ध में

दिये गये आदेशों के विरुद्ध अपील की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने यह भी कहा था कि जब दण्डाधिकारी एक बार किसी मामले पर विचार कर ले तो फिर उन के मार्ग में गड़बड़ी नहीं उत्पन्न की जानी चाहिये । यह समझा गया है कि उस के पश्चात् आने वाला दण्डाडाधिकारी ही इस बात का निर्णय करने के लिये उपयुक्त व्यक्ति होगा कि अभियोग की सुनवाई नये सिरे से की जानी चाहिये अथवा नहीं । हम यहां उस सिद्धान्त पर अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं । यद्यपि दण्डाधिकारियों से गलती हो सकती है, किन्तु सामान्यतः होती नहीं है । अतः मेरा सुझाव यह है कि शिकायतों के रद्द होने के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने की व्यवस्था भी होनी चाहिये ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि अपराधी उच्च न्यायालय में अपील विमुक्ति के लिये करता है, किन्तु होता उस का उल्टा है, अर्थात्, उस के दण्ड में वृद्धि हो जाती है । इस से अपील करने का उत्साह ठण्डा पड़ता जा रहा है ।

डा० काटजू : मैं समझता हूं कि यह तो अच्छा है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : यह कभी अच्छा सिद्ध हो सकता है तो कभी खराब भी ।

यदि अपील नहीं की जाती है, तो बिल्कुल अपवादस्वरूप मामलों में ही पुनर्विचार अथवा दण्ड में वृद्धि करने के लिये आवेदन दिया जाता है । यदि अपील की जाती है तो सामान्यतः सरकार दण्ड में वृद्धि के लिये आवेदन प्रस्तुत करती है । ऐसा नहीं होना चाहिये । अन्यथा यदि अपील की सुनवाई के समय ही आवेदन पत्र दे दिया जाये और वृद्धि हो जाये, तो अपील करने का उत्साह कम रह जाता है जो अपराधी के लिये घातक सिद्ध होता है ।

अन्तिम बात मुझे इस सम्बन्ध म यह कहनी है कि अधीनस्थ दण्डाधिकारियों द्वारा की गई दोषसिद्धियों की अपीलें सुनने से दण्डाधिकारियों को मुक्ति मिल गई है । यह चीज बहुत पहले ही हो जानी चाहिये थी जो अब जा कर इस विधेयक में आ सकी है ।

अतिरिक्त तथा सहायक सत्र न्यायाधीशों के लिये अभियोगों के अलग अलग वर्ग निश्चित करने की जो व्यवस्था की गई है इस से कुछ गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है ।

श्री मूलचन्द दुबे (जिला फर्रुखाबाद—उत्तर) : मैं श्री साधन गुप्त के इस कथन से सहमत नहीं कि धारा १७ के उपबन्धों को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाय । विमुक्ति के विरुद्ध आवश्यकता से अधिक अपीलें नहीं होनी चाहिये । इसी कारण राज्य सरकार भी साधारणतः अपील करने के लिये अनुमति नहीं देती है । मेरा निवेदन यह है कि धारा १७ के उपबन्ध आवश्यक हैं इस कारण उन्हें नहीं हटाया जाना चाहिये ।

पुलिस के द्वारा सहायता न की जाने पर अथवा जांच न होने पर अभिभोक्ता को अपील करनी पड़ती है । हो सकता है कि इनमें कुछ मामले सही न हों, किन्तु सामान्यतः यह नहीं कहा जा सकता कि सभी अभियोग झूठे होते हैं । दण्डाधिकारी इन मामलों पर उचित ध्यान नहीं देते । अतः अभिभोक्ता को अपील करने का अधिकार तो होना ही चाहिये, किन्तु मैं श्री राने के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि अपील सत्र न्यायाधीश के पास की जानी चाहिये । उच्च न्यायालय से अपील की अनुमति मिलने पर ही अपील होनी चाहिये ।

[श्री मूलचन्द दुबे]

धारा ४३५ के अधीन उच्च न्यायालय को दण्ड में वृद्धि करने का अधिकार है और इसलिये यह आवश्यक नहीं कि कोई उच्च न्यायालय के सम्मुख पुनर्विचार का आवेदन पत्र प्रस्तुत करे ।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : खण्ड ८५ तथा ८६ अभिभोक्ता की रक्षा के लिये हैं और उन से किसी भी प्रकार उस का अहित नहीं हो सकता । यदि अभियुक्त को यथोचित दण्ड नहीं दिया गया है तो उसे उचित दंड देने की शक्ति रखने वाले उपबन्ध का मैं समर्थक हूं । अपराधी को अपराध के अनुसार अब दण्ड मिला करेगा ।

खण्ड ८५ के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि विमुक्ति के विरुद्ध अपील की व्यवस्था होनी चाहिये । यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि उस के साथ न्यायाधीश ने न्याय नहीं किया है तो उसे अपील करने का अधिकार होना चाहिये । किन्तु इस का तात्पर्य यह नहीं जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा है कि उसे न्यायपालिका में विश्वास नहीं है । मैं सामाजिक न्याय की दृष्टि से इस समस्या पर विचार करना चाहता हूं । मैं तो कहूंगा कि सभ्यता वहीं पर समझी जानी चाहिये जहां नैतिकता एवं शान्ति हो तथा अपराधियों को उचित दण्ड दिया जाता हो । किन्तु आज के कथित सभ्य देशों में इस प्रकार के उपाय अपनाये जा रहे हैं कि वास्तविक अपराधी का पता लगा कर उसे दण्ड देना कठिन हो जाता है । अतः मैं ऐसे देश को सभ्य देश मानने के लिये तैयार नहीं हूं । किसी भी देश को हम सभ्य देश तभी कह सकते हैं जब वहां चोरियां तथा किसी प्रकार के अपराध न होते हों तथा लोग नैतिक ढ़ंग से जीवन यापन करते हों । हमें उपनिषद् में राजा जनक का वह वाक्य स्मरण है जिस में उन्हों ने कहा था "नमेस्तेनो जनपदे इत्यादि ।" जब तक किसी देश से पाप तथा अत्याचार नहीं समाप्त होते तब तक उस देश में शान्ति का साम्राज्य स्थापित नहीं हो सकता । सभी प्रकार की सम्पन्नता तथा औद्योगिक उन्नति होनी भी आवश्यक है । अपराधियों को यह भय होना चाहिये कि यदि वे बुरे कार्य करेंगे तो उन्हें उचित दण्ड मिलेगा ।

इस कारण मैं श्री राने के इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि विमुक्ति के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय की बजाय सत्र न्यायालय में होनी चाहिये, क्योंकि गरीब लोगों की पहुंच वहां तक बड़ी कठिनाई से हो सकेगी । अतः अपील ऐसे न्यायालय में की जानी चाहिये जो निकट भी हो और जिसे सारे अधिकार भी प्राप्त हों । इस के लिये सत्र न्यायाधीश सब से उपयुक्त हैं । उन में जनता का विश्वास भी है । अतः मैं इस संशोधन का पूर्ण समर्थन करता हूं ।

श्री आर० डी० मिश्र (जिला बुलन्दशहर) : मेरे भाई राने साहब ने जो अपना अमेंडमेंट नम्बर ४०७ दिया है मैं उस को सपोर्ट करता हूं । गवर्नमेंट ने इस बिल में यह बात रख कर कि कम्पलेनेंट्स को भी हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिये, इस उसूल को मान लिया है कि जो कम्पलेनेंट्स होते हैं उन के सम्बन्ध में न्यायालय अक्सर गलती करते हैं और गवर्नमेंट ने ऐसा महसूस किया कि उन को कोई मौका अपील का देना चाहिये । मेरा यह कहना नहीं है कि मजिस्ट्रेट जो हैं वह एक गलत काम करते हैं और जज ज्यादा बढ़िया करते हैं । बात यह है कि इन्सान गलती करता है । "टु अर इज ह्युमैन" । मजिस्ट्रेट से भी गलती होती है और जज से भी गलती होती है । मुलजिमों को सजा होने पर अपील करने का हक दिया हुआ है केवल इसलिये कि हो सकता है कि मजिस्ट्रेट ने उनको सजा करने में गलती की हो या जज ने

गलती की हो तो वह आगे जा कर अपने लिये न्याय प्राप्त कर सकें । इसी तरीके पर यह जरूरी हो जाता है कि जिन लोगों ने इस्तगासा दायर किया और कम्पलेंट दायर की, उन का फैसला करने में अगर मजिस्ट्रेट ने या जज ने गलती की है और मुलजिमों को कानून का गलत इस्तेमाल कर के छोड़ दिया है तो वह न्याय पाने के लिये ऊपर को जा सकें । ऐसी ऐसी रूलिंग्स सामने मौजूद हैं । यहां मेरे पास पंजाब की एक रूलिंग है जिसमें आप देखेंगे कि एक औरत है जिस का नाम पलवेन्द्र कौर है और जिन पर मुकदमा चलाया गया कि उस ने एक आदमी से मिल कर अपने पति को मरवा दिया । उन्हों ने इकबाल किया था और पुलिस ने उस का चालान किया और जज ने कालेपानी की सजा दफा ३०२ में कर दी लेकिन जब वह मुकदमा हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट ने कहा कि ३०२ उस स्त्री पर साबित नहीं होता, बल्कि २०१ साबित होता है कि उन्हों ने लाश को गुम किया और इस लिये हाई कोर्ट ने उन्हें दफा २०१ के अन्दर सात वर्ष की सजा कर दी । हाईकोर्ट से मुकद्दमा आगे बढ़ कर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट गलत है । यह कनफैशन नहीं है और उस औरत पर कोई मुकद्दमा साबित नहीं होता है और कत्ल बिल्कुल गलत है और नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जजों की राय को गलत बतलाया और कहा कि हाईकोर्ट ने २०१ में जो सजा दी वह गलत है, उसे कनफैशन मान लिया हालांकि वह कन-फैशन नहीं है । हाईकोर्ट ने सेशन जज की अदालत के फैसले को गलत बतलाया और कहा कि इस में कत्ल के जुर्म में सजा नहीं हो सकती, इस में तो सिर्फ लाश को छिपाने की सजा हो सकती है । मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि जज ने कोई बेईमानी की या हाईकोर्ट के जज ने गलती की । गलती तो हर एक से होती है । सेशन जज ने गलती की, ऊपर के कोर्ट ने हाईकोर्ट ने उस को दुरुस्त किया । हाईकोर्ट ने उस मुकद्दमे पर जब गौर किया तो उस को दूसरे तरीके पर पहचाना और उन्हों ने उस गलती को दूर किया लेकिन तब भी उस में गलती रह गयी और उस को फिर आगे जा कर सुप्रीम कोर्ट ने दूर किया । तो गलती का जहां तक ताल्लुक है, गलती तो हर इंसान से होती है । हो सकता है कि मुलजिम को छोड़ने में अदालत से गलती हो जाये, ऐसी हालत के वास्ते गवर्नमेंट ने यहां पर इस बिल में यह रक्खा कि कम्पलेंट केसेस में जो मुस्तगीज हों अगर उन को कोई शिकायत हो तो वह जा कर सीधे हाईकोर्ट में जायें । यह बात जरा समझ में नहीं आती कि मुद्दई लोगों को जरा जरा सी बात में और अक्सर दौड़ दौड़ कर हाईकोर्ट अपील के वास्ते जाना पड़े । अगर आप अपील का मौका देते हैं तो क्यों न वहीं हेडक्वार्टर में जिले का जो जज होता है उस के पास वह अपनी अपील दायर कर के उस से फैसला करवा सकते हैं । हाई कोर्ट तक जाने में और बड़े बड़े वकीलों को पैसा देने में और सफर आदि करने में काफी खर्चा होता है और बड़ी परेशानी होती है । जब हमें जनता को आराम पहुंचाना है तब हमें उन को वहीं अपने हेडक्वार्टर पर अपील करने का मौका देना चाहिये ताकि अगर किसी मजिस्ट्रेट ने कोई गलती की है तो सेशन जज उस गलती को दूर कर दे । उस के बाद आगे अपील का मौका नहीं होना चाहिये । हां, अगर कोई संगीन मामला हो तो वह उस को हाईकोर्ट में ले जा सकते हैं । ऐसा सोचना कि हाईकोर्ट में बड़ा न्याय हो जायेगा और सेशन जज के यहां नहीं होगा यह गलत है । गलतियां सब जगह होती हैं । हाईकोर्टस में भी गलतियां होती हैं । हाईकोर्ट में आपने यह जो अपील का मौका दिया है, इस से हाईकोर्ट में काम बहुत बढ़ जायेगा ।

मेरा निवेदन है कि जिन मामलों में जमानत नहीं ली जाती उन में भी ये अधिकार दिये जाने चाहियें। ऐसे अवसर पर केवल यह विचार नहीं करना चाहिये कि मामला गंभीर है अथवा अन्य प्रकार का है। गम्भीर मामले में भी न्याय करने के लिये न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि अभियुक्त को अपील करने का अवसर देना चाहिये। भले ही अभियुक्त से अधिक प्रतिभूति मांग ली जाये, परन्तु प्रत्येक मामले में इस लाभदायक उपबन्ध का लाभ उपलब्ध होना चाहिये।

यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दण्ड दिया गया हो, तो संभव है वह उद्दण्ड हो जाये तथा और हत्या कर बैठे। तब श्री साधन गुप्त के संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये कि जिन मामलों में दण्ड दो वर्ष या उस से कम कारावास का हो तो न्यायालय को ये अधिकार प्रयोग करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिये।

श्री राने : मैं माननीय सदस्य श्री साधन गुप्त, श्री मोरे और पंडित ठाकुर दास भार्गव के इन विचारों से सहमत नहीं हूं कि विमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील नहीं होनी चाहिये। मेरा यह विचार है कि वादी के साथ भी न्याय किया जाना चाहिये। यदि उस के साथ अन्याय हुआ हो तो उस अन्याय को भी दूर करना चाहिये। निस्सन्देह, निरापराध अभियुक्त को भी विमुक्त कर देना चाहिये। मैं ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी यह कहते सुना है कि नैतिक दृष्टि से यह विश्वास होने पर भी कि अभियुक्त अपराधी है वह वैध रूप से उसे अपराधी सिद्ध नहीं कर सकते। अतः हमें वादी के साथ न्याय करने का भी साधन ढूंढ़ना चाहिये। मेरा संशोधन यह है कि सत्र न्यायाधीश को भी अपील के अधिकार मिलने चाहियें और यदि विमुक्ति का निर्णय सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश ने दिया हो, तो उच्च न्यायालय को अपील करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिये

माननीय गृह-मंत्री ने कहा है कि वह यह चाहते हैं कि न्याय शीघ्र होना चाहिये और उस पर कम से कम व्यय होना चाहिये। मेरे संशोधन का भी यही उद्देश्य है। उपखण्ड ३ के अनुसार वादी को अपील के लिये उच्च न्यायालय से अनुमति मांगनी होगी जिस का अभिप्राय यह है कि एक ग्रामीण दरिद्र व्यक्ति को कलकत्ता बम्बई आदि स्थानों पर जा कर विख्यात अधिवक्ता करने होंगे। इस पर अत्याधिक व्यय होगा जो कि विधेयक के उद्देश्य के विरुद्ध है। अतः मेरा यह निवेदन है कि यदि दण्डाधिकारी ने विमुक्ति का आदेश दिया हो तो सत्र न्यायालय को अपील प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये। बम्बई के मख्य प्रेसीडेंसी दण्डाधिकारी ने भी इसी प्रकार की राय दी है। सांबलपुर (उड़ीसा) की विधि जीवी संस्था ने इस राय का समर्थन किया है। इसी प्रकार अन्य लोगों ने भी मेरे इस विचार की पुष्टि की है।

श्री एस० एस० मोरे : क्या कोई ऐसा सभ्य देश है जहां विमुक्ति के विरुद्ध इस प्रकार की अपील का उपबन्ध है ?

श्री राने : मेरे मित्र ने पूछा है कि ऐसा उपबन्ध किन किन सभ्य देशों में है। हमें अपने देश में परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करना चाहिये। चाहे कोई उपबन्ध किसी सभ्य देश में हो अथवा न हो परन्तु हमें समयानुकूल परिवर्तन करना चाहिये। इस बात को बहुत लोग स्वीकार करेंगे कि बहुत से मामलों में विमक्ति से वादी के प्रति अन्याय हो जाता है और उस का कुछ उपचार होना चाहिये। अतः मैं इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने की सिफारिश करता हूं और इस के साथ ही अपने संशोधन के अनुसार यह चाहता हूं कि इसे और बढ़ा दिया जाये।

श्री जी० एच० देशपांडे : (नासिक—मध्य) : मैं अपने मित्र श्री राने द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इन दिनों की चर्चा में किसी ने भी वादी के सम्बन्ध में अपनी अभिरुचि व्यक्त नहीं की थी ; सभी ने अभियुक्त का पक्ष लिया था मानों देश में ऐसी परिस्थितियां हों कि बहुत से निरापराध व्यक्तियों को साक्ष्य के बिना ही दण्ड दे दिया जाता हो। ऐसी बात नहीं है वरन् समाज अपने आप को अरक्षित समझता है। वादी केवल इस लिये शिकायत नहीं करता क्योंकि आज कल किसी अपराधी को दण्ड दिलाना प्रायः असम्भव है। समाज की प्रगति के लिये आवश्यक है कि समाज में रक्षा की भावना विद्यमान हो। सभी वादी बुरे व्यक्ति नहीं हैं और न ही सभी अभियुक्त अपराधी हैं। अपराधी को अपने बचाव का अवसर मिलना चाहिये और वादी को अपनी शिकायत प्रमाणित करने का अवसर मिलना चाहिये।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं श्री राने की इस बात से सहमत हूं कि विधान द्वारा केवल अभियुक्त की ही सहायता नहीं करनी चाहिये परन्तु मुझे उन के इस सुझाव से विरोध है कि अपील सत्र न्यायालय से की जाये। सिद्धान्त के नाते मैं विमुक्ति पर अपील का भी विरोध करता हूं। कई बार शिकायतें सर्वथा निरर्थक होती हैं। और उन पर और समय लगाना सर्वथा व्यर्थ होता है। अतएव विमुक्ति के विरुद्ध अपील का उपबन्ध न रखने का सिद्धान्त उपयुक्त ही है। परन्तु कभी कभी ऐसा भी होता है कि दण्डाधिकारी बिना कारण ही अथवा किसी द्वेषभाव के कारण सच्चे मामले को भी असफल कर देता है। अतएव इस के लिये कोई उपबन्ध होना चाहिये और संभवतः इसी आधार पर सरकार के अपील करने के अधिकार को आवश्यक समझा गया था।

श्री राने ने कहा है कि उन के संशोधन से बिना विलम्ब के और कम व्यय पर न्याय प्राप्ति का उद्देश्य पूर्ण हो जायेगा। परन्तु मेरा यह निवेदन है कि उन का सुझाव अत्याधिक व्यय वाला और उलझन भरा है। उन का कहना है कि यदि किसी शिकायत करने वाले की शिकायत रद्द हो जाये तो उसे आगे इधर उधर भागना पड़ता है जिस में उस का बहुत खर्च हो जाता है। यदि सत्र न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में से एक को चुनने का प्रश्न किसी व्यक्ति के सम्मुख आता है तो उच्च न्यायालय को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। यदि किसी व्यक्ति को अनुमति मिल जाये तो वह उच्च न्यायालय के सम्मुख अपील कर के इस प्रश्न को अन्तिम रूप से निबटा सकता है। माननीय मंत्री का यह सुझाव कि शिकायत के मामलों में भी अपील की अनुमति होनी चाहिये, एक नई चीज है। यदि ऐसा है, तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी मामलों में भी अपील करने की अनुमति होनी चाहिये। अतः यदि निजी शिकायतों पर कुछ नियंत्रण लगाना है तो वह विमुक्ति के विरुद्ध सरकार द्वारा की जाने वाली अपीलों के सम्बन्ध में भी होना चाहिये।

कुछ सदस्यों ने यह व्यक्त किया है कि विमुक्ति के विरुद्ध अपील करने का तात्पर्य न्यायपालिका में अविश्वास प्रकट करना होगा। श्री मोरे का कथन है कि दण्डाधिकारियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे मामलों का उचित रूप से अध्ययन नहीं करते हैं। तत्पश्चात् उन का कथन है कि उन दण्डाधिकारियों पर विश्वास करना चाहिये तथा उनके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं होनी चाहिये। मेरी समझ में उन का यह तर्क नहीं आया। मेरे विचार से तो यदि हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो उन के द्वारा निजी अभियोगों के सम्बन्ध में

दिये गये आदेशों के विरुद्ध अपील की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने यह भी कहा था कि जब दण्डाधिकारी एक बार किसी मामलें पर विचार कर ले तो फिर उन के मार्ग में गड़बड़ी नहीं उत्पन्न की जानी चाहिये । यह समझा गया है कि उस के पश्चात् आने वाला दण्डाडाधिकारी ही इस बात का निर्णय करने के लिये उपयुक्त व्यक्ति होगा कि अभियोग की सुनवाई नये सिरे से की जानी चाहिये अथवा नहीं । हम यहां उस सिद्धान्त पर अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं । यद्यपि दण्डाधिकारियों से गलती हो सकती है, किन्तु सामान्यत: होती नहीं है । अत: मेरा सुझाव यह है कि शिकायतों के रद्द होने के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने की व्यवस्था भी होनी चाहिये ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि अपराधी उच्च न्यायालय में अपील विमुक्ति के लिये करता है, किन्तु होता उस का उल्टा है, अर्थात्, उस के दण्ड में वृद्धि हो जाती है । इस से अपील करने का उत्साह ठण्डा पड़ता जा रहा है ।

डा० काटजू : मैं समझता हूं कि यह तो अच्छा है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : यह कभी अच्छा सिद्ध हो सकता है तो कभी खराब भी ।

यदि अपील नहीं की जाती है, तो बिल्कुल अपवादस्वरूप मामलों में ही पुनर्विचार अथवा दण्ड में वृद्धि करने के लिये आवेदन दिया जाता है । यदि अपील की जाती है तो सामान्यत: सरकार दण्ड में वृद्धि के लिये आवेदन प्रस्तुत करती है । ऐसा नहीं होना चाहिये । अन्यथा यदि अपील की सुनवाई के समय ही आवेदन पत्र दे दिया जाये और वृद्धि हो जाये, तो अपील करने का उत्साह कम रह जाता है जो अपराधी के लिये घातक सिद्ध होता है ।

अन्तिम बात मुझे इस सम्बन्ध म यह कहनी है कि अधीनस्थ दण्डाधिकारियों द्वारा की गई दोषसिद्धियों की अपीलें सुनने से दण्डाधिकारियों को मुक्ति मिल गई है । यह चीज बहुत पहले ही हो जानी चाहिये थी जो अब जा कर इस विधेयक में आ सकी है ।

अतिरिक्त तथा सहायक सत्र न्यायाधीशों के लिये अभियोगों के अलग अलग वर्ग निश्चित करने की जो व्यवस्था की गई है इस से कुछ गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है ।

श्री मूलचन्द दुबे (जिला फर्रुखाबाद—उत्तर) : मैं श्री साधन गुप्त के इस कथन से सहमत नहीं कि धारा १७ के उपबन्धों को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाय । विमुक्ति के विरुद्ध आवश्यकता से अधिक अपीलें नहीं होनी चाहिये । इसी कारण राज्य सरकार भी साधारणत: अपील करने के लिये अनुमति नहीं देती है । मेरा निवेदन यह है कि धारा १७ के उपबन्ध आवश्यक हैं इस कारण उन्हें नहीं हटाया जाना चाहिये ।

पुलिस के द्वारा सहायता न की जाने पर अथवा जांच न होने पर अभिभोक्ता को अपील करनी पड़ती है । हो सकता है कि इनमें कुछ मामले सही न हों, किन्तु सामान्यत: यह नहीं कहा जा सकता कि सभी अभियोग झूठे होते हैं । दण्डाधिकारी इन मामलों पर उचित ध्यान नहीं देते । अत: अभिभोक्ता को अपील करने का अधिकार तो होना ही चाहिये, किन्तु मैं श्री राने के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि अपील सत्र न्यायाधीश के पास की जानी चाहिये । उच्च न्यायालय से अपील की अनुमति मिलने पर ही अपील होनी चाहिये ।

[श्री मूलचन्द दुबे]

धारा ४३५ के अधीन उच्च न्यायालय को दण्ड में वृद्धि करने का अधिकार है और इसलिये यह आवश्यक नहीं कि कोई उच्च न्यायालय के सम्मुख पुनर्विचार का आवेदन पत्र प्रस्तुत करे ।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : खण्ड ८५ तथा ८६ अभिभोक्ता की रक्षा के लिये हैं और उन से किसी भी प्रकार उस का अहित नहीं हो सकता । यदि अभियुक्त को यथोचित दण्ड नहीं दिया गया है तो उसे उचित दंड देने की शक्ति रखने वाले उपबन्ध का मैं समर्थक हूं । अपराधी को अपराध के अनुसार अब दण्ड मिला करेगा ।

खण्ड ८५ के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि विमुक्ति के विरुद्ध अपील की व्यवस्था होनी चाहिये । यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि उस के साथ न्यायाधीश ने न्याय नहीं किया है तो उसे अपील करने का अधिकार होना चाहिये । किन्तु इस का तात्पर्य यह नहीं जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा है कि उसे न्यायपालिका में विश्वास नहीं है । मैं सामाजिक न्याय की दृष्टि से इस समस्या पर विचार करना चाहता हूं । मैं तो कहूंगा कि सभ्यता वहीं पर समझी जानी चाहिये जहां नैतिकता एवं शान्ति हो तथा अपराधियों को उचित दण्ड दिया जाता हो । किन्तु आज के कथित सभ्य देशों में इस प्रकार के उपाय अपनाये जा रहे हैं कि वास्तविक अपराधी का पता लगा कर उसे दण्ड देना कठिन हो जाता है । अतः मैं ऐसे देश को सभ्य देश मानने के लिये तैयार नहीं हूं । किसी भी देश को हम सभ्य देश तभी कह सकते हैं जब वहां चोरियां तथा किसी प्रकार के अपराध न होते हों तथा लोग नैतिक ढंग से जीवन यापन करते हों । हमें उपनिषद् में राजा जनक का वह वाक्य स्मरण है जिस में उन्हों ने कहा था "नमेस्तेनो जनपदे इत्यादि ।" जब तक किसी देश से पाप तथा अत्याचार नहीं समाप्त होते तब तक उस देश में शान्ति का साम्राज्य स्थापित नहीं हो सकता । सभी प्रकार की सम्पन्नता तथा औद्योगिक उन्नति होनी भी आवश्यक है । अपराधियों को यह भय होना चाहिये कि यदि वे बुरे कार्य करेंगे तो उन्हें उचित दण्ड मिलेगा ।

इस कारण मैं श्री राने के इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि विमुक्ति के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय की बजाय सत्र न्यायालय में होनी चाहिये, क्योंकि गरीब लोगों की पहुंच वहां तक बड़ी कठिनाई से हो सकेगी । अतः अपील ऐसे न्यायालय में की जानी चाहिये जो निकट भी हो और जिसे सारे अधिकार भी प्राप्त हों । इस के लिये सत्र न्यायाधीश सब से उपयुक्त हैं । उन में जनता का विश्वास भी है । अतः मैं इस संशोधन का पूर्ण समर्थन करता हूं ।

श्री आर० डी० मिश्र (जिला बुलन्दशहर) : मेरे भाई राने साहब ने जो अपना अमेंडमेंट नम्बर ४०७ दिया है मैं उस को सपोर्ट करता हूं । गवर्नमेंट ने इस बिल में यह बात रख कर कि कम्पलेनेंट्स को भी हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिये, इस उसूल को मान लिया है कि जो कम्पलेनेंट्स होते हैं उन के सम्बन्ध में न्यायालय अक्सर गलती करते हैं और गवर्नमेंट ने ऐसा महसूस किया कि उन को कोई मौका अपील का देना चाहिये । मेरा यह कहना नहीं है कि मजिस्ट्रेट जो हैं वह एक गलत काम करते हैं और जज ज्यादा बढ़िया करते हैं । बात यह है कि इन्सान गलती करता है । "टु अर इज़ ह्युमैन" । मजिस्ट्रेट से भी गलती होती है और जज से भी गलती होती है । मुलज़िमों को सजा होने पर अपील करने का हक दिया हुआ है केवल इसलिये कि हो सकता है कि मजिस्ट्रेट ने उनको सजा करने में गलती की हो या जज ने

गलती की हो तो वह आगे जा कर अपने लिये न्याय प्राप्त कर सकें। इसी तरीके पर यह जरूरी हो जाता है कि जिन लोगों ने इस्तगासा दायर किया और कम्पलेंट दायर की, उन का फैसला करने में अगर मजिस्ट्रेट ने या जज ने गलती की है और मुलजिमों को कानून का गलत इस्तेमाल कर के छोड़ दिया है तो वह न्याय पाने के लिये ऊपर को जा सकें। ऐसी ऐसी रूलिंग्स सामने मौजूद हैं। यहां मेरे पास पंजाब की एक रूलिंग है जिसमें आप देखेंगे कि एक औरत है जिस का नाम पलवेन्द्र कौर है और जिन पर मुकदमा चलाया गया कि उस ने एक आदमी से मिल कर अपने पति को मरवा दिया। उन्हों ने इकबाल किया था और पुलिस ने उस का चालान किया और जज ने कालेपानी की सजा दफा ३०२ में कर दी लेकिन जब वह मुकदमा हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट ने कहा कि ३०२ उस स्त्री पर साबित नहीं होता, बल्कि २०१ साबित होता है कि उन्हों ने लाश को गुम किया और इस लिये हाई कोर्ट ने उन्हें दफा २०१ के अन्दर सात वर्ष की सजा कर दी। हाईकोर्ट से मुकद्दमा आगे बढ़ कर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट गलत है। यह कनफैशन नहीं है और उस औरत पर कोई मुकद्दमा साबित नहीं होता है और कत्ल बिल्कुल गलत है और नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जजों की राय को गलत बतलाया और कहा कि हाईकोर्ट ने २०१ में जो सजा दी वह गलत है, उसे कनफैशन मान लिया हालांकि वह कन-फैशन नहीं है। हाईकोर्ट ने सेशन जज की अदालत के फैसले को गलत बतलाया और कहा कि इस में कत्ल के जुर्म में सजा नहीं हो सकती, इस में तो सिर्फ लाश को छिपाने की सजा हो सकती है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि जज ने कोई बेईमानी की या हाईकोर्ट के जज ने गलती की। गलती तो हर एक से होती है। सेशन जज ने गलती की, ऊपर के कोर्ट ने हाईकोर्ट ने उस को दुरुस्त किया। हाईकोर्ट ने उस मुकद्दमे पर जब गौर किया तो उस को दूसरे तरीके पर पहचाना और उन्हों ने उस गलती को दूर किया लेकिन तब भी उस में गलती रह गयी और उस को फिर आगे जा कर सुप्रीम कोर्ट ने दूर किया। तो गलती का जहां तक ताल्लुक है, गलती तो हर इंसान से होती है। हो सकता है कि मुलजिम को छोड़ने में अदालत से गलती हो जाये, ऐसी हालत के वास्ते गवर्नमेंट ने यहां पर इस बिल में यह रक्खा कि कम्पलेंट केसेस में जो मुस्तगीज हों अगर उन को कोई शिकायत हो तो वह जा कर सीधे हाईकोर्ट में जायें। यह बात जरा समझ में नहीं आती कि मुद्दई लोगों को जरा जरा सी बात में और अक्सर दौड़ दौड़ कर हाईकोर्ट अपील के वास्ते जाना पड़े। अगर आप अपील का मौका देते हैं तो क्यों न वहीं हेडक्वार्टर में जिले का जो जज होता है उस के पास वह अपनी अपील दायर कर के उस से फैसला करवा सकते हैं। हाई कोर्ट तक जाने में और बड़े बड़े वकीलों को पैसा देने में और सफर आदि करने में काफी खर्चा होता है और बड़ी परेशानी होती है। जब हमें जनता को आराम पहुंचाना है तब हमें उन को वहीं अपने हेडक्वार्टर पर अपील करने का मौका देना चाहिये ताकि अगर किसी मजिस्ट्रेट ने कोई गलती की है तो सेशन जज उस गलती को दूर कर दे। उस के बाद आगे अपील का मौका नहीं होना चाहिये। हां, अगर कोई संगीन मामला हो तो वह उस को हाईकोर्ट में ले जा सकते हैं। ऐसा सोचना कि हाईकोर्ट में बड़ा न्याय हो जायेगा और सेशन जज के यहां नहीं होगा यह गलत है। गलतियां सब जगह होती हैं। हाईकोर्टस में भी गलतियां होती हैं। हाईकोर्ट में आपने यह जो अपील का मौका दिया है, इस से हाईकोर्ट में काम बहुत बढ़ जायेगा।

[श्री आर० डी० मिश्र]

हाई कोर्ट के पास वैसे ही काफी काम करने को पड़ा हुआ है और आप ने खुद अपनी जो रिपोर्ट दी है उस में लिखा है कि हाईकोर्टस में काफी काम का एरियर पड़ा हुआ है और जजों की तादाद काफी न होने के कारण वहां काम पूरा नहीं हो पा रहा है और इस पर आप यह जो हर इलाके को ऐक्युटल के खिलाफ हाईकोर्टस् में अपील करने का मौका दे रहे हैं इस से नतीजा यह होगा कि वहां काम और ज्यादा बढ़ जायेगा जो आलरेडी ज्यादा है । आप हाईकोर्टस् के जजों की तादाद बढ़ा नहीं सकते क्योंकि आप के पास पैसा नहीं है इतना कि उन की तादाद बढ़ायें । इसलिये जरूरी हो जाता है कि आप सेशन जज को अख्तियार दें कि वह उन अपीलों पर फैसला दें और मजिस्ट्रेटों के फैसलों के खिलाफ जिन लोगों को ऐतराज होगा वह सेशन जज के पास अपील कर के न्याय ले सकें और मैं समझता हूं कि इस से उन को तसल्ली हो जायेगी कि जज ने हमारी बात सुन ली और लोअर कोर्ट की गलती को दुरुस्त कर दिया अगर हम ऐसा करें तो हम देखेंगे कि हाईकोर्टस् में जाने वाली हजारों अर्जियों में सिर्फ दो, चार ही बाकी रह जायेंगी जो हाई कोर्टस् जा सकेंगी और बाकी को सेशन जज के वहां से तसल्ली हो जायेगी और सारे मामलात सेशन जज के वहां से फैसल हो जायेंगे । हमें हाईकोर्टस् के जजों के काम को और बढ़ाना नहीं चाहिये, हमें उन के काम को हलका करना है, हाईकोर्टस और सुप्रीम कोर्टस् के ऊपर हमें भार नहीं डालना चाहिये बल्कि यह चाहिये कि वहीं हेडक्वार्टर में सेशन जज की अदालत में उन अपीलों को तय करवा दें । मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि आप इस न्याय के लिये जिस की जिम्मेदारी आप पर है, मेरे सुझाव को स्वीकार करने की कृपा करें । आप पर सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं है कि मुलजिम और डाकू लोग सजा पा जायें । सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का हक कुछ कागनिजबुल केसेज के अन्दर मस्तगीसों को देना ही चाहिये जिन में पुलिस मुकद्दमा नहीं चलाती और नान-कागनिजेबुल केसेज में पुलिस मुकद्दमा नहीं चलाती है, दस्तअंदाजी नहीं करती है, उन सब में इस्तगासे को ऊंची अदालतों में अपील करने का हक दिया जाना चाहिये ।

बहुत से दस्तन्दाजी के मुकदमे होते हैं, लेकिन आप के रूल्स के मुताबिक पुलिस उन में दखल नहीं दे सकती । वहां मुद्दियों को स्वयं पर इस्तगासा देना पड़ता है । तो मार-पीट आदि जितने जिस्मानी नुक्सान पहुंचाने वाले जुर्म हैं, सिवा कत्ल और संगीन बलवों के जितने जरायम हैं वह सब इस्तगासे के ऊपर ही चलते हैं । मान लीजिये, मार-पीट हो गई, हड्डी टूट गई या और कहीं चोट लग गई, तो मुद्दई इस्तगासा दायर करता है, पुलिस नहीं करती । जब आप पुलिस को अपील का हक दे रहे हैं तो इन बेचारों को भी वह हक क्यों न दिया जाये । मार-पीट हो गई, हड्डी टूट अई, आदमी मर रहा है लेकिन कानून के मामले में गलती कर के मजिस्ट्रेट ने दूसरी पार्टी को कुछ फायदा दे दिया । किसी वकील ने कोई पुरानी रूलिंग उठा कर दिखला दिया कि इस रूलिंग के मुताबिक मुकद्दमा चल ही नहीं सकता और उस रूलिंग को देख कर मजिस्ट्रेट ने कोई गलत फैसला दे दिया तो कम से कम मुस्तगीस को यह मौका तो देना ही चाहिये कि वह कह सके कि इस तरह से उस का मुकदमा गलत तय किया गया । जो वाकई मुल्जिम है, जिस ने मार पीट की है, चोरी की है, डाका डाला है, उस को सजा होनी ही चाहिये और मुस्तगीस को इस का मौका जरूर देना चाहिये कि वह गलती की ऊपर की अदालत से दुरुस्ती करवा सके । असल में

इस की जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की ही होनी चाहिये । गवर्नमेंट के न्यायालय में कौन आता है जिस के घर चोरी होती है, जिस के साथ ज्यादती होती है, डाका पड़ता है, अगर पुलिस डाके के मुकदमे नहीं चलाती है तो वह इस्तगासे पर चलते हैं । इस में आप को जनता की मदद तो करनी ही चाहिये अगर उस को न्याय ठीक से नहीं मिल पाता है । जो कोई आप के यहां न्याय लेने के लिये आता है उस के साथ आप न्याय कराने की कोशिश कीजिये । अगर मजिस्ट्रेट या जज कहीं पर गलती कर जाये तो उस गलती की दुरुस्ती होनी ही चाहिये । न्याय की अदालतें इसीलिये होती हैं । मैं कहना चाहता हूं कि मजिस्ट्रेट की अपील जज के यहां होनी चाहिये और जज की अपील हाईकोर्ट में होनी चाहिये और इस तरह से न्याय होना चाहिये । आज कल समाज की हालत बहुत बिगड़ी हुई है । चारों तरफ चोरी, डकैती, जुल्म, मार-पीट, हर तरह की वारदातें हो रही हैं । हमें ला एंड आर्डर कायम करना है और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ला एंड आर्डर कायम रखने की । जो जनता के आदमी कम्पलेनेंट की शक्ल में आ कर आप की मदद करना चाहते हैं कि फलां शख्स ने जुर्म किया है, आप का काम है कि आप उन की सहायता करें । अव्वल तो गवर्नमेंट का फर्ज है कि सब जुर्मों की तहकीकात करे और मुजरिमों को सजा कराये । लेकिन अगर किसी वजह से काग्निजेबल और नान-काग्निजेबल का फर्क हो गया है तो जो मुद्दई और मुस्तगीस अपना इस्तगासा दायर कर के आप के काम को हल्का करना चाहें, मुल्जिमों को सजा कराना चाहें और कहें कि आप की अदालतों से उन के साथ न्याय होना चाहिये तो आप का फर्ज है कि आप उन को मौका दीजिये । उस के रास्ते में जो कानूनी रुकावट हो जिस की वजह से वह न्याय नहीं पा रहा है, उस को भी आप को दूर करना चाहिये । यही मेरा निवेदन है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस की ताईद करता हूं । आप ने जो यह बात रक्खी है कि एक्विटल के खिलाफ अपील होनी चाहिये, यह मुझे पसन्द है और आप ने यह निहायत माकूल चीज रक्खी है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं । वास्तव में इस चीज की आवश्यकता भी थी कि विमुक्ति के विरुद्ध अपील करने का अधिकार दिया जाये और वह भी सत्र न्यायाधीश के यहां क्योंकि उच्च न्यायालय बहुत दूर होते हैं इस कारण जनता को वहां तक पहुंचने में असुविधा होती है । इस से पूर्व सन्देह लाभ अभियुक्त को मिलता था और कभी कभी वह भी नहीं । राजस्थान में तो उच्च न्यायालय की कौन कहे सत्र न्यायालय तक बड़ी दूर पड़ता था । इस दूरी का परिणाम यह होता है कि वकील बड़ी लम्बी चौड़ी फीस मांगा करते हैं । इस कारण होना यह चाहिये कि सत्र न्यायाधीशों को अपीलों के सुनने का अधिकार भी दे दिया जाये । इस से अभियुक्त को भी लाभ होगा क्योंकि धारा ४१७ के अधीन ऐसे सारे मामलों की अपील उच्च न्यायालय में होगी और अभियुक्त को भी समय पा कर उच्च न्यायालय जाना पड़ेगा । इस से उस के भी समय तथा धन दोनों की बचत होगी । सरकारी पदाधिकारियों को भी निर्विरोध अपील करने का अधिकार दे दिया गया है । कठिनाई धारा ४१७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत यह पड़ती है कि ऐसी अपील तभी की जा सकेगी जब कि उच्च न्यायालय अपील के लिये विशेष रूप से अनुमति दे । ऐसा होने से अपील करने वाले व्यक्ति को कम से कम तीन बार न्यायालय तक जाना पड़ेगा जो उस के लिये बहुत महंगा पड़ेगा । अतः अपील के लिये विशेष रूप से अनुमति लेने का जो उपबन्ध रखा गया है, इसे हटा दिया जाना चाहिये । अच्छा तो यह होगा कि उच्च न्यायालय आरम्भ में ही उसे

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

रद्द कर दे। अतः आप बिना किसी सोच विचार के सरकारी पदाधिकारियों को अपील करने का अधिकार दे दीजिये। दूसरी बात यह कि साधारण अभिभोक्ता तथा सरकारी पदाधिकारी में भेद-भाव हो जायेगा जिस से साधारण अभिभोक्ता को कुछ हानि होगी। इस प्रकार का भेद-भाव होने पर वास्तव में अपील करने के लिये अनुमति दी जा सकती है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

डा० काटजू : जहां तक विमुक्ति के विरुद्ध अपील करने के विरोध में तर्कों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इस प्रस्थापना के रखने में बहुत विलम्ब कर दिया गया है। हमारे संविधान में भी इस स्थिति को स्वीकार किया गया है कि विमुक्ति के विरुद्ध अपील की जा सकती है। मैं आप का ध्यान संविधान के अनुच्छेद १३४ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिस में बताया गया है कि अपराध के मामलों में अपील स्वीकार करना सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र में है, और धारा १३४ (१) (क) बताती है कि सर्वोच्च न्यायालय उस अपील को भी स्वीकार कर सकता है जहां पर उच्च न्यायालय एक अभियुक्त व्यक्ति की विमुक्ति आदेश के विरुद्ध की गई अपील पर विमुक्ति आदेश बदल कर उसे मृत्यु दंड देता है। धारा ३०२ के अधीन एक हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश एक व्यक्ति को बरी कर देता है। सरकार विमुक्ति के विरुद्ध अपील करती है। उच्च न्यायालय उसे मृत्यु दण्ड देता है। उस मृत्यु दंड के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है। यह सारी प्रक्रिया एक विमुक्ति आदेश के विरुद्ध की गई अपील की कल्पना पर आधारित है। उच्च न्यायालय अपील स्वीकार कर लेता है। सुनवाई करता है और उसे मान लेता है। और उस व्यक्ति को मृत्यु दण्ड देता है। सर्वोच्च न्यायालय में की गई अपील उच्च न्यायालय की दोष-सिद्धि के विरुद्ध होगी। उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के विमुक्ति आदेश के विरुद्ध अपील स्वीकार की थी। भारत में, विमुक्ति के विरुद्ध अपील स्वीकार करने की प्रथा १०० वर्ष या अधिक पुरानी है। यह भी ध्यान रखिये कि विमुक्ति के विरुद्ध अपील केवल तथ्यों के आधार पर ही नहीं की जाती, बल्कि बहुधा, व्याख्या के महत्वपूर्ण प्रश्नों, विशेषकर स्थानीय विधियों—पर उच्च न्यायालय के प्रामाणिक निर्णय को प्राप्त करने के लिये भी ऐसा किया है। एक दण्डाधिकारी एक कैदी को उत्पाद कर अधिनियम या अन्य अधिनियमों के अधीन विमुक्त कर सकता है। उस के बाद अपील की जा सकती है। और उच्च न्यायालय उस पर ५ रुपये तक जुर्माना कर सकता है, पर अपील स्वीकार करनी पड़ती है। अतः अब यह आशा करने का समय व्यतीत हो चुका है कि विमुक्ति के विरुद्ध अपील को हटा दिया जाये।

अब विपरीत प्रस्थापना की बात आती है। अनेक सदस्यों ने कहा है कि गैर सरकारी वादी को भी अपील करने का अधिकार दिया जाना वांछनीय होगा। मेरे माननीय मित्र श्री एस० एस० मोरे ने सुझाव रखा कि एक गैर सरकारी वादी को जिला प्राधिकारियों और स्थानीय सरकार तक पहुंचने और उन्हें यह समझाने का प्रयत्न करने का अधिकार होना चाहिये कि दण्डाधिकारी ने उस के साथ अन्याय किया है, उसे न्याय से वंचित रखा गया है और इसलिये सरकार को इस विमुक्ति के विरुद्ध एक अपील करनी चाहिये। यह तरीका उस चीज के केवल एक पक्ष को देखना है। आजकल बिल्कुल ऐसा ही होता है। गैर सरकारी लोग जो समझते हैं कि हमारे

साथ अन्याय किया गया है, पुलिस कप्तान, जिला दण्डाधिकारी और सरकार के मुख्यालयों तक दौड़ धूप करते हैं और मैं यह जानता हूं कि यह सच है कि इस प्रकार की प्रार्थनायें कदाचित ही स्वीकार की जाती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यग्रता ठीक नहीं है। मेरे माननीय मित्र ने लम्बे चौड़े खर्चे का बड़ा भयंकर चित्र हमारे सामने रखा। जब मैं ने यह सुना तो मैं ने अपने मन में सोचा--आखिर यह लम्बी चौड़ी खर्चे की राशि कहां जाती है। यदि एक व्यक्ति को शोलापुर से बम्बई उच्च न्यायालय को जाना पड़ता है तो मैं समझता हूं कि ५, ६ या १० रुपये तक तीसरी श्रेणी का टिकट मिल जायेगा।

श्री राने : अधिवक्ता की फीस।

डा० काटजू : मैं एक मिनट में उस विषय पर आता हूं। अभी मैं एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के प्रश्न पर हूं। इस का एक स्वरूप यह है कि वह जिलामुख्यालय को जाता है और उसे आठ आना या एक रुपया व्यय करना पड़ता है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : आप थाने से हाईकोर्ट तक ही यात्रा लीजिये।

डा० काटजू : मेरे माननीय मित्र यह भूल रहे हैं कि कुल विधि-व्यय में यात्रा व्यय बहुत कम तथा निरर्थक है। जो चित्र खींचा गया है उस से मुझे १०० वर्ष पुराना समय स्मरण हो आता है। जब एक व्यक्ति को सहारनपुर से इलाहबाद जाना पड़ता था तो उसे बैलगाड़ी पर एक महीने का समय लगता था। वे दिन बीत गये हैं अब आप तीन घंटे में रेल से जा सकते हैं। मैं सुझाव दे रहा था कि सर्वोत्तम बात यह होगी कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर दी जाये।

मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि जिला न्यायालयों में सस्ते अधिवक्ता मिलेंगे। यदि आप उच्च न्यायालय में जायेंगे तो तुम्हें एक महंगा अधिवक्ता रखना पड़ेगा। मैं इस से सहमत नहीं हूं। उच्च न्यायालय में आप को उचित मूल्य पर सक्षम, चतुर तथा अनुभवी अधिवक्ता प्राप्त हो सकता है। जो आदमी अपील करता है वह उतनी ही दूर तक जा सकता है जितना व्यय वह वहन कर सके, वह एक अधिवक्ता रख कर काम चला लेता है। प्रश्न यह है कि आप दो अपीलें करना चाहते हैं। यदि एक व्यक्ति उच्च न्यायालय में जाता है तो मामले का अन्तिम रूप से निपटारा हो जाता है। यदि वह सत्र न्यायाधीश के पास जाता है तथा उस का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाता है, तो उसे प्रतीत होता है कि सत्र न्यायाधीश मामले को नहीं समझा और यदि वह उच्च न्यायालय में जाता तो उसे अधिक अच्छा न्याय प्राप्त होता। इसलिये अधिक अच्छा यह होगा कि अन्याय तथा निराशा की ऐसी भावना आने के पूर्व ही कि उसे इधर उधर कहीं नहीं प्रत्युत उच्च न्यायालय में न्याय प्राप्त हो जाता, उसे उच्च न्यायालय में भेजना अधिक अच्छा होगा।

किसी प्रकार भी हो, दो जगह अपीलें करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये। इस में किसी दण्डाधिकारी के प्रति आलोचना का सवाल नहीं है। किन्तु मुझे यह सुन कर हंसी आती है। हम दो तीन सप्ताहों से सुन रहे हैं कि दण्डाधिकारी पुलिस के दबाव में रहता है। और वह अक्षम होता है। उस के न्याय की कोई कीमत नहीं है। उन की मुक्ति का निर्णय क्षमता, निष्पक्षता तथा सहज बुद्धि का नमूना है।

प्रश्न यह है कि अज्ञान का अनुमान लगा लिया गया है। मुक्ति से यह अनुमान दृढ़ होता है। उच्च न्यायालय इसे इसी रूप में देखता है। सरकार विमुक्ति के मामले में निष्पक्ष रहती है। उस का अपना व्यक्तिगत

[डा० काटजू]

पक्षपात नहीं होता तथा उसे विधि उद्बोधक न्यायिक अधिकारी तथा सरकारी अधिवक्ता सलाह देते हैं । वे सब स्वतन्त्र व्यक्ति हैं । जब दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन कोई अपील की जाती है तो उच्च न्यायालय उत्तरदाता को सूचना दिये बिना ही अपील को रद्द कर सकता है । कभी कभी वे ऐसा करते भी हैं, जहां तक निजी शिकायतों का सम्बन्ध है यह न्याय अथवा शीघ्रता के कारण किया जाता है जिस से कि छुट-पुट मामले प्रस्तुत न हों । हम कहते हैं कि अपील की छूट के लिये आवेदन करो तथा जब छूट मिल जाती है तो व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश संख्या ४० तथा उस के अधीन नियमों के अनुसार अग्रेतर सुनवाई नहीं हो सकती । यह एक संक्षिप्त सुनवाई है तथा यह मामला आगे नहीं जाता यद्यपि उच्च न्यायालय छूट स्वीकृत करने के विरुद्ध विचार कर सकता है । इसलिये मैं एक ओर यह सुझाव स्वीकार करने में असमर्थ हूं कि वैयक्तिक अभियोक्ता को विमुक्ति के विरुद्ध अपील नहीं करनी चाहिये तथा दूसरी ओर यह कि सत्र न्यायाधीश के विरुद्ध अपील होनी चाहिये । मेरा निवेदन है कि इस से एक बहुत झूठी पूर्ववादिता चल जायेगी ।

अन्त में खंड ८७ में बिना जामिन वाले मामले में दोष सद्ध अभियुक्त के सम्बन्ध में कुछ कहा गया था यह चीज अभियुक्त के हित के लिये निविष्ट की गई थी । मुझे बताया गया था कि जब एक व्यक्ति बिना जामिन वाले अपराध का अभियुक्त होता है तो दण्डाधिकारी उसे उस अपराध के लिये दोषी न ठहरा कर, जामिन वाले हल्के अपराध को दोषी ठहराता है । उदाहरण स्वरूप एक दण्डाधिकारी एक व्यक्ति के विरुद्ध तीन अपराध लगाता है । दण्डाधिकारी के पास एक आवेदन पत्र आता है कि मुझे दो तीन दिन के लिये जामिन मंजूर किया जाय, जिस से कि मैं अपील कर सकूं । दण्डाधिकारी कहता है कि मुझे दुःख है तथा मैं असमर्थ हूं क्योंकि यह व्यक्ति बिना जामिन वाले अपराध का दोषी है । यह सच है कि मैं ने इसे बिना जामिन वाले अपराध का दोषी ठहराया है किन्तु इस में प्रतिबन्ध है । मैं यह चाहता था कि प्रत्येक अभियुक्त यदि वह जामिन वाले अपराध का दोषी हो तो वह मध्यवर्ती जामिन का अधिकारी होगा । यदि वह बिना जामिन वाले अपराध का दोषी है तो केवल सत्र न्यायाधीश ही उस का जामिन स्वीकार कर सकता है । मेरा निवेदन है कि कुछ भ्रांति हुई है । यह वास्तव में अभियोक्ता के हित में है । इसलिये मेरा निवेदन है कि ये प्रस्ताव स्वीकृत कर लिये जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ८१ से ८४ तक विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ८१ से ८४ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री राने द्वारा सभा की अनुमति से अपना संशोधन संख्या ४०७ वापस ले लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री साधन गुप्त का संशोधन संख्या ६२४ और पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन संख्या ६२५ और ६२६ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ८५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ८५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री साधन गुप्त का संशोधन संख्या ६२७ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ८६ विधेयक का अंग बने ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ८६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री साधन गुप्त का संशोधन संख्या ६२८ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : संशोधन संख्या ६२९ प्रतिषिद्ध हो गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ८७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ८७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ८८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ८९ से ९६ और ९८ से१०२

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड ९७ को छोड़ कर खण्ड ८९ से १०२ पर चर्चा होगी । इस पर कृपया संशो धन भेज दिये जायें ।

श्री साधन गुप्त : इस समुदाय के खंडों में धारा ४५७ में संशोधन करने वाला खण्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल अभियुक्त के ही नहीं प्रत्युत देश के समस्त नागरिकों के व्यवहारिक अधिकारों से सम्बन्ध रखता है । धारा ४९६ के अधीन यदि कोई व्यक्ति जामिन वाले अपराध का दोषी ठहराया जाता है तो उसे न्यायालय से जामिन पाने का अधिकार है, किन्तु पुलिस ऐसी व्यवस्था करती है कि जामिन स्वीकार करना असम्भव हो जाता है । बिना जामिन वाले मामलों में अभियुक्त के समक्ष विशेष रूप से जब कि वह राजनैतिक मामले हों जामिन प्राप्त करने में कई प्रकार की रुकावटें रखी जाती हैं ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

कई छोटे अपराध भी बिना जामिन वाले अपराध होते हैं । इन में पुलिस अभियुक्त को खूब तंग कर सकती है । इसलिये जामिन स्वीकार न करने के मामलों में कुछ निश्चित रोक होनी चाहिये ।

जामिन को अस्वीकार करने की कई तरकीबें हैं । जामिन के आवेदन पत्र को विलंबित कर दिया जाता है । तथा अभियुक्त को निर्दोष हवालात में बन्द रहना पड़ता है ।

दूसरी तरकीब अत्याधिक जामिन मांग कर अथवा अत्याधिक प्रतिभू मांग कर जामिन को अस्वीकार कर देना है । तीसरा तरीका बहुत मामूली आधार पर जामिन अस्वीकार कर देना है ।

अभियुक्त तथा नागरिकों को हिरासत में रखने के इस अत्याचारी तरीके के विरुद्ध एक निश्चित प्रत्याभति होनी चाहिये । इसलिये मैं ने संशोधन संख्या ५६९ तथा ५७० में जो सुझाव दिया है वह न्यायोचित तथा उपयुक्त है । वह यह है कि अपवादस्वरूप मामलों को छोड़ कर, जब यह स्पष्ट हो कि मामले की सुनवाई की समाप्ति व्यक्ति की पहली गिरफ्तारी के साठ दिन के भीतर समाप्त नहीं हो सकती, जामिन स्वीकार हो जाना चाहिये । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अभियुक्त को हिरासत में रखने का समय उस की पहली गिरफ्तारी तथा उस की परीक्षा के परिणाम से निश्चित किया जाये न कि उस की परीक्षा में लगने वाले समय से । और यह भी उपबन्ध

[श्री साधन गुप्त]

होना चाहिये कि अपवादस्वरूप मामलों को छोड़ कर किसी मामले में भी अभियुक्त को गिरफ्तार होने के पश्चात् बिना हिरासत के छोड़े हुए साठ दिन से अधिक न रखा जाय ।

इसलिये मैं गृह मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि वह नागरिकों की व्यवहारिक स्वतंत्रता का कम से कम इतना विचार अवश्य करें तथा उन की पुलिस तथा भावना शून्य कार्य कारिका के हस्तक्षेप से रक्षा करें ।

यद्यपि मैं ने इस खंड का कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है तथापि एक खंड में यह उपबन्ध है कि विस्फोटक के मुख्य निरीक्षक तथा अंगुष्ठ चिह्न विभाग के निदेशक शपथ-पत्र पर अपना साक्ष्य दे सकते हैं । विस्फोटक के मुख्य निरीक्षक का साक्ष्य देना समझ में आता है, किन्तु अंगुष्ठ चिह्न विभाग के निदेशक का साक्ष्य देना समझ में नहीं आता । खंड १०५ पर मेरा एक संशोधन था जो कि उस स्थिति को वापस लाने के लिये था जैसी कि विधेयक में उस समय थी, जब कि वह सभा के समक्ष उपस्थित किया गया था । उस विधेयक में इस उपबन्ध की मांग की गई थी कि जूरी के सामने सुने जाने वाले अभियोग में जब जूरी न बैठे और यदि अभियुक्त इस बात पर आपत्ति उठाये तो वह अभियोग अवैधानिक होगा । अब इस उपबन्ध की मांग की जा रही है कि अभियुक्त को न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेने से पहले अपनी आपत्ति अभिलिखित करानी चाहिये । किन्तु मैं ऐसी प्रक्रिया को निर्रथक समझता हूं । इस प्रकार के उपबन्ध बनाने का भाव यह है कि जैसे ही अभियुक्त को यह मालूम होगा कि जिस मामले की सुनवाई जूरी द्वारा होनी चाहिये थी, वह जूरी द्वारा नहीं हो रही है तो वह शीघ्र ही उस का विरोध कर सकेगा । इसलिये अभियुक्त को इस बात का ज्ञान होने से पहले कि क्या हो रहा है उस से विरोध करने के लिये कहा जाय । यह बहुत ही अनुचित है और जूरी सुनवाई के लिये यह बहुत ही घातक है । इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि मेरा संशोधन संख्या ६३९ को स्वीकार किया जाय जिस में उस स्थिति को रखने का प्रतिपादन किया गया है जो आजकल है और जो विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने से पूर्व भी थी । मुझे खेद है कि एक भूल हो गई है । मेरा विचार है कि संशोधन की संख्या ६३८ है । जो खंड १०० के सम्बन्ध में मैं ने प्रस्तुत किया था ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि खंड ९० जिस में नया खंड ४९७ क भी सम्मिलित है, किस ने बनाया है और झूठे साक्ष्यों के कुछ मामलों के लिये विशेष प्रक्रिया बनाई है । वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार झूठे साक्ष्य के सम्बन्ध में बिना किसी कठिनाई के शिकायत की जा सकती है । फिर झूठे साक्ष्य के अपराध में मुकद्दमा चलाने के लिये विशेष प्रक्रिया अपनाने में क्या तुक है । पहली और इस प्रक्रिया में मुझे तो केवल एक ही अन्तर दिखाई पड़ता है और वह है धारा ४७६ के अनुसार पहले जो जांच हुआ करती थी अब वह नहीं होगी । डा० काटजू के मूल अधिनियम में खंड ९२ तथा जिस का उद्देश्य झूठे साक्ष्य के अपराध के लिये सरकारी प्रक्रिया अपनाने का था । किन्तु मुझे प्रसन्नता है कि प्रवर समिति ने उसे रद्द कर दिया है । न्यायालय को सरसरी प्रक्रिया के अनुसार मुकद्दमा चलाने का अधिकार प्राप्त था । गवाही के कठघरे में खड़े हो कर यदि मनुष्य कुछ कहता है और न्यायालय उस के इस वक्तव्य के लिये उसे चेतावनी देता है किन्तु फिर भी वह कहता है कि नहीं यह ठीक है तो दण्डाधिकारी अथवा न्यायाधीश उसे सादे कारावास का दंड दे सकता है । इस

प्रकार की व्यवस्था करने का मैंने शुरू में ही विरोध किया था । अपने अनुभव के आधार पर हम ने देखा है और आप ने भी देखा होगा कि एक वह गवाह जो कभी न्यायालय में नहीं आया और न उस ने गवाही के कठघरे में खड़े हो कर कभी गवाही ही दी, वह देखने में ऐसा लगता है कि झूठी गवाही दे रहा हो, किन्तु वास्तव में वह सत्य बात कहता है, इस के विपरीत जो पेशेवर गवाह होते हैं वे अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं क्योंकि गवाही देने की कला में वे पारंगत होते हैं । इसलिये सुनवाई के बीच में ही झूठे साक्ष्य के लिये दंड देने का अधिकार न्यायालय को देना ठीक नहीं होगा ।

प्रवर समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि वह उपबन्ध ठीक नहीं था और न उस से कोई सहायता ही मिलती थी, इसलिये उन्होंने एक नये उपबन्ध की व्यवस्था की है । क्या खंड ९० का यह नया उपबन्ध कुछ सहायक है ? मुझे तो केवल एक ही अन्तर नजर आया और वह यह है कि प्रारम्भिक जांच समाप्त कर दी गई है । विभिन्न उच्च न्यायालयों ने हमेशा ही यह कहा है कि प्रारम्भिक जांच अनिवार्य है । विधान में यह अत्यावश्यक है और इस के बिना शिकायत वैधानिक नहीं होगी ।

अब प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार की अजीब प्रक्रिया को अपनाना उचित होगा ? मान लीजिये कि एक मुकद्दमे में दो गवाह आते हैं और वे एक दूसरे के परस्पर विरोधी बक्तव्य देते हैं । एक की गवाही तो आप मानेंगे तथा दूसरे की गवाही को आप रद्द कर देंगे । अब खाली इस बात को ले कर कि एक ने झूठी गवाही दी है, आप अपना निर्णय देते समय यह आदेश दे देंगे कि उस पर अभियोग चलाया जाय । अनुभवी व्यक्तियों ने सदैव ही इस के विरुद्ध सावधानी से काम लेने के लिए कहा है । किन्तु एक व्यक्ति जब जान बूझ कर झूठा साक्ष्य देता है और यह प्रमाणित भी हो जाता है कि उस ने जान बूझ कर झूठ बोला है तो फिर उस का बचना कठिन है क्योंकि न्यायाधीश अच्छी तरह यह बात पता कर लेते हैं कि उस ने जान बूझ कर ऐसा किया है । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि न्यायातत्व-शासत्र के अत्यावश्यक सिद्धान्त से हमें नहीं डिगना चाहिये । अत्यावश्यक सिद्धान्त से हमारा यह अभिप्राय है कि जब तक सुनवाई न हो तब तक किसी को अपराधी नहीं बताना चाहिये । किन्तु जब आप धारा ४७६ अथवा संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तावित धारा ४७९(क) के अधीन आदेश देते हैं तो निश्चय ही आप एक गवाह को अपराधी ठहराते हैं । इस प्रकार की इस नई प्रक्रिया में क्या तुक है । जहां तक मैं समझता हूं, कोई दण्डाधिकारी या न्यायाधीश यदि झूठे साक्ष्य के लिये किसी व्यक्ति को दंड देना चाहता है तो नई प्रक्रिया के अधीन उसे ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी । मैं ने एक ज्ञापन में बताया है कि सरसरी तौर पर मुकद्दमा चला कर दंड नहीं देना चाहिये ।

डा० काटजू : यदि यह भी असंगत है और वह भी असंगत है, तो झूठ का परिमाण बढ़ जायेगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं तो चाहता हूं कि यह झूठा साक्ष्य जल्दी ही समाप्त हो जाय, किन्तु मैं तो यह जानना चाहता हूं कि झूठे साक्ष्य को समाप्त करने में यह खंड ४७९ क किस प्रकार सहायता कर सकता है ? वर्तमान संहिता में क्या त्रुटि है ? मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बता देना चाहता हूं कि जब कभी किसी व्यक्ति को मैं ने दोषी ठहराना चाहा तो मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई । उसे बस आप अपनी बात कहने के लिए एक अवसर दें । उस की प्रारम्भिक

[श्री एन० सी० चटर्जी]

जांच करायें। हमेशा ही सब का इस बात पर जोर है कि यह अत्यावश्यक है। इस प्रारम्भिक जांच में उसे यह अवसर मिल जाता है कि अपने वक्तव्य अथवा किन्हीं कागजों के आधार पर वह अपने आप को स्पष्ट कर सके ।

डा० काटजू : दण्डाधिकारी के समक्ष उसे अवश्य अवसर मिलेगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी : जब उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय यह आदेश देता है कि अभियोग चलाया जाय तो एक प्रकार से मनुष्य वास्तव में ही दोषी ठहरा दिया जाता है। क्या आप को उसे कम से कम एक अवसर नहीं देना चाहिये ।

डा० काटजू : जी नहीं : दंडाधिकारी अथवा न्यायाधीश ने उसे दोषी पाया है और उस की गवाही पर विश्वास न करते हुए उसे दोषी ठहरा दिया है। फिर आप और क्या चाहते हैं ?

श्री एन० सी० चटर्जी : मेरे कहने का तात्पर्य तो यह है कि सुनवाई के बिना किसी व्यक्ति को दोषी न ठहराया जाय । एक प्रकार से आप उसे दोषी ठहरा देते हैं और झूठे साक्ष्य के दोष में उस का मामला दण्डाधिकारी के यहां भिजवा देते हैं। यह बहुत ही अनुचित है। मुझे खेद है कि यह कार्य कार्यपालिका जैसा है और यह किसी विधान पर आधारित नहीं है। मैं तो यह मालूम करना चाहता हूं कि क्या इस में कोई कठिनाई थी ? मेरे विचार से हमारी संहिता में जो कुछ है वह बहुत ही उचित है। न्यायालयों की धारणा यह है कि जब कभी धारा ४७६ के अधीन कोई शिकायत की जाती है तो यह निश्चय करना होता है कि क्या जैसी शिकायत की गई है वैसा कोई अपराध हुआ भी है अथवा नहीं, और क्या न्यायाधीश के हित में यह जरूरी है कि उस में शीघ्र ही जांच की जाय। इसलिये न्यायालय को जांच करनी चाहिये। जांच कैसी हो, यह उस न्यायालय की स्वेच्छा पर है। मेरे कहने का अभिप्राय तो यह है कि दंड देने के लिये सरसरी प्रक्रिया अपनाने के बारे में किसी ने जोर नहीं दिया। यहां तक कि इस नये रवैये को अपनाने के सम्बन्ध में संयुक्त समिति ने भी कोई कारण नहीं दिया है। मेरे विचार से ऐसी स्थिति की जांच न कराना बड़ा अनुचित है। नये खंड के उपखंड में अपीलों को निकाल देने की व्यवस्था की गई है। मैं इस खंड का स्वागत करता हूं। इस प्रकार मामलों को जल्दी ही निपटाया जा सकता है और झूठे साक्षी को दंड दिया जा सकता है ।

मान लीजिये कि एक गवाह, गवाह के कठघरे में आता है और उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि उस ने झूठा साक्ष्य दिया है धारा ४७६ क के उपखंड (१) के अधीन शिकायत की जाती है। मान लीजिये कि कुछ व्यक्ति नहीं आते तो बेचारे गवाह को सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिलेगा। और उप खंड (४) के अधीन पुलिस न्यायालय या दण्डाधिकारी न्यायालय में यदि वास्तविक रूप से उस के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो रही है तो प्रतिवादी के लिये यह बहुत ही अनुचित है। किन्तु यदि गवाह तो मौजूद है और दूसरे दल अपील नहीं चाहते तो उस का मामला समाप्त हो जाता है। इस लिये मैं ने कुछ वास्तविक और निश्चयायक आधार दिये हैं ताकि वर्तमान प्रक्रिया ज्यों की त्यों रहे ।

अब मैं खंड ९४ उपखंड ३क लेता हूं। माननीय गृह मंत्री का ध्यान एक संशोधन की ओर दिला रहा हूं जिस में कहा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिये कि किसी व्यक्ति पर

जो मुकद्दमा चल रहा है यह अनिश्चित काल तक ही चलता रहे। मामले की सुनवाई के पहले दिन से, जोकि गवाही लेने के लिये निश्चित हुआ है, ६० दिन के भीतर उसे जमानत पर रिहा कर देना चाहिये। यह ६० दिन की अवधि उस दिन से मानी जायेगी जिस दिन उसे हिरासत में लिया गया था।

जब तक आप जांच करने वालों के संगठन, पुलिस के संगठन में जल्दी सुधार नहीं करेंगे तब तक कोई लाभ नहीं होगा। नये खंड ३क का उद्देश्य पुलिस को क्रियाशील बनाने के सम्बन्ध में है। सैंकड़ों व्यक्ति जेल में पड़े हैं और अपने अपने मामलों की सुनवाई के लिये प्रतीक्षा कर रहे हैं। हिरासत में लेने की तिथि से उस के मामले की सुनवाई के लिये कोई अवधि निश्चित करनी चाहिये और वह ६० दिन से अधिक न हो। यह ६० दिन की अवधि पहली पेशी से नहीं गिनी जानी चाहिये। इसलिये हमारा निवेदन है कि माननीय मंत्री अवधि निश्चित करने के सम्बन्ध में विचार करें, ताकि पुलिस सतर्क हो जाये। और यह अवधि ६० दिन से अधिक नहीं होनी चाहिये।

पंडित मुनीश्वर दत उपाध्याय: निस्सन्देह यह झूठा साक्ष्य बहुत बड़ी बुराई है। मूल विधेयक में जो परिवर्तन किये गये हैं, वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि खंड ९० के उपबन्धों में बहुत सी कमियां हैं। बहुत सी चीजें निकाल दी गई हैं। दो चीजों की बहुत कमी है। पहले तो यह है कि हो सकता है कि प्रारम्भिक जांच अत्यावश्यक न हो। जब एक न्यायालय में गवाह आता है और न्यायालय यह देखता है कि गवाह ने झूठा साक्ष्य दिया है या जिरह के अवसर पर वह अपनी पहली गवाही के विरुद्ध गवाही दे रहा है तो यह स्पष्ट है कि वह झूठे साक्ष्य के लिये अपराधी हैं और इस प्रकार उस मामले में प्रारम्भिक जांच आवश्यक नहीं है और न्यायाधीश इस गवाही का कुछ लेखा दे कर उस की शिकायत कर दे। दूसरी कमी यह है कि जिस दण्डाधिकारी के सामने उस ने अपनी गवाही दी है और वह दण्डाधिकारी समझता है कि उस की शिकायत की जाय, तो गवाह यदि यह चाहे कि किसी ऊंचे न्यायालय में उस दण्डाधिकारी के निर्णय की आलोचना कराई जाये तो यह नहीं हो सकता, ऐसा करना उस के लिय संभव नहीं है। चाहते हुए भी वह कुछ नहीं कर सकता। अगर वादी या प्रतिवादी पक्षों में से कोई भी ऊंचे न्यायालय में नहीं जाता तो वह मजबूर है और उसे दण्ड भोगना पड़ता है। हालांकि वह उस दण्डाधिकारी अथवा उस न्यायालय के समक्ष जाता है जहां शिकायत की गई है और सरकार की ओर से यह कहा जा सकता है कि उस सम्पूर्ण प्रक्रिया की सुनवाई उस दण्डाधिकारी के सामने होगी जिस के यहां शिकायत की गई है। परन्तु हमारा अनुभव यह है कि दण्डाधिकारी के निर्णय तथा तर्क देने के पश्चात् यदि पक्ष शिकायत करता है, तो वह शिकायत उन शिकायतों जैसी नहीं होती जो रद्द कर दी जाती है। इसे अधिक महत्व नहीं दिया जाता। किसी अभियोग के निर्णय में एक दण्डाधिकारी का मत होता है और अभियोग की सुनवाई करने वाले दण्डाधिकारी के लिये उस मत का महत्व होता है। मेरा अनुभव यह है कि इन अभियोगों में से अधिकतर दोषसिद्धि में समाप्त होते हैं। एक दण्डाधिकारी के मत का इतना महत्व होता है कि अन्य दण्डाधिकारी विचार करता है कि यदि उस के आदेश को रद्द करने का कोई विशेष कारण न हो तो उसे रद्द न किया जाय। अतः इस बेचारे साक्षी के लिये जिसने दण्डाधिकारी को क्रुद्ध कर दिया हो और

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

जिस के कारण वह विचार करता है कि साक्षी की शिकायत करनी चाहिये, अपील करने तथा उस के आदेश को रद्द कराने का, यदि वह आदेश के विरुद्ध तर्कपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, कोई उपाय होना चाहिये । परन्तु यह उपबन्ध नहीं है । मैं समझता हूं कि यह बड़ी भारी कमी है और इस की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

दूसरी बात मुझे खण्ड ९० के अधीन उप-धारा (५) के सम्बन्धों में दिखाई पड़ती है । इस में अपीलीय न्यायालय को भी, यदि उसे साक्षी के कथन से यह पता लग जाय कि उस ने झूठ साक्ष्य दिया है, साक्षी के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार दिया जा रहा है । मेरा मत है कि जिस दण्डाधिकारी के समक्ष प्रकथन दिया गया है केवल उस को ही शिकायत करने का अधिकार होना चाहिये ।

श्रीमान्, संयुक्त समिति के इस प्रतिवेदन में कही गई इस बात को मैं न समझ सका कि झूठे साक्ष्य देने वाले व्यक्ति पर ४७६ से ले कर ४७९ तक की धाराओं के अधीन कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता, बशतकि ऐसे व्यक्ति पर इस धारा के अधीन कार्यवाही की जा सके ।

डा० काटजू : कार्यवाही की जा सकती है । यह निश्चित किया जा सकता है कि कार्यवाही की जा सकती है या नहीं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : यदि ऐसी बात है तो स्थिति और भी बुरी है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जहां तक इन कमियों का सम्बन्ध है मेरा निवेदन है कि जब तक ये कमियां दूर नहीं की जातीं, यह एक ऐसा उपबन्ध है जो कुछ परिस्थितियों में साक्षी को न्यायालय में असहाय बना देता है । असम्भव है यह लोगों को कठघरे में साक्ष्य देने के लिये जाने से निरुत्साहित करे । एक तो लोग पहिले से ही साक्षी के कठघरे में जाना अच्छा नहीं समझते और यदि यह उपबन्ध बनाया गया तो इस से उचित व्यक्ति उस कठघरे में जाने से और भी निरुत्साहित होंगे । अतः मेरा निवेदन यह है कि इन कमियों की जांच होनी चाहिये और जहां हो सके वहां माननीय मंत्री के विचारानुसार उस में शोधन होना चाहिये ।

फिर मैं खण्ड ९१ के अधीन उपबन्ध के बारे में कुछ कहना चाहता था । मेरा निवेदन यह है कि यह एक बड़ा ही अच्छा उपबन्ध है । कदाचित् यह सुझाव दिया गया था कि इस मामले में भी दण्डाधिकारी को उस व्यक्ति के विरुद्ध एक शिकायत करनी चाहिये जो उस के आदेश पर झगड़ा करता है और जब उसे साक्षी के रूप में उपस्थित होने को कहा जाता है, तो उपस्थित नहीं होता है । मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं । मेरा मत है कि यदि किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है और वह उपस्थित नहीं होता, तो जिस दण्डाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है,वह इस मामले पर विचार करने के लिये उचित व्यक्ति है ।

कुछ सदस्यों ने इस बात पर टिप्पणी दी थी कि अभियोग में प्रायः अधिक समय लग जाता है । अतः यदि ६० दिनों में अभियोग समाप्त नहीं होता है तो उस व्यक्ति को, जो कारावास में है और जिसे जमानत पर मुक्त नहीं किया गया है जमानत पर छोड़ देना चाहिये । कभी कभी ६० दिनों में अभियोग समाप्त नहीं होता और यदि जमानत स्वीकार की जाती है तो यह सर्वथा उचित काल है । यह कहना कि जांच-पड़ताल में

अधिक समय लगता है, एक भिन्न बात है। मेरा विचार है कि यदि जमानत स्वीकार नहीं की जाती है और अभियुक्त को जांच पड़ताल होते रहने के कारण एक या दो वर्ष कारावास में बिताने पड़ते हैं, तो यह बहुत ही गलत प्रक्रिया हों जाती है। जांच पड़ताल के समय में कमी होनी चाहिये। हमें एक उपबन्ध बनाना चाहिये ताकि जांच पड़ताल में अधिक समय न लगे।

खण्ड ९६ के अधीन एक अच्छा उपबन्ध किया गया है कि यह निश्चित करने के लिये कि जमानत पर्याप्त है या नहीं, न्यायालय शपथ पत्र स्वीकार कर सकता है। क्योंकि यदि न्यायालय शपथ पत्रों पर विश्वास कर लेता है तो उस व्यक्ति को जिस की जमानत है, कारावास में नहीं जाना पड़ेगा। यह ठीक है कि यदि बाद में यह विदित होता है कि जमानत पर्याप्त नहीं है तो उसे पुनः कारावास में लाया जा सकता है, और मेरा विचार है कि इस के लिए पहिले से ही एक उपबन्ध है। इस के सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि "यदि वह उचित समझे तो" शब्दों को हटा दिया जाय तो इस से अभियोग के आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी।

खण्ड १०० के अधीन जो उपबन्ध किया गया है, वह भी अच्छा उपबन्ध है। इस में ऐसा प्रतीत होता है कि "यदि वह उचित समझे तो" पर जोर नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो केवल एक विकल्प है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : बाद का उपबन्ध पर्याप्त है और "यदि वह उचित समझे तो" शब्दों को हटाया जा सकता है। अतः मेरा निवेदन है कि अब इस उपबन्ध के बन जाने के परिणामस्वरूप मेरी वह शिकायत कि इस प्रकार का शपथ पत्र का साक्ष्य पर्याप्त नहीं है, जो मैं ने आरम्भ में की थीं निराधार हो जाती है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : धारा ४७९क में प्रवर समिति ने जो उपबन्ध निविष्ट किया है, वह मुझे पसन्द नहीं है। इस में संदेह नहीं कि मूल उपबन्ध कहीं अधिक बुरा था। मुझे प्रसन्नता है कि मूल उपबन्ध आदिष्ट कर दिया गया है। मैं यहां उसी न्यायालय द्वारा संक्षिप्त सुनवाई का निदेश कर रहा हूं। मैं नहीं जानता कि प्रवर समिति ने किस कारण ४७६ से ४७९ तक की धारा में सम्मिलित उपबन्धों के कूटसाक्ष्य तथा मनगढ़न्त साक्ष्य के सम्बन्ध में सक्रिय अपेक्षा की है। मैं समझता हूं कि धारा ४७९क(६) का अर्थ केवल यह है कि यदि मुख्य अधिनियम ४७६ से ४७९ तक धाराओं के अधीन कार्यवाही की जा सके तो उस सीमा तक उन का निरसन किया जाता है :

डा० काटजू : मैं तो यही कहता हूं कि झूठी साक्ष्य देने वाले के लिये, या उस साक्षी के लिये जिसके बारे में न्यायालय समझता है कि उसने झूठा साक्ष्य दिया है, केवल यही प्रक्रिया होनी चाहिये।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : मान लीजिये कि साक्षी कूट साक्ष्य देने के बजाय जालसाज़ी करता है, तो क्या होगा।

डा० काटजू : मेरा विचार है कि वह ४७६ से ४७९ तक की धाराओं के अधीन आयेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : सम्मानपूर्ण मेरा निवेदन है कि धारा ४७१ के अधीन जालसाज़ी धारा १९१ के अधीन कूट साक्ष्य से भिन्न है।

डा० काटजू : यदि मुझे बीच में बोलने की आज्ञा हो तो मैं यह बताना चाहूंगा कि

[डा० काटजू]

इस का उद्देश्य उस व्यक्ति के मामले पर लागू है जिस ने अभियोग में झूठा साक्ष्य दिया हो या जिस ने उस अभियोग के लिये साक्ष्य घाढ़ा हो, जिस की जांच पड़ताल सुनवाई करने वाले बुद्धिमान न्यायाधीश ने कर ली है एवं उस से निश्चित परिणाम निकाल लिया है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस का अर्थ है कि अब केवल उन्हीं मामलों में कार्यवाही की जा सकती है जिन में किसी पूर्ण निष्कर्ष का उल्लेख हो कि अमुक व्यक्ति ने कूट साक्ष्य किया है या झूठा साक्ष्य दिया है । इस के विपरीत ऐसे मामलों में जहां न्यायाधीश यह परिणाम निकालता है कि कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, वहां यह लागू नहीं होगा । इस का अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति कूट साक्ष्य या झूठा साक्ष्य दे सकता है । यह एक बहुत ही प्रतिगामी उपबन्ध है । यह न्यायालय के अधिकार को छीनता है । इस से कूट साक्ष्य समाप्त नहीं होगा । इस से केवल उन लोगों को सहायता मिलेगी जो कूट साक्ष्य देते हैं या झठा साक्ष्य देते हैं । यह माननीय मंत्री के घोषित उद्देश्य अर्थात् कूट साक्ष्य तथा झूठे साक्ष्य को समाप्त करने के विरुद्ध है, क्योंकि ९० प्रतिशत न्यायालय निश्चित रूप से यह नहीं कह सकेंग कि कूट साक्ष्य या झूठा साक्ष्य दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या ऐसे व्यक्ति के बारे में 'कार्यवाही की जाये' के स्थान पर 'इस धारा के अधीन कार्यवाही की गई है" रखने से उद्देश्य सिद्ध हो जायेगा ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं मानता हूं कि इस का सर्वथा भिन्न अर्थ होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है । अतः धारा ४७६ के अधीन कार्यवाही करने का कोई उद्देश्य नहीं है । माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि ....

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं इस धारा को निकाल देने के लिये कई कारण आप के विचारार्थ प्रस्तुत करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार शीघ्रता लाना चाहती है : साक्षी कटघरा में शपथ खाने वाले व्यक्ति थोड़े होंगे, ऐसा अनुमान करते हुए, उन का निपटारा करने के हेतु संक्षिप्त प्रक्रिया होनी चाहिये । मूल विधेयक में यह उपबंध था कि घटनास्थल पर उपस्थित व्यक्ति सीधा साक्षी को दंड दे सकता है ।

श्री दातार : परीक्षण समाप्ति के पश्चात् ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि वह स्वयं अभियोक्ता था, इस कारण उसे अपवाद माना गया था अन्यथा उसे न्यायाधीश नहीं बन जाना चाहिये । अतः प्रवर समिति में इस में परिवर्तन किया गया है मूल विधेयक में धारा ४७६ से ४७९ में से उस उपबन्ध को निकालने का विचार नहीं था ।

श्री दातार : यह उस से भिन्न है । उन उपबन्धों का क्षेत्र विस्तृत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि न्यायालय न्याय की दृष्टि से इसे अनिवार्य समझता है तो यह शिकायत भेज देगा । दो न्यायालय एक ही बात को दो बार परीक्षण नहीं करेंगे । माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे कि धारा ४७६ से ४७९ के उपबन्धों को निकालने का विचार नहीं है । उपधारा (६) में सरकार झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति को शीघ्र दंड देना चाहती है । मूल विधेयक में यह उपबन्ध था कि जिस न्यायाधीश के सामने झठा साक्ष्य दिया जाय, वह अभियोग की

समाप्ति पर उस अपराधी को जुर्माना कर सकता है । इस में परिवर्तन किया गया है :

डा० काटजू यह स मामला विशेष के लिये नहीं था ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपत्ति की गई थी कि जो व्यक्ति पक्षपात करना चाहे वह ऐसा कर सकता है, अतः स्वतन्त्र बुद्धि वाले व्यक्ति को इस बात का निर्णय करना चाहिये ।

डा० काटजू : यदि आप परीक्षण के समय अभियोक्ता साक्षियों पर आपत्ति करना चाहते हैं तो हो सकता है कि सच्चे साक्षी ही प्रस्तुत न हों । इस प्रकार दोनों पक्षों के प्रति बड़ा अन्याय होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : बात यह है कि धारा ४७६ और ४७९ के अधीन शिकायत करने वाले व्यक्ति के द्वारा न्यायाधीश को इस बात की सूचना मिलने पर न्यायाधीश शान्तिपूर्वक समस्त मामले पर विचार करेगा । ये उपबन्ध निकाले नहीं गये हैं, परन्तु मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि जहां इन धाराओं के अधीन कार्यवाही की जा सकती हैं, धारा ४७६ के अधीन कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

डा० काटजू : यह साक्षी के लिये लाभदायक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जिन मामलों में कार्यवाहियां हो चुकी हैं उन में धारा ४७६ से ४७९ रहने दी जायें ।

डा० काटजू : तब यह अपवाद खंड होना चाहिये कि कार्यवाहियों के निलम्बित होने की अवस्था में, उन्हें बचाया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि न्यायाधीश इस धारा के अधीन कार्यवाही करता है तो धारा ४७६ के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, अथवा यदि किसी कारणवश धारा ४७४ के अधीन कार्यवाही की जा चुकी हैं तो इस का आश्रय नहीं लिया जाएगा ।

डा० काटजू : यदि यह अधिनियम लागू हो जाता है और दो वर्ष पश्चात् कार्यवाही आरम्भ होती है तो लक्ष्य यह है कि केवल इसी धारा के अधीन ऐसा किया जा सकता है और अन्य किसी धारा के अधीन नहीं । दंडाधिकारी के निर्णय के पश्चात् वह व्यक्ति चला जाता है । छः मास का अवकाश मिलता है । तब आदेश के विरुद्ध अपील होती है और पुनः छः मास का अवकाश मिलता है । इस का वही उद्देश्य था । मैं आप की और सभा की जानकारी के लिये यह बता दूं कि प्रवर समिति के ४९ "साक्षियों" ने इस का अनुमोदन किया है । इस का उद्देश्य यह था कि जब न्यायाधीश निर्णय सुनाने लगे, उस समय वह समस्त मसले पर विचार करे । वह प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य का विचार करता है और यदि निर्णय सुनाते समय तक उस ने यह अनुभव कर लिया है कि अमुक अमुक साक्षियों ने झूठी गवाही दी है अब वह अधिक जांच किये बिना ही वह मामला दंडाधिकारी को सौंप देगा, क्योंकि वह तब तक जांच करता रहा है । इस की कोई अपील नहीं है, ताकि झूठे साक्षी को दो या तीन सप्ताह के अन्दर दंडाधिकारी के सामने जांच के लिये प्रस्तुत होना पड़े और मामला लम्बा हो जाये । विधि वेत्ता के नाते हम सब जानते हैं कि यदि कोई दंडाधिकारी शिकायत भेजता है, तो जांच आरम्भ हो जाती है जिस में छः महीने लगते हैं । तब आदेश के विरुद्ध अपील होती है । उस में नौ महीने लग जाते हैं । अतः अब हम ने यह उपबन्ध किया है कि यदि निर्णय के विरुद्ध किसी पक्ष की अपील आती है, तो कार्यवाही रुक जायेगी, क्योंकि तब पुनरावेदन न्यायालय इस बात पर विचार

[डा० काटजू]

करेगा कि आया साक्ष्य झूठा है या सच्चा, और क्या यह अच्छा है या बुरा । परन्तु समस्त प्रक्रिया पर प्रवर समिति में बड़े ध्यानपूर्वक विचार किया गया है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि "लेकर" शब्द रखे गये होते तो समस्त मामला ठीक हो जाता । मंत्री महोदय ने स्वयं वक्तव्य दिया है कि वह उन धाराओं को निकालना चाहते हैं । यदि मंत्री जी उपाध्यक्ष महोदय के सुझाव को स्वीकार कर लें तो अच्छा है, परन्तु वह इसे स्वीकार करना नहीं चाहते, और वह सदा ४९ सदस्यों का उल्लेख करके उन पर सारा उत्तरदायित्व फैंक देते हैं ।

मंत्री जी ने कहा है कि जिस साक्षी का परीक्षण होगा उस पर उस के अपने बयान के आधार पर अभियोग नहीं चलाया जाएगा, और दूसरी ओर वह कहते हैं कि न्यायाधीश साक्ष्य को झूठा अनुभव करके उस की शिकायत करेगा । उस व्यक्ति की सुनवाई के बिना ही उस पर कार्यवाही आरम्भ हो जायेगी । मूल धारा ४७६ का उपबन्ध अच्छा था; उस के बिना यह होगा कि साक्षी को बिना सुने ही न्यायाधीश उस के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, और जब तक सारे मामले का अन्तिम रूप में निर्णय नहीं हो जाता, तब तक बेचारे साक्षी का मामला बीच में ही पड़ा रहेगा और कई वर्ष बीतने पर भी कोई विशेष परिणाम नहीं निकलेगा । हो सकता है इस बीच साक्षी की मृत्यु हो जाए किन्तु वह मामला बीच में ही पड़ा रहेगा । इसे मंत्री महोदय शीघ्रगामी अभियोग कहते हैं । श्री चटर्जी ने विद्वान न्यायाधीशों के निर्णयों का उल्लेख करते हुए इस प्रारम्भिक जांच को बहुत बड़ा रक्षा कवच कहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मूल निर्णय के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में जाती है तब क्या होगा ?

श्री एन० सी० चटर्जी : तब अभियोग को निलम्बित रखा जाएगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : धारा ४७९ के विषय में खण्ड ९० के उपखण्ड ४ के अनुसार अपील का निर्णय होने तक यह मामला निलम्बित रहेगा और पुनरावेदन न्यायालय प्रतिपक्षी की सुनवाई के बाद यदि उचित समझेगा तो उस शिकायत को वापिस लेने का आदेश दे सकता है और उस आदेश की एक प्रति उस दंडाधिकारी को भेज दी जायेगी, जिस के पास मामले की सुनवाई निलम्बित है : किन्तु वर्तमान संहिता के अनुसार शिकायत होने के तुरन्त पश्चात् प्रतिपक्षी उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह दंडाधिकारी अपील के निलम्बित होने तक इसे निलम्बित नहीं रख सकता ?

श्री दातार : हां, श्रीमान्, जब तक अपील का निर्णय नहीं होता, कार्यवाही रोक दी जाती है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : परन्तु उपाध्यक्ष महोदय का संशोधन स्वीकार नहीं किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो यह कहता हूं कि यह उपबन्ध तो इस में पहले ही किया गया है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : साक्षी के विरुद्ध शिकायत किये जाने पर जब कोई भी पक्ष अपील नहीं करता तो बेचारे साक्षी को न अपील करने का अवसर मिलता है और न सुनवाई का ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह राउलेट अधिनियम के समान है जिस में न कोई अपील, न वकील और न कोई दलील हो सकती है । जब किसी व्यक्ति पर अभियोग चलाए जाने के लिये उसे अन्य दंडाधिकारी के पास भेजा जाता है तो अभियुक्त अपने पहले बयान को सच्चा सिद्ध करके युक्ति पा सकता

है । परन्तु अब मंत्री जी के ये शब्द हैं कि "अपराध...ऐसा प्रतीत होता है कि किया गया है" इस से तो वह शत प्रतिशत अपराधी सिद्ध हो जायेगा । बेचारे की न पहले दंडाधिकारी के सामने सुनवाई हुई है और न उस के छुटने के लिये कोई मार्ग छोड़ा गया है । मेरा यह निवेदन है कि वहां भी धारा ४७६ के अधीन इस आपत्ति को प्रारम्भिक जांच में लिखा जाए, परन्तु वह आपत्ति यह नहीं होनी चाहिये कि उस व्यक्ति ने झूठा साक्ष्य दिया है । आखिर ४७६ से ४७९ धाराओं में क्या बुराई है यदि यह संशोधन अच्छा होता तो हम इसे सहर्ष स्वीकार कर लेते । वास्तव में जो पद्धति चली आ रही है वह अच्छी है । पहले जो क्षेत्राधिकार था, उसे निकाल कर उस के स्थान पर कुछ तो रख दिया जाये यह मंत्री जी का विचार है, फिर चाहे उस का परिणाम कुछ भी हो इस पर उन्हों ने विचार नहीं किया है ।

श्री दातार : क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि "अग्रेतर जांच किये बिना" शिकायत दर्ज होने के पूर्व अग्रेतर जांच होनी चाहिये और "स्पष्टीकरण" की सूचना मिलनी चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं यह जानना चाहता हूं कि परिवर्तन की क्या आवश्यकता है ?

श्री दातार : यह धारा रहेगी ऐसा अनुमान करते हुए क्या वह चाहते हैं कि शिकायत दर्ज करने से पूर्व अग्रेतर जांच होनी चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : पहले तो दंडाधिकारी या न्यायाधीश को मामला मुद्रांकित लिफाफे में न भेज कर खुला भेजना चाहिये, और "अपराध किया गया है" न कह कर यह कहना चाहिये कि "मुझे प्रतीत होता है कि अपराध किया गया है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य चाहते हैं कि जिस साक्षी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है उसे स्पष्टीकरण का अवसर मिलना चाहिये कि धारा ४७६ के अनुसार उस पर अभियोग क्यों न चलाया जाये ? दूसरे, न्यायाधीश को यह कहना चाहिये कि उस के मतानुसार अपराध किया गया है, इस लिये उस मामले की जांच की जाये । वास्तव में यह प्रारम्भिक उपपत्ति होती है और यह किसी फौजदारी न्यायालय को बाध्य नहीं करती ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह वास्तव में बाध्य करती है । मैं चाहता हूं कि कहा जाय कि उस दंडाधिकारी के मतानुसार अपराध किया गया है । इस के अतिरिक्त मैं अपील का अधिकार भी चाहता हूं ।

श्री दातार : यह सुझाव दिया गया है कि "finding" "उपपत्ति" शब्द नहीं होना चाहिये और इस के स्थान पर "opinion" "मत" होना चाहिये ।

डा० काटजू : इसे स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री दातार : दूसरी आपत्ति "अग्रेतर जांच किये बिना" शब्दों पर है ।

डा० काटजू : यह महत्वपूर्ण मामला है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि आप उस व्यक्ति पर अभियोग चलाने के लिये उसे दंडाधिकारी के पास भेजना चाहते हैं तो उसे वहीं पर सुनने में क्या हानि है ? इस में कोई विलम्ब नहीं होगा ।

डा० काटजू : हम दोनों वकालत करते रहे हैं । यह सरल मामला नहीं है । वह कह सकता है कि "मैं पांच साक्षी प्रस्तुत कर सकता हूं" फिर समन की तामील नहीं हो पाती । वह कई प्रकार के बहाने भी तो कर सकता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि किसी अभिलेख का किसी ढंग से निर्वचन किया

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

जाता है जब कि उस का वकील चाहता है कि इस का दूसरे ढ़ंग से निर्वचन किया जाना चाहिये, तब क्या होगा ?

डा० काटजू : यह बात कहने का आग्रह-पूर्ण ढ़ंग है । दूसरा ढ़ंग यह है कि इसे चिरकाल के लिये लम्बा किया जाये ।

श्री एन० सी० चटर्जी : प्रारम्भिक जांच में कोई साक्ष्य सुना नहीं जाता ।

डा० काटजू : प्रवर समिति ने यह प्रक्रिया बनाई और कहा है कि निर्णय के उद्देश्य से न्यायाधीश को समस्त मामले पर विचार करना पड़ता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी का कहना है कि गवाह को वहीं यह स्पष्ट करने का अवसर मिलना चाहिये कि उस ने झूठा बयान क्यों दिया ।

डा० काटजू : संभव है, उसका परीक्षण पहले हो चुका हो । यह स्मरण रखना चाहिये कि वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, यह निर्णय के दिन होगा । यदि गवाह उपस्थित हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं किन्तु संभव है कि उस का परीक्षण दो या तीन मास पहले हो चुका हो और वह वादी के पक्ष का गवाह हो ।

जब यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया था, तो इस बात पर बहुत आपत्ति की गई थी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : धारा ४७६ के शब्द बिल्कुल स्पष्ट हैं । इस में प्रारम्भिक जांच का उल्लेख है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री समझते हैं कि अग्रेतर प्रारम्भिक जांच से विलम्ब होगा ।

डा० काटजू : जी हां, यही बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उसी कारण क्या गवाह से यह नहीं पूछना चाहिये कि उस ने पहला वक्तव्य क्यों बदला ?

डा० काटजू : मैं एक उदाहरण देता हूं । मान लीजिये प्रश्न यह है कि एक लड़का गोद दिया गया था या नहीं । पांच गवाह ऐसे हैं जो शपथ पूर्वक यह कहते हैं कि गोद देने की रसम हुई थी । किन्तु, दूसरी ओर यह कहा जाता है कि गोद देने की कोई रसम नहीं हुई, लड़का ही वहां नहीं था इत्यादि । सब साक्ष्य पर विचार करने के बाद, न्यायाधीश यह निर्णय देता है कि उस की राय में सब बनावटी बात है, गोद देने की कोई रसम नहीं हुई, और गवाह झूठ बोल रहे हैं । प्रारम्भिक जांच क्या है ? न्यायाधीश अपने निर्णय में लिखता है कि साक्ष्य विश्वासनीय नहीं है और एक नया अभियोग होना चाहिये । प्रारम्भिक जांच में अभियुक्त दंडाधिकारी के सामने होता है । वह अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर सकता है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : गृह कार्य मंत्री यह चाहते हैं कि प्रत्येक मामले में एक पक्ष का चालान होना चाहिये । मान लीजिये न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि गोद देने की रसम हुई है किन्तु दूसरा पक्ष इन्कार करता है । मुकदमे का निर्णय इस तरह नहीं हो सकेगा । जब मुकदमा किया जा रहा हो, तो गवाह से यह अवश्य पूछना चाहिये 'तुम ऐसा बयान क्यों देते हो ।' आखिर उस की सुनवाई तो होनी चाहिये । यदि न्यायालय एक प्रारम्भिक जांच को आवश्यक समझता है, तो कोई मौखिक साक्ष्य तो आयेगा नहीं, केवल प्रलेखों का निर्वचन करना होगा । वह कारण बतलायेगा । इस में क्या हर्ज है ? मेरे विचार में दंड विधान का पहला सिद्धान्त यह है कि जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाये तो उस की सुनवाई अवश्य होनी चाहिये । जब तक कि उस की सुनवाई न हो, कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता ।

डा० काटजू : वह कहेगा, "मैं ने आप को अपना साक्ष्य दे दिया है। यह ठीक है ।'

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं समझता हूं कि यह सब सिद्धान्तों के विरुद्ध है । यदि मिथ्या साक्ष्य के लिये दंड दिया जाना है, तो कम से कम मामलों में कार्यवाही करनी चाहिय ।

अब मान लीजिय उन्हों ने ये दो चीजें स्वीकार की हैं । पहली यह कि प्रारम्भिक जांच होनी चाहिये या यह कि यह निणय इतना स्पष्ट नहीं है : शब्द यह हैं "किया गया प्रतीत होता है" और अपील की व्यवस्था की जाती है । धारा ४७६ और प्रस्थापित धारा ४७९क में क्या अन्तर है ? क्या वे अपील का अधिकार ले लेना चाहते हैं। यह अत्याधिक अन्यायपूर्ण है । मेरे विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य देने का क्या अभियोग है किन्तु मुझे अपील का अधिकार नहीं है । यह मुकदमा १० साला तक मेरे विरुद्ध बना रहेगा । अन्य अपराधों के मामलों में धारा ४७६ से ४७९ तक लागू होंगी किन्तु इस मुकदमे की प्रक्रिया कुछ और होगी । विधियां बनाने का यह तरीका नहीं है ।

अब मैं अन्य धाराओं को लेता हूं और कुछ शब्द अपीलो मामले के सम्बन्ध में कहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस धारा के अधिनियमित किये जाने के बाद अन्य मामले कैसे हो सकते हैं ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : दीवानी तथा फौजदारी मुकदमों में निजी अभियोक्ता भी गवाह होते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सब गवाहों पर जो कि स्वयं पक्ष नहीं है, केवल यही धारा लागू होगी । यदि कोई पक्ष गवाह भी है, तो उस पर यह लागू होगी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह बिल्कुल ठीक है । जहां तक अभियुक्त का सम्बन्ध, है यह अपना मुकदमा अपील न्यायालय में ले जायेगा और कई वर्षों तक उस के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस धारा को हटा कर धारा ४७६ से ४७९ पुनः रखदे, जो कि इस से बहुत अच्छी हैं ।

अब मैं खंड ९१ को लेता हूं । दंड संहिता में इस आशय की धारा पहले से है मैं नहीं समझ सका कि इस धारा को फिर यहां रखने का क्या लाभ है । इस के द्वारा उसी न्यायालय को ही अधिकार प्राप्त होता है । यदि अपराधक मुकदमा किसी और न्यायालय में ले जाया जाये, तो अधिक अच्छा हो क्योंकि अभियुक्त को कुछ हौसला होता है । दंड प्रक्रिया संहिता को धारा १९१ में इस प्रकार का एक उपबन्ध है । मैं इस प्रकार का उपबन्ध चाहता था किन्तु प्रवर समिति के सदस्यों ने इसे उचित नहीं समझा ।

खंड ९३ के सम्बन्ध में, मैं ने ५०० रुपये के स्थान पर ३०० रुपये रखने का एक संशोधन प्रस्तुत किया है । मेरे विचार म ५०० रुपये बहुत अधिक हैं । हमें इतने विशाल अधिकार नहीं देने चाहियें ।

खंड ९४ के सम्बन्ध में, मैं इस बात के लिये माननीय गृह मंत्री का आभारी हूं कि उन्हों ने उपखंड (३क) रखा है । यदि मुकदमा ६० दिनों से अधिक लम्बा हो जाये, तो सामान्यतया अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया जायेगा । मैं चाहता हूं कि यह सुविधा जांच के समय भी दी जाये । यह बात सब मानते हैं कि आज कल भी लोग पुलिस से बहुत डरते हैं । एक व्यक्ति को यदि पुलिस का भय न हो और कुछ समय तक हवालात या जेल में रहने का खतरा न हो, तो वह न्यायालय में जा कर अपना मुकदमा लड़ने के लिये तैयार होगा। यदि उन्हें जमानत पर रिहा करने की व्यवस्था कर दी जाये,

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

तो वे न्यायालय में आकर न्याय प्राप्त करने से घबरायेंगे नहीं ।

मेरी राय में यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में आकर जमानत देना चाहे, तो उचित मामलों में प्रत्याशित आधार पर जमानत स्वीकार कर लेनी चाहिये । इसीलिये मैंने धारा ४९७ के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत किया है । न्यायालय के लिये सब मामलों में जमानत देना अनिवार्य नहीं होगा । सौ मुकदमों में से केवल एक में जमानत दी जायेगी । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में मेरे दो संशोधन स्वीकार कर लेंगे ।

अब मैं खंड १०० को लेता हूं । यह विशेषज्ञों के बारे में है । जब ये गवाही देने आते हैं, तो इन से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं । मेरा निवेदन यह है कि इन गवाहों को बुलाने के लिये प्रार्थनापत्र देना केवल अभियुक्त या अभियोग पक्ष का ही अधिकार नहीं है, न्यायालय का भी इस सम्बन्ध में कुछ कर्तव्य है । इन सब गवाहों को न्यायालय के सामने पेश होना चाहिये और इन पर जिरह होनी चाहिये । यह देखना न्यायालय का कर्तव्य है कि अभियुक्त को इन गवाहों पर जिरह करने की सुविधा से वंचित न किया जाये ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैंने दो संशोधन संख्या ४६३ और ४६४ प्रस्तुत किय हैं । इन की चर्चा करने से पहले मैं खंड ९० अर्थात् नई धारा ४७९क के बारे में छोटा सा तर्क देना चाहता हूं । इस नई दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार हमने नये सिरे से मकदमे की सुनवाई की व्यवस्था को हटा ही दिया है । अन्य शब्दों में, वर्तमान विधि के अनुसार कोई दंडाधिकारी जिस के सामने एक गवाह उपस्थित नहीं हुआ निर्णय देते समय वह लिख सकता है कि उस गवाह ने धारा में उल्लिखित अपराधों में से अमुक अपराध किया है और उस की सुनवाई किये बिनाया उस से स्पष्टीकरण मांगे बिना, उस पर मुकदमा चला सकता है । किन्तु इस प्रकार का आदेश अपील न्यायालय में उस की सुनवाई के बिना नहीं दिया जा सकता । जब वह उच्चतर न्यायालय में जाता है, तो सूचना देना अनिवार्य होता है । उसे सूचना दिये बिना उस पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता मैं यह नहीं समझता कि इस प्रकार की व्यवस्था मूल या निम्न न्यायालय की कार्यवाही में क्यों न हो ।

जब तक खंड ९० के उपखंड (६) में शब्द 'चाहे' (may) रहेगा तब तक इस का अर्थ यह होगा कि ४७६ और ४७९ के अन्तर्गत अभियोग चलाने से साफ इन्कार किया जायेगा । इस सुझाव का समर्थन केवल विपक्ष ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस के सदस्यों ने भी किया है और इसे स्वीकार कर लेना बड़ी बुद्धिमत्ता होगी ।

अब मैं खंड ९४ और ९६ के संशोधन ४६३ और ४६४ को लेता हूं जिन का मैं ने सुझाव दिया है, इन के अनुसार यह व्यवस्था करनी चाहिये कि किसी व्यक्ति ने न्यायालय में शपथ ले कर बयान देने पर कि उस पर हस्तक्षेप अथवा ऐसे अपराध का अभियोग लगाया गया है जिस की जमानत नहीं हो सकती और वह किसी भी न्यायालय में अभियोग के लिये तैयार है और वह न्यायालय के सन्तोषानुसार जमानत देने को तैयार है तो उसे जमानत पर छोड़ा जाये ।

कई बार कई सम्मानित व्यक्तियों पर आरोप लगाये जाते हैं । वे न्यायालय में उपस्थित होने के लिये तो तैयार होते हैं परन्तु यह नहीं चाहते कि उन्हें हथकड़ी लगा कर बाजार में से लेजाया जाये अथवा पुलिस और जनता के सामने उनका अपमान किया जाये अथवा उन्हें पुलिस हवालात में रखा जाये ।

वहां उन्हें पीटा जाता है और कई प्रकार से उन का अपमान किया जाता है, कई बार इस से तंग आ कर लोगों को आत्महत्या तक करनी पड़ती है। दो वर्ष हुए मेरे नगर में एक व्यक्ति हवालात में फांसी लगा कर लटका हुआ पाया गया। न जाने उसे मार कर बाद में उस के गले में रस्सी डाली गई या वास्तव में उस ने आत्म हत्या की क्योंकि बाद में कोई जांच नहीं की गई। उन लोगों पर अत्याचार को रोकने के लिये जो अभियोग के लिये तैयार हों, अवश्य ही कोई व्यवस्था होनी चाहिये। मैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कथन से सहमत हूं कि कुछ मामलों को छोड़ शेष सब में जमानत दी जानी चाहिये। उन व्यक्तियों को अवश्य सुविधायें दी जानी चाहियें जो अभियोग के लिये तैयार हों और अपना बचाव करना चाहते हों।

मेरा गत २५ वर्ष का अनुभव है कि जब दण्डाधिकारी जमानत का आदेश देता है तो पुलिस, लम्बरदार और कई अन्य व्यक्ति धन बटोरने का प्रयत्न करते हैं। मेरे संशोधन सं० ४६४ का अभिप्राय है कि जांच का काम पुलिस अथवा दूसरे कर्मचारियों को न सौंपा जाये और दण्डाधिकारी उन शपथ-पत्रों और उस में दिये गये तथ्यों को स्वीकार कर ले जिन्हें ७ वर्ष से अधिक अनुभव वाले अधिवक्ता ने प्रमाणित किया हो। यदि जमानत स्वीकार करना दण्डाधिकारी के स्वविवेक पर छोड़ दिया जाता है और वह जांच करने को कहता है तो कई लोगों को घूंस लेने का अवसर मिल जाता है। इस संशोधन का उद्देश्य यही है कि न्याय शीघ्र हो और ईमानदारी से किया जाये। ऐसा उपबन्ध बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिये कि उस में कोई ऐसी त्रुटि न रहे जिस से बइमान लोग अनजान लोगों से धन बटोरें। मेरा निवेदन है कि प्रतिभूति को किसी अनुभवी अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित करने पर स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। मुझे रंगून के एक दण्डाधिकारी के बारे में स्मरण है जो अपने सामने प्रतिभूति लिया करता था और केवल उसी व्यक्ति से पूछने पर विश्वास कर लिया करता था यह ढ़ंग बहुत ही अच्छा था और इस के कारण लोग घूंस लेना भी सम्भवतः भूल गये होंगे। यहां भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये।

डा० काटजू : क्या आप चाहते हैं कि अधिवक्ता से शपथ पत्र लिया जाये ? शब्द 'सत्यापन' का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं ने सत्यापन शब्द का प्रयोग नहीं किया।

डा० काटजू : क्या आप चाहते हैं कि अधिवक्ता वाकालत के अतिरिक्त सत्यापक का कार्य भी करे ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय गृह-कार्य मंत्री मद्रास की प्रथा नहीं जानते। वहां अधिवक्ता वकालत और शपथ-पत्र का पंजीकरण करने की शक्ति रखता है। उस के उत्तरदायित्व में केवल यह है कि वह शपथ पत्र पंजीकृत करत समय देखे कि शपथ ले कर बयान दिया गया है। उस के ठीक होने का उत्तरदायित्व उस पर नहीं आता।

डा० काटजू : परन्तु उन का सुझाव है कि अधिवक्ता सत्यापन करे कि शपथ पत्र में बयान ठीक है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी वकील को उत्तरदायित्व नहीं सौंपना चाहिये। माननीय सदस्य को और समय लगेगा वे अपना भाषण कल जारी रखें।

इस के पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।